खण्ड-469, अंक-2
मंगलवार, 28 श्रावण, शक संवत् 1930
(19 अगस्त, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2008)

खण्ड 469 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ज
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव.....(स्वीकृत)	1-2
ग्रेटर नोयडा में किसानों पर हुयी गोलाबारी की घटना पर चर्चा के सम्बन्ध में सूचना	2
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ...	3
श्री राम नरेश पाण्डेय भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन की सूचना जिला प्रशासन द्वारा न दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति	3
ग्रेटर नोयडा में प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस की गोलाबारी में किसानों की हुयी मृत्यु से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ...	3-38
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	38-40
जनपद चन्दौली के चकिया तहसील से जनपद मुख्यालय जाने वाली सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	40
जनपद बांदा के सभी राजकीय नलकूपों के चालू कराने तथा फेल नलकूपों को रि-बोर कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
सिद्धार्थनगर के निर्मित मार्ग बांसी धानी में मुआवजा से वंचित लोगों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
गोरखपुर महानगर स्थित क्षतिग्रस्त धर्मशाला उपरिगामी क्षेत्र का पुनर्निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग का भी निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42
महामाया नगर की तहसील सादाबाद के अन्तर्गत कतिपय तालाबों पर सड़क के किनारे पक्का पुश्ता (रिटेनिग वाल) बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42-43
जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगर की अधूरी सीवर लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	43
दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद सीतापुर जनपद द्वारा किसानों का गत वर्ष का बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43-44

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बागपत के अधिकांश विद्युत उपकेन्द्रों की भार क्षमता बढ़ाने एवं नये विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44
माननीय सदस्यों के कोटे से लगाये जाने वाले हैण्डपम्प से पहले वांछित पानी की उपलब्धता के साधनों की मानक के अनुरूप पूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत गुमशुदा शक्ति प्रसाद बागची की पत्नी को उत्पीड़न से छुटकारा दिलाने तथा दोषीजनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
आयुर्वेद स्नातकों को प्रदेश स्तर पर आयुर्वेद के साथ-साथ ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सा कराने सम्बन्धी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
सिद्धार्थ नगर के इटवा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में राजकीय रोजगार गारण्टी योजना के धन को बिना काम कराये खर्च करने की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46-47
झांसी नगर निगम में स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था लागू कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बन्धित माइनरों की तली झाड़ सफाई कराने एवं टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47-48
एटा के जलेसर क्षेत्रान्तर्गत अरण्ड नदी ग्राम दुल्हा पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	48-49
दिनांक 9 अगस्त, 2008 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से जान का खतरा विषयक बयान दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	49-53
सदन में विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उठाये गये विषयों के सम्बन्ध में शासन द्वारा उत्तर न दिये जाने से सम्बन्धित विधयकों की अधिकारों का हनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	54-58
ग्रामों के मजरों की गणना किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	58-59
उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008..(पुरःस्थापित)...	59-60

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008...(पुरःस्थापित)	60
स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008... (पुरःस्थापित)	60
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008...(पुरःस्थापित)	61
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008...(पुरःस्थापित)	61
श्री सुरेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा का बहराइच पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने विषयक प्रकरण	62-66
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	66-95
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2008 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008.....(संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	95-102
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008.... (पारित)	102-107
उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008.... (पारित) ...	107-124
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	124-126
महिला कल्याण विभाग में क्राफ्ट प्रशिक्षकों की नियुक्ति आई0टी0आई0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से न करके एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर महिला कल्याण मंत्री का वक्तव्य	126-127
जनपद फतेहपुर में बिना विधायक की संस्तुति के विधायक निधि से रु0 35 लाख फर्जी तरीके से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भईया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	128-129
जनपद बांदा के खण्डेय पेयजल योजना तथा ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के फेल हो जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	129-130

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में नवम्बर, 2006 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप योजनाओं का कार्य प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	130-133

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 19 अगस्त, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-377

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे, श्री	महराजगंज

अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमींरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददूू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव	
डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी (चौधरी), श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा	
'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा (मौर्य), श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं

प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार कठेरिया, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद तार्बीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुँवर	प्रतापगढ़
रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजवली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर

लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरट
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त कबीरनगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी "बन्टी", श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सी0 वी0 इग्निस, श्री	नाम-निर्देशित
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट :-आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन मे उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 अगस्त, 2008 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 19 अगस्त, 2008 से 22 अगस्त, 2008 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 19 अगस्त, 2008 को प्रश्नकाल न हो।

2-दिनांक 22 अगस्त, 2008 को सदन की बैठक न हो।

3-दिनांक 19 अगस्त, 2008 से दिनांक 22 अगस्त, 2008 तक के कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

अगस्त, 2008

19 मंगलवार — **1-11.05 बजे पूर्वाह्न**

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा घण्टा)।

(क) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008

(ख) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008

(ग) उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

20 बुधवार — 1-वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा घण्टा)।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008

(ख) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008

(ग) उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अगस्त, 2008

21 गुरुवार

1-असरकारी दिवस (आधा दिन) ।

2-विधायी कार्य।

3-डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर एवं चौधरी सत्यपाल सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरन्तर घटते भू-गर्भ जल-स्तर को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल एवं सिंचाई के लिये भू-गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाय।"

4-उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन "आदित्य", सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को प्रस्तुत सूचना पर एक घण्टे की अग्रतर चर्चा।

22 शुक्रवार बैठक नहीं होगी।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ग्रेटर नोयडा में किसानों पर हुई गोलाबारी की घटना पर चर्चा के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

कल हमारे नेता प्रतिपक्ष ने और सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने ग्रेटर नोयडा में किसानों पर हुई घटना के सम्बन्ध में कहा था। मैंने उनकी भावनाओं का आदर करते हुए, आज जैसे ही सप्लीमेन्टरी बजट प्रस्तुत हो जायेगा, चर्चा प्रारम्भ करवा देंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

ठीक है, मान्यवर।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसकी प्रतियां बंटवा दी जायें।

श्री राम नरेश पाण्डेय भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन की सूचना जिला प्रशासन द्वारा न दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री विश्वनाथ-

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राम नरेश पाण्डेय जो कि इस विधान सभा के तीन बार सदस्य रहे हैं उनका निधन दिनांक 14 जून, 2008 को हो गया है लेकिन उनके निधन की सूचना सदन को नहीं दी गई है, जिला प्रशासन से उनके निधन की सूचना नहीं भेजी गई है। उनका नाम निधन के निदेश में छूट गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको गम्भीरता से लेता हूं मैं इसको दिखवा लूंगा कि इसकी सूचना क्यों नहीं आई है ?

ग्रेटर नोयडा में प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस की गोलाबारी में किसानों की हुयी मृत्यु से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ग्रेटर नोएडा और आसपास के गांवों में किसानों पर अत्याचार को लेकर जो गम्भीर घटना हुई उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया और आपने सभी नेताओं से मिलकर शान्तिपूर्ण ढंग से सदन चलाने के लिये इस बहस को आरम्भ कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों पर इतना बर्बर अत्याचार करने, हत्यायें करने और निर्दोष किसानों पर, निहत्थे किसानों पर गोली चलाने का औचित्य क्या है ? जो भी इस बहस का उत्तर दें मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इसका औचित्य क्या है ? अध्यक्ष महोदय, किसानों ने 12 अगस्त, 2008 को पंचायत की और फैसला किया कि शान्तिपूर्ण तरीके से ग्रेटर नोएडा के गेट पर हम धरना देंगे। धरना देने पहुंच भी नहीं पाये कि सारे किसानों पर गोली चलाना शुरू कर दिया जिसमें 5 किसान शहीद हुए, 52 घायलों की सूची दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि बहुत सारे किसान इस भय की वजह से नोएडा में अपना इलाज कराने नहीं आये कि अगर वहां गये तो उन्हें मुल्जिम बना दिया जायेगा।

वहीं घायल हैं, वही मुल्जिम हैं और 19 लोग जो गम्भीर रूप से घायल हैं वह जेलों में पड़े हैं। आखिर वजह क्या थी ? किसान अपनी जमीन का औचित्यपूर्ण मूल्य चाहते थे, वहीं मांग हो रही थी। 850 रुपये प्रति वर्ग मी0 किसान अपनी खेतों की कीमत, और दूसरी तरफ उनकी आबादी के लिये उस जमीन में से छोड़ दिया जाये, यह मांग थी। और इसको लेकर समस्या हल की जा सकती थी। हमारे समय में यह समस्या आयी थी। उस समय 234 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत थी। उस समय मैं मौके पर एक कार्यक्रम में गया था। वहीं पर किसानों ने अपनी एक सभा रखी थी। बिना कोई सूचना दिये हुए। उस सभा में हम चले गये और 234 रुपये से बढ़ाकर हमने 300 रुपये किया और 5 फीसदी आबादी के लिये किसानों का प्राविधान किया गया था। उसको बढ़ाकर 6 फीसदी कर दिया गया। और 12 फीसदी जो अधिग्रहण कर रहे थे, उसमें 12 फीसदी किसानों को उसमें छोड़ दिया था, तो यह फैसला हमने किया था। एक बार नहीं अनेकों बार यह समस्या आयी। एक बार किसानों को हमने लखनऊ बुला भी लिया। दो घंटे बातचीत हुई और वह सहमत हो गये। बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से मांगों को माना। अध्यक्ष जी, यह दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का जहां किसानों पर गोली चली। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, किसानों की सुविधाओं पर निर्भर है और सुविधाओं के बजाय उन पर गोली चली, उन्हें शूट किया जा रहा है। दुनिया में कोई भी देश अगर सम्पन्न है तो उसने हमेशा खेती को प्राथमिकता दी है। आज अमेरिका गेहूं के बल पर महाशक्ति बन गया है। वहां पर किसानों को सुविधा दी जा रही है। दूसरे उद्योग धन्धे वहां पर घाटे पर हैं लेकिन अमेरिका का किसान फायदे में है इतनी मदद की जा रही है। यहां पर किसानों को मदद की बजाए, अपनी जमीन का उचित मूल्य मांगने पर उन पर गोली चलाई जाती है, निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसे हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एक बार केरल में समाजवादियों की सरकार थी, हम लम्बा नहीं जायेंगे, तो ग्यारह किसान गोली से मरे थे। यह कहा गया था कि सरकार इस्तीफा दे दें। उस पर बहुत विवाद बढ़ा और पार्टी दो हिस्सों में हो गई, मतभेद भी हुए। लेकिन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर गोली चलाना है तो पुलिस मैनुअल देखें। सबसे पहले अगर कोई भीड़ है, अनियंत्रित है, आग लगा रही है, तो सबसे पहले सावधान किया जाता है और सावधान करने के बाद भी नियंत्रित नहीं होती है, तो आंसू गैस छोड़े जाते हैं, तब भी नियंत्रित नहीं होती है तो फिर लाठी चार्ज किया जाता है। उसके बाद भी नियंत्रित नहीं होती है, आगजनी हो, गम्भीर हिंसा कर रहे हों, सुरक्षा बलों की हत्या कर रहे हों तो गोली चलाई जाती है। पुलिस मैनुअल में यह है कि गोली घुटनों के नीचे मारी जाती है। जो पांच घायल है, उन्हें अगर आप देखें तो एक के सीने में गोली लगी है। कनपटी पर रिवाल्वर लगाकर गोली मारी जाती है। दूसरा किसान आपने देखा होगा, गोपाल नाम का यह किसान है, हाथ जोड़ रहा है, उसको गोली लगी है, खून बह रहा है, लेकिन पुलिस उसको खींचकर ले जा रही है। उसको बचाया जा सकता था, उसका इलाज हो सकता था,

वहां के लोगों को मौका दिया जा सकता था, लेकिन खींचकर ले गये और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। खून बह रहा था लेकिन खून का इंतजाम नहीं हो पाया। अभी मैं लौट रहा था रक्षा बन्धन वाले दिन, एक एक्सीडेंट हुआ था और उसका काफी खून बह गया था। हमने मेडिकल कालेज को सूचना दी कि हम लेकर आ रहे हैं।.डाक्टरों का सहयोग मिला, वहां पर चौदह-पन्द्रह डाक्टर इकट्ठा मिले और मुझे लगता है कि उसकी जान बच जायेगी। तो उपचार अगर हो जाय तो बच सकता है। ऐसा उपचार है नोयडा में बहुत सारे लोग बचे हैं, लेकिन यह झूठा प्रचार करना कि दो पुलिस के जवान मर गये, एस0एस0पी0 घायल है। एक फर्जी पट्टी हाथ में बांध ली और मैं आपसे चाहूंगा अध्यक्ष महोदय एक डाक्टर ने बताया हे कि उसके कुछ भी नहीं था, वह एक प्राइवेट डाक्टर था, उसने बताया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसने फर्जी पट्टी बांध रखी थी। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। इसलिये हम चाहते हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। इसी तरह से हमारे और भी किसानों की मांग है, आप मुआवजा की बात ले लें, उन्हें धमकी दी जाती है कि यदि आप तीन लाख रुपया प्रति बीघा अपनी जमीन हमें दे दें, तो हम आबादी की जमीन छोड़ सकते हैं। ये धमकी दी जा रही है। सरकार उसमें शामिल है, नहीं तो नोएडा एथार्टी की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि हम आबादी तब देंगे जब तीन लाख रुपया प्रति बीघा में आप हमें जमीन देंगे और यह ऐसा नहीं है कि हमारे जमाने में इतनी कीमत नहीं दी गई हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे 300 रुपया देने के बाद फिर दोबारा हमारे यहां किसान आये तो पंचायत हुई और हमने तय कर दिया कि हम थोड़े दिनों में ही एथार्टी से बात करके आपको 850 रुपये देंगे। आचार संहिता नहीं लग गई होती तो हमने दे दिया होता किसान को। यह सभी जानते हैं वहां का एक-एक किसान जानता है और यह भी जानता है कि एक-एक आपके लड़के को नौकरी दे दी जायेगी और दुकान करना चाहें तो दुकान, आबादी आपको ज्यादा दी जायेगी और किसान चले गये, कोई राजनीति झगड़ा नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है कि तीन बार हमारी सरकार रही और तीन बार की सरकारों में कहीं लाठी नहीं लगी और हमने कहा कि किसान गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। अमीन, तहसीलदार वहां पर घर-घर जायेगा उसको बताने के लिये, जितना मांगा गया था, उतना दिया गया। एक किसान को रामपुर में बन्द कर दिया गया था। तहसीलदार उसी जगह मुअत्तल कर दिया गया था और डी0एम0 को मुअत्तल करने जा रहे थे, लेकिन तब तक आजम साहब बैठे हैं, इनसे माफी मांगी, हमसे माफी मांगी और रोने लगी, महिला थी, महिला समझ कर हम लोगों ने उसको मुअत्तल नहीं किया, न उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई। तो यह वजह क्या है कि सरकार में कहीं गोली चलती है और सीधी गोली मारी जा रही है। कहीं भी गोली चली है तो सीधी गोली चली है। इतने पुलिस को अख्तियार और अधिकार दे दिये गये हैं, इतनी छूट दे दी गई है पुलिस को और पुलिस के खिलाफ कहीं कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी एक मामला अलीगढ़ का है, एक अपहरण हो गया और तत्काल पुलिस को बता दिया गया और बताने के दो-तीन दिन बाद उसकी डेडबाडी मिली और अभी तक अलीगढ़ में

रपट नहीं लिखी गई। यह सारे कागज आपको दे दिये जायेंगे। इसीलिये हम आपसे बार-बार कहते हैं कि आप हस्तक्षेप करें, इस सरकार से किसानों को कोई उम्मीद नहीं है। अब आप देखेंगे कि जब आठ गांव हैं जहां एक समस्या थी घोड़ी-बछेड़ा, मथुरापुर, दाढ़ा, डावरा, सैनी, क्यानपुर, रायपुर और सूफियाना यह आठ गांव हैं। रायपुर और सूफियाना यह दो गांव हैं जिनका मुआवजा दे दिया गया जितना किसान मांग रहा था, उतना। फिर छः गांव को उतना मुआवजा देने के लिये सरकार को क्या मुश्किल है। दो गांव को दे दिया है 850 रुपया मीटर, आबादी सारी मांगें स्वीकार कर लीं दो गांवों की और बाकी छः गांवों को क्यों नहीं दे रहे हैं। इन छः गांवों में किसानों से पैसा मांगा जा रहा है कि इतना हिस्सा हमको दे दो वह पैसा कहां जा रहा है, एथार्टी के पास जा रहा है कि सरकार के पास आ रहा है कौन जिम्मेदार है, सरकार बताये कि दो गांवों को देने के बाद छः गांवों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब आप एक बात और सुन लीजिये, हम आपको बताना चाहते हैं कानपुर में 62 से लेकर 67 तक 1200 से लेकर 1800 रुपया प्रति एकड़ जमीन ली गई थी।

के0डी0ए0 का मामला था। पुलिस द्वारा करीब 200-300 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। चौधरी हरनाम सिंह उस समय विधान परिषद् के सदस्य थे। पूरा हाउस एक हुआ हम लोगों ने यह मामला एक स्वर से उठाया था और कहा था कि इसका उचित मुआवजा उनको दिया जाये। उनको मुआवजा मिला। 24 हजार रु0 से लेकर 26 हजार रु0 मिला था। वह हाईकोर्ट में चले गये। हरिकृष्ण अवस्थी जी अब स्वर्गीय हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने रिकमेंड किया। वह गरीब किसान थे कानपुर में वह बस गये थे उनको एक वकील मिल गया। उन्हें 24 हजार से लेकर 26 हजार रु0 प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से पैसा मिला। जिसकी 1962 में 1200 रु0 से लेकर 1800 रु0 कीमत थी। यह मान्यवर, एक उदाहरण नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें पीछे की कीमत दी गई। बढ़ी हुई कीमत दी गई है। अब यह कहेंगे कि 2004 में क्यों नहीं दिया गया तो मैंने आपको बताया कि हमारी सरकार ने दाम बढ़ाये थे।

मान्यवर, यह आज जो मामला पेश है इसमें बहुत लोग घायल हैं। 55 से 60 किसान घायल हैं। दो किसान अभी तक गायब हैं। इनके नाम मैं अभी आपको बता दूंगा। वह दो किसान हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं है, और मान्यवर, नोएडा अथारिटी के कार्यालय के सामने किसानों के 11 ट्रैक्टर और 6 मोटर साइकिल जला दी गईं, जबकि वहां वे धरने पर नहीं थे।

मान्यवर, मैं बता रहा था कि दो व्यक्ति गायब हैं यह हैं श्री ओमपाल पुत्र श्री वीर सिंह निवासी घोड़ी बछेड़ा, श्री राजेन्द्र पुत्र श्री हरिश्चन्द्र निवासी घोड़ी बछेड़ा। यह दोनों व्यक्ति आन्दोलन के दिन से अभी तक गायब हैं उनका कोई पता नहीं चल रहा है। इसलिये आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम इस सरकार को हत्यारी कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। इन्होंने

किसानों की हत्यायें की हैं उन पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया है। इतना कहने के बावजूद सब कुछ देखने के बावजूद यह बेहया सरकार है, इस सरकार को कोई शर्म नहीं है। किसानों पर गोली चलाने के बाद थोड़ी बहुत आप में जो संवेदनशीलता होनी चाहिये थी वह दिखनी चाहिये थी। वह आपने नहीं दिखाई। यह संवेदनहीन सरकार है। यह संवेदना के नाम पर जो बातें हो रही हैं यह मान्यवर, आपने स्वयं देखा होगा। आप महसूस भी बहुत करते हैं। जब आपसे बातचीत होती है तो लगता है कि आप महसूस बहुत करते हैं। स्पीकर साहब आप जब टेलीफोन पर भी वार्ता करते हैं तो जो विनम्रता होनी चाहिये वह आप में है। शिष्टाचार आप में है। अनुभव आपको है। संसदीय कार्य मंत्री आप रहे हैं। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी का जो काम होता है वह यह देखना होता है कि सदन किस तरह से चले। चाहे जिस तरह से चले वह चले। यह आज संसदीय कार्य मंत्री जी जो हैं वह यह कहते हैं कि सदन चले या न चले बस सब चीजें किसी तरह से पेश कर दें। एक बार में ही पूरा एजेण्डा पेश कर देंगे। ऐसा संसदीय कार्य मंत्री हमने पहली बार देखा है। जबकि मान्यवर, ट्रेनिंग हम से ही ली है। आज पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। इनको आज हम बता रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री कभी भी सदन को उत्तेजित नहीं करता है और न नेताओं को करता है। सदन में कोई उत्तेजना न हो यह देखने का दायित्व संसदीय कार्य मंत्री जी का है। आपके पीछे भी लोग बैठे हैं हमारे पीछे भी लोग बैठे हैं। हमारी तरफ से कोई उत्तेजना बढ़ाने का काम कभी नहीं करता है कोई नहीं करता है। अगर सदन में कल कुछ भी हुआ है वह संसदीय कार्य मंत्री के व्यवहार से हुआ है। अब कल कह बैठे, हम बहस नहीं करना चाहते थे। व्यक्तिगत मामले में हमने कभी भी न संघर्ष किया है न कभी बोलते हैं। लेकिन हम नेताओं के सामने जो कह रहे थे कि पहली बार सदन नेता के सामने ऐसा किया गया व्यवहार और नेता प्रतिपक्ष के सामने कैसा किया गया ? एक मिनट सुन लेते हमको, बैठ जाते आप बैठे नहीं। अगर यह पीछे वाले कहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं, यह संसदीय कार्य मंत्री भी क्या किये ? और संसदीय कार्य मंत्री, क्या नेता विपक्ष के खड़े होने पर शिष्टाचार है, आपने किया क्या ? देखिये हम संक्षिप्त ही बात कहना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे अन्य नेताओं को मौका ज्यादा मिले बोलने को, वह हम सब ही अच्छा बोलेंगे। जिससे सदन में कम से कम यह बेहया और हत्यारी सरकार की समझ में आ जाय। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब भी सरकार जो शहीद हुए हैं और जो घायल हैं, जितने दोषी पुलिस के अधिकारी हैं चाहे सिपाही से लेकर कोई हों, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय और जो हत्या हुई है किसानों की उनके खिलाफ 302 के मुलजिम बना करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाय। यह रपट लिखी जाय। इसी के साथ-साथ जो किसानों की मांगे हैं उचित, 850 रुपया प्रतिमीटर उनको मुआवजा दिया जाय और साथ में ही आबादी की जमीन जो 6 फीसदी थी अब 8 फीसदी कर दी जाय और आवंटित जो जमीन है वह 12 फीसदी हमने की थी वह 14 फीसदी की जाय और दूसरी मांग है जेल में बन्द जो किसान हैं उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाय तत्काल, मृतकों को

10-10 लाख रुपया दिया जाय मुआवजा उनके परिवार के आश्रित लोग हैं उनकी सुविधा के लिये और 2-2 लाख रुपया घायलों को और प्लाटों को मैंने बता ही दिया है कि आवंटन हो उसमें 14 फीसदी आरक्षण दिया जाय। किसानों को, पुनर्वास दिया जाय यह तो एक अधिनियम बन चुका है, कानून बन चुका है इसलिये उनको यह दिया जाय पुनर्वास किया जाय। यह हमारी मांगे हैं इन मांगों को सरकार तत्काल स्वीकार करे और घोषणा करे आज सदन में, इसे तत्काल घोषणा करे और जितनों की जमीन गई है उनके एक-एक परिवार के नौजवान को नौकरी दी जाय और जिनकी हत्या हुई है इनके परिवार के दो लड़के एक जमीन गई है और एक हत्या हुई है उनके परिवार के सहारे के लिये यह उनको सुविधा दी जाय। दो नौकरी, एक-एक नौकरी सबको और 10-10 लाख रुपया मृतकों को और दो-दो लाख रुपया घायलों को तत्काल दिया जाय और जो हमारी मांगे हैं वह उचित मांगे हैं, किसानों की मांग उचित है और उचित मांगों के लिये अगर वह पंचायत करते हैं और शान्तिपूर्ण एक दिन पहले घोषणा कर देते हैं कि हमारा धरना गेट पर होगा, ग्रेटर नोएडा एथारिटी के गेट पर होगा तो शान्तिपूर्ण धरना तो पहले से घोषित था तो किसानों से बातचीत करते। हमने तो ऐसे-ऐसे मुख्य मंत्री देखे हैं, एक बार श्रीपति मिश्रा जी के घर पर जाकर हम लोग बैठ गये धरना पर, वह भी खुद बैठ गये, हम लोगों के साथ। ऐसे-ऐसे संसदीय कार्य मंत्री देखे, हम धरना यहां दे रहे थे और संसदीय कार्य मंत्री यहां धरने पर बैठे थे हम लोगों के साथ। आपको याद होगा तब तो हम लोग साथ थे। ऐसा-ऐसा व्यवहार, यह आवरण था, यह परम्परायें थीं, लेकिन धीरे-धीरे परम्परायें पूरी तरह तोड़ दी गईं। लोकतंत्र में कोई इनको विश्वास नहीं रहा और हम कहना चाहते हैं और सावधान भी करना चाहते हैं कि तानाशाहों की उम्र कम होती है, उनकी मियाद कम होती है। आज तानाशाही जो उत्तर प्रदेश में है, अब भी फर्जी मुकदमें जारी हैं, छात्रों पर गुण्डा एक्ट, उसके अलावा कई गम्भीर-गम्भीर धारायें और एक-एक, दो-दो महीना छात्र जेल में रहे और बाद में छात्र संघ का चुनाव आपने स्वीकार किया। हम देख रहे है और हमने कहा था कि पूरे देश में इमरजेंसी में एक लाख लोग गिरफ्तार हुए थे और इस साल उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने अकेले एक लाख लोग गिरफ्तार किये हैं और मुकदमा दर्ज किये हैं 47-47, 50-50 एक-एक रिपोर्ट में। तो एक लाख लोगों के खिलाफ मुकदमा है और एक लाख लोगों के खिलाफ कितनी गम्भीर धारायें लगाई हैं। गुण्डा एक्ट, सबसे पहले और किसी भी दल को कह दें गुण्डा, समाजवादी गुण्डे, अगर आप चाहें तो दे सकते जवाब, हम तो दे नहीं सकते। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि यह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चले। जनता का समर्थन आपको मिला है। प्रमोद तिवारी जी अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे समर्थन मिला है। समर्थन मिला है आपको, तो इतना कम वोट पड़ता है। आपका सब पड़ जाय और हमको 25 परसेंट। कौन था जिम्मेदार। आपने तो बड़ा अधिकारी बना दिया पुलिस का। इसलिये तो बना दिया और उधर था प्रमोद तिवारी का षड़यंत्र। यह सही है कि यह पूरी की पूरी अपनी आंख फोड़ के दूसरे के आंख खोलते हैं। तब बहुमत मिला है। मैंने बार-बार कहा कि बहुमत का घमण्ड न हो इस सदन में

हमारे भी 352 एम0एल0ए0 बैठे थे। 77 में और कांग्रेस को मिला था 75 में दिल्ली में और उसके बाद क्या हुआ 77 के चुनाव में, और राजीव गांधी को क्या मिला था इन्दिरा जी से भी ज्यादा। उसके बाद क्या 79 में बहुमत मिला, इसलिये घमण्ड न करें आप। आप आज तक घमण्ड में चूर हैं मुझे लगता है कि कुछ तो घमण्ड कम हुआ होगा। 22 तारीख को लेकिन हम कह रहे हैं कि आप सरकार चलायें लोकतांत्रिक तरीके से। अगर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलायेंगे तो मैं बता रहा हूं कि यह सरकार 5 साल नहीं चलेगी। अगर किसान पर गोली चलेगी, किसान पर मुकदमा चलेगा, उनके भी परिवार हैं साढ़े 22 हजार लोग बर्खास्त हैं। उनके परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, शादियां भी हो चुकी हैं कुछ की और सात आत्महत्या कर चुके हैं क्या वह यह भूल जायेंगे ? यह काम जो आप कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से, मनमाने तरीके से कर रहे हैं। इसलिए आपकी सरकार की मियाद इससे भी खत्म हो जायेगी पांच साल नहीं चलेगी। अगर सुधर जायेंगे तो पांच साल चले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपको ये मुकदमें वापस करने पड़ेंगे। अगर किसानों का हक उनको नहीं दिया, देना तो है कई मामलों में, कई केसों में, लेकिन आज घोषणा होनी चाहिए कि निहत्थे और निर्दोष किसानों पर गोली क्यों चली और गोली चली तो कौन सी उन्होंने आग लगा दी थी। किसानों की खुद तो एक जीप गयी, आपने टी0वी0 पर देखा होगा जीप को बुझा रही है पुलिस और किसान कहीं एक-एक किलोमीटर दूर तक नहीं दिखायी दे रहा है। इतना फर्जी केस और प्रचार करवा दिया चैनलों पर टी0वी0 पर कि दो पी0ए0सी0 के जवान मारे गये। इतना फर्जी झूठ, इससे भी साफ हो गया, आखिर वहां किसने बयान दिया था, उसके खिलाफ कार्यवाही हो और कनपटी पर रिवाल्वर से गोली मारी गयी। हमने बता दिया अध्यक्ष महोदय, पुलिस मैनुअल में साफ है कि अगर मजबूरी हो गोली चलाने की तो गोली नीचे पैरों पर मारी जाती है। एक गोली बता दो जो नीचे पैरों पर लगी हो, सबकी गोली सीने में हैं, कनपटी में हैं। जहां-जहां उत्तर प्रदेश में गोली चलीं सब जगह गोलियां यहीं लगी हैं, सब गोलियां सीने में हैं गले में हैं, इसलिये हम इस सरकार को हत्यारी सरकार कहते हैं और फिर कहते हैं कि यह बेहया सरकार है, हमारी बात का कितना असर होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहां असर होता था जब पण्डित नारायण दत्त तिवारी थे मुख्य मंत्री और हम थे अपोजीशन लीडर और वह थे अपोजीशन लीडर तो हम थे मुख्य मंत्री। उस समय का देखिये, वीर बहादुर जी के समय का देखिये कैसा व्यवहार था उनका। हम उनसे जैसे लड़े हैं, हमें तो कालेज से ही लड़ना पड़ा, प्रमोद तिवारी जी थे उस समय, वह जानते हैं कि जुल्म हम पर हो रहा था। आपके कई साथी इसका विरोध कर रहे थे, 1980 से लेकर 1989 तक कितना जुल्म हुआ है हमारे ऊपर। हमारे कुछ ही साथियों के साथ चुन-चुनकर कैसा व्यवहार किया गया, राम बहादुर मिश्रा हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे, कैसे उनकी हत्या की गयी और एफ0आर0 लगा दी गयी। जुल्म हुआ है लेकिन जो मुख्य मंत्री होते थे चाहे वह नारायण दत्त तिवारी हों, चाहे श्रीपति मिश्रा हों और चाहे बहुगुणा जी हों, हम थे इस सदन में जब बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे, हमने उनका व्यवहार देखा है। मैं अपनी पार्टी के

मुख्य मंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं उन मुख्य मंत्रियों की जिनसे हमें लड़ना पड़ा। उन मुख्य मंत्रियों का कैसा आचरण था इस सदन के अन्दर। हम यहां किसी को संस्कारहीन नहीं कहेंगे, नहीं तो बुरा हो जायेगा, हां वह संस्कार थे, वह लोकतांत्रिक संस्कार थे, आजादी की लड़ाई के संस्कार थे इसमें कोई दो-राय नहीं और आजादी की लड़ाई के जितने निकले हुए लोग थे, हम बता रहे हैं, कल बात छिड़ गयी थी, एम0एल0ए0 हैं सात बार चुने गये दशरथ राव, इतने ईमानदार थे कि कांग्रेस के लिये उनसे लड़ना मुश्किल था। वह थे कांग्रेस के आजादी के संस्कार, गांधी जी के संस्कार, वह थी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति और आज तो है फिजूलखर्ची, अय्याशी और शौकीनी। इसलिये हम आपको राय दे रहे हैं कि अब भी यह अत्याचार बन्द करो और इसमें किसानों की हत्या हुई है और किसानों की हत्या करके आपने उत्तर प्रदेश को पीछे किया है, देश को पीछे किया है। अगर कहीं किसान कमजोर हो गया तो हमारा देश कमजोर हो जायेगा। चाहे विदेशी कम्पनियां हों, चाहे कर्जा हो, उससे मुक्ति कोई दिला सकता है तो वह किसान दिला सकता है। (प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे अपील है कि दोषी पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को तत्काल सजा दी जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और भा0द0वि0 की धारा-302 के तहत मुकदमा चलाया जाए और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। किसानों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, इसलिये जब आप जवाब दें, नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री जी जवाब दे तो इसको स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जी ने विस्तार से सारी बातों का उल्लेख किया है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। एक बिन्दु सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे निगाह में है। सारा विवाद भूमि के अधिग्रहण को ले करके हुआ। अपना जो अनुभव है, सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष में बैठ करके देखा है कि नोयडा और ग्रेटर नोयडा दो प्राधिकरण ऐसे हैं जहां सतत् प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण की चल रही है। सरकार शपथ बाद में लेती है पहले निगाह वहीं चली जाती है कि ग्रेटर नोयडा, नोयडा में कुछ जमीन बची है या नही बची और किस प्रकार उसका अधिग्रहण कर लिया जाए। आप पिछले 4 वर्ष की समीक्षा कर लें और यह देख लें। जमीन का अधिग्रहण तो हुआ लेकिन क्या नोयडा, ग्रेटर नोयडा में कोई उद्योग स्थापित हुआ, कोई जनहित का काम हुआ ? लेकिन अधिग्रहण बराबर चल रहा है। आखिर अधिग्रहण क्यों हो रहा है ? इस बात की कहीं न कहीं समीक्षा होनी चाहिए कि उसका औचित्य क्या है ? मान्यवर, जहां तक मैं जा करके वहां पर देखता हूं कि किसी भी कल-कारखाने, फैक्टरी का, उद्योग का निर्माण कार्य होता दोनों जगह नहीं दिख रहा है। निर्माण कार्य तो बहुत गति से हो रहा है लेकिन सारे निर्माण कार्य

रिहायशी भवनों या काम्पलेक्स के हो रहे हैं। सारे निर्माण कार्य बड़े-बड़े काम्पलेक्सेज के हो रहे हैं जिनकी बहुत बड़ी हैसियत होगी, जिन्होंने करोड़ों, अरबों रुपये नहीं बल्कि उसी जमीन के माध्यम से खरबों रुपये कमा लिये। किसानों की जमीन उन्हीं लोगों को दे दिया जाता है और उस जमीन की जो अधिग्रहण की जाती है, उस पर भवन बनाने या कामर्शियल काम्पलेक्सेज बनाने का कार्य हो रहा है। इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी, विकास होगा, भूमिहीन लोग जिनकी जमीन ले ली गयी उनको रोजगार मिलेगा ? मेरा पूरे सदन से आग्रह है कम से कम हृदय में इस बात को सोचें कि गरीब किसान को भूमिहीन बनाकर आप किन लोगों को अरबपति, खरबपति बना रहे हैं। किस तरह से आपकी कान्सेंस अनुमति दे रही है, यह विचारणीय बिन्दु है। मैं चाहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचें, आज इतनी बड़ी घटना हो गयी आपसे आग्रह करता हूं कि इसी सदन की एक समिति बनाकर इसकी समीक्षा हो जाये कि जो जमीन ली गयी है उस जमीन पर कोई उद्योग स्थापित हुआ है क्या, या कोई ऐसा जनहित का कार्य हुआ है, चिकित्सालय बना हो जो जनता के काम आता हो, कोई आर्मी का इन्स्टालेशन बना हो जो सुरक्षा के काम आता हो। लगता ऐसा है कि किसानों को भूमिहीन करते जाओगे और बड़े-बड़े सेठों की आप सम्पत्ति बढ़ाते जाओगे। सरकारों का काम मान्यवर, यह नहीं होता है, सरकार से सदैव भूमिहीन के पक्ष में खड़े होने की अपेक्षा की जाती है और सरकार को खड़े होना चाहिए। गांव के भूमिहीनों की आपको चिन्ता है लेकिन जिनकी जमीनें ली जा रही हैं उन भूमिहीनों का ध्यान नहीं है। आपने कितने भूमिहीनों को नोयडा ग्रेटर नोयडा में जमीन दिलवाई। यह जमीनें तो बिल्डर्स को मिलीं। जिसके बारे में यह विवाद चला वर्ष 2006 में इसका नोटीफिकेशन हुआ धारा-चार का क्योंकि यह बिन्दु आयेगा आप कहेंगे कि सहमति के आधार पर भूमि का अधिग्रहण हुआ सहमति इस बात को बताकर ली गई जब किसानों ने आन्दोलन किया और उन्होंने 10 लाख रुपये बीघा की मांग की तो उनको आश्वासन दिया गया प्राधिकरण द्वारा कि आपकी जमीन का मूल्य बढ़ा दिया जायेगा मुआवजे की रकम बढ़ा दी जायेगी यह पैसा ले लो बार-बार उनको आश्वासन दिया गया पंचायतों में जाकर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इसका मुआवजा बढ़ा दिया जायेगा इस आश्वासन के बाद किसानों ने पैसा ले लिया उनकी जमीन चली गई उन्होंने पैसा उठा लिया इसलिये उनकी सहमति मान ली जायेगी ? आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2006 के बाद 2007 में ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण के दफ्तर में सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ताओं, किसानों ने तालाबन्दी कर दी थी तब प्राधिकरण वालों ने बिल्कुल स्पष्ट आश्वासन दिया था कि तालाबन्दी न करो हम शासन को संदर्भित कर रहे हैं। शासन को संदर्भित भी किया कि दर 8 50 रुपये कर दी जाए इसी बीच चुनाव आयोग की आचार संहिता लग गई और यह मामला निस्तारित नहीं हो सका वहीं पर रुक गया लोगों की मांग बराबर चलती रही, पंचायतें बराबर चलती रहीं। एक वर्ष तक बराबर मांग पत्र और ज्ञापन दिये जाते रहे पंचायतें होती रहीं लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती है। कुछ स्थानों पर आप मुआवजे की धनराशि को बढ़ा देते हैं। यह भी होता है कि 2006

के बजाय 2007 से उसको प्रभावी करते हैं जब धारा-4 का नोटीफिकेशन 2006 में हुआ तो इसको 2006 से प्रभावी किया जाय इतनी बात रह गई थी जब यह बात नहीं सुनी गई तो पंचायत बैठी और पंचायत के बाद बाकायदा नोटिस दी गई कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं हम ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण के सामने बैठकर धरना देना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं इसके लिये बाकायदा नोटिस दी गई। धरना देने के लिये लोग ट्रैक्टर ट्राली, जुगाड़ में बैठकर आ रहे थे लेकिन गांव में बैरीकेटिंग किया गया अगर आपको लगता था कि इसके कारण शांति व्यवस्था की बात आयेगी तो आप प्राधिकरण के पास फोर्स लगा देते, दफ्तर पर फोर्स लगा देते क्योंकि तोड-फोड़ की कार्यवाही की आशंका तो दफ्तर में हो सकती है लेकिन आपने गांव से लेकर जगह-जगह बैरीकेटिंग कर दी इसका क्या औचित्य था ? लोकतंत्र में अगर हमको अपनी मांग मनवाने के लिये प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं होगा तो कौन सा अधिकार होगा यह बता दीजिए आपने बैरीकेटिंग लगा दी बैरीकेटिंग तो इस सरकार की महिमा है अगर मैं यह कहूं कि गर्वनमेंट आफ द बैरीकेटिंग, फार द बैरीकेटिंग, बाई द बैरीकेटिंग तो गलत नहीं होगा। लखनऊ में निकलकर देख लें आपको कहीं न कहीं बैरीकेटिंग लगा मिलेगा यहां से यहां तक न जाइए यह जनता के अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है। किस कानून के अन्तर्गत आपने गांव वालों को प्राधिकरण के दफ्तार तक जाने से रोका जब धारा 144 नहीं लगाई थी। या तो गांव वालों को वहीं रोक लेते तो कम से कम यह नरसंहार तो नहीं होता इसके बाद जो नंगा नाच इन्होंने किया माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया। मैं धन्यवाद देता हूं समाचार-पत्रों और मीडिया वालों को भी कि जिस प्रकार से उन्होंने चित्र लिये वहां पर। गोपाल नामक किसान मान्यवर, गोली लगकर के जमीन पर पड़ा है वह हाथ जोड़ रहा है कि मुझको इलाज के लिये ले चलो दूसरा चित्र आता है मान्यवर, कि पुलिस के दो सिपाही एक ने उसका हाथ पकड़ा दूसरे ने उसकी टांग पकड़ी जैसे मान्यवर, मृत पशु को घसीटते हैं जमीन पर उस तरह घसीट के ला रहे हैं उस गोपाल किसान को। मान्यवर, एक घटना आपको ध्यान होगा हुई थी जब हमारे सी0आर0पी0एफ0 के कुछ जवानों को बंगलादेश की पुलिस ने हत्या कर दी थी और उसके बाद में उनके हाथ पैर बांध करके मान्यवर, बांस पर टांग कर ले जाया जा रहा था। सारे विश्व ने मान्यवर, वह दृश्य देखा और सारे विश्व ने बंगलादेश की आलोचना की और भर्त्सना की कि मानव अधिकारों का हनन इस प्रकार और मान्यवर, हम बंगलादेश न जाकर ग्रेटर नोएडा में जायं अपने प्रदेश में देखें हम। आखिर क्या हो गया पुलिस को मान्यवर ? इतनी भी मानवता नहीं कि गोली लगाकर के गिरा भी दिया नीचे और उसके बाद में वह कराह रहा है, कह रहा है कि मुझे अस्पताल तक पहुंचा दो और आप घसीट कर ले जा रहे हैं और उसके बाद घसीट कर ले जाकर मान्यवर, दोबारा गोली मारी जाती है। वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती है मान्यवर। इस प्रकार का निर्मम व्यवहार और उस पुलिस के लिये भी हम लोग। आप तर्क देंगे कि नहीं उन्होंने अपनी आत्म सुरक्षा में गोली चलाई होगी। कहां से होगी आत्म रक्षा की गोली। मान्यवर, दूसरा

मनोज नामक नौजवान अपनी ट्रैक्टर में बैठा था कनपटी में रखकर ट्रैक्टर में गोली मारी जाती है। बता दें ऐसा कौन सा कानून है कनपटी पर रखकर गोली मारने का। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपका ध्यान दिलाया कि पुलिस इन्वाल्व है कि नहीं है लेकिन कनपटी पर गोली मारने की नौबत कैसे आयेगी मान्यवर। आत्म रक्षा के लिये चलायेंगे तो आप दूर से चलायेंगे। जब आप उसके पास खड़े हुए हैं आपकी सुरक्षा की कोई बात आती नहीं इसमें। सेल्फ डिफेंस का कोई मामला आता नहीं इसमें। यह मान्यवर, केवल ऐसा लग रहा था जैसे यहां कानून व्यवस्था जैसी कोई बात न रही हो। मानवता नाम की कोई चीज पुलिस में न रही हो। उसके बाद में मान्यवर, पांच लोग मारे गये। बावन लोग जख्मी हुए। जख्मी होने के बाद में अध्यक्ष जी, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि जख्मी होकर लोग पड़े रहें और वहां का प्रशासन केवल मूक दर्शक नहीं बल्कि उपेक्षा के भाव में उनका मजाक बनाता हुआ निकल जाय वहां से। उनकी जिम्मेदारी यह नहीं बनती थी कि एम्बुलेंस मंगा-मंगाकर उनको चिकित्सालय में भेजें। मान्यवर, मैं आपको सब कुछ समाचार-पत्रों की जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि वहां के नागरिक निकले ग्रेटर नोएडा के नोएडा के कैलाश हास्पिटल के मालिकं हैं डा0 महेश शर्मा ने अपने अस्पताल से एम्बुलेंस मंगा कर उन्होंने जख्मियों को निकाला, एम्बुलेंस में डाला और अपने चिकित्सालय में भर्ती कराया। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही इस विषय में नहीं हुई। उसके बाद में आपका रवैया यह कि जहां पर यह घटना हो रही थी वहां जो वरिष्ठ अधिकारी थे जानबूझ करके एक साजिश के तहत वहां यह ऐलान किया गया कि दो पुलिस कर्मचारी मारे गये-दो पुलिस कर्मचारी मारे गये। इस ऐलान के पीछे क्या था ? इस ऐलान के पीछे था कि आपा खो देंगे पुलिस वाले और जब इनको पता लगेगा कि दो पुलिसकर्मी मारे गये हैं तो निश्चित रूप से यह फिर ये बेखौफ होकर के गोलियां चलायेंगे और हुआ भी वही। वरिष्ट अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि फोर्स को नियंत्रित करें। कम से कम ताकत का इस्तेमाल करें। लेकिन कम से कम ताकत का इस्तेमाल क्या जब खुद ही लोग उस पुलिस बल को भड़काने में लग जायं। वरिष्ट अधिकारी अनर्गल रूप से इस बात का प्रचार करें तो प्रतिक्रिया तो होनी थी और प्रतिक्रिया उनके सामने हुई। मान्यवर, यह कानून में क्यों प्राविधान किया गया कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस फायरिंग नहीं होगी। उसके पीछे तो आशय यही है कि पुलिस बल को नियंत्रित करने वाली कोई जूडिशियल पावर चाहिए कोई मजिस्ट्रेट चाहिए जो आदेश देगा उनको और यहां के मजिस्ट्रेट तो कहीं गये उनको तो लापता हैं। वरिष्ट अधिकारी कहते हैं कि तुम्हारे आदमी मारे गये दो। हम 14 तारीख को गये मान्यवर। सभी राजनीतिक दलों के लोग थे मान्यवर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी भी वहां पर थे। हमने जिलाधिकारी और एस0एस0पी0 से पूछा कि हम आये हैं मृतक परिवारों के यहां सम्वेदना व्यक्त करने के लिये हम दो पुलिस कर्मियों के घर भी जाना चाहते हैं जिनकी मृत्यु हो गयी इस काण्ड में। हमें उनका पता दे दो हम उनके घर जाना चाहते हैं मान्यवर, उत्तर आता है कि मरने का तो पता नहीं लेकिन दो पुलिस वाले लापता हैं।

जिलाधिकारी, एस0एस0पी0 हमसे कहते हैं कि मरने का तो पता नहीं, दो पुलिस कर्मी गायब हैं। मान्यवर, यह घटना 13 तारीख की है और 14 तारीख को यह उत्तर मिल रहा है कि दो पुलिस कर्मी लापता हैं हमने कहा अस्पताल का पता दे दो जाकर देख लेंगे तो बोले साहब अभी तक पता नहीं चल सका कि कहां हैं, कहां नहीं हैं। तो जिस प्रशासन का यह रवैया रहा है उस प्रशासन के बारे में क्या कहें। उस प्रशासन को भी यहां पर, उसकी डिफेन्स दी जाए उसको बचाने का प्रयास किया जाये जिनका यह रवैया रहा, मान्यवर, जिलाधिकारी, एस0एस0पी0 बहुत जिम्मेदार पद है। बहुत जिम्मेदार अधिकारी होते हैं लेकिन जिस बेशर्मी का व्यवहार नोएडा में देखा, गौतमबुद्धनगर में जाकर देखा यह बर्दाश्त के बाहर है। हम लोग राजनीति किसके लिये कर रहे हैं, राजनीति तो हम जनता के लिये कर रहे हैं, जनता के चुने हुए नुमाइन्दे हम हैं हम अगर घर में बैठे रहेंगे, जनता पर अत्याचार होते रहेंगे तो कौन माफ करेगा हमें ? हमें जानकारी मिली कि इतनी बड़ी घटना हो गई हम जाकर प्रयास करेंगे कि स्थिति को संभाला जाए, पीड़ितों की मदद की जाए। उनके दुख-दर्द में शामिल हुआ जाए। हम उनके दुख-दर्द में शामिल होने गये थे, लेकिन हुआ क्या, दिल्ली की तरफ से आये तो बैरीकेटिंग, गाजियाबाद से आए तो बैरीकेटिंग, बुलन्दशहर से आए तो बैरीकेटिंग, यह आजाद भारत है ? आप लोगों को हमसे खतरा है ? आपको राष्ट्रीय नेताओं से खतरा है ? आप लोग यह अपेक्षा करते हैं कि हम लोग वहां जाकर दंगा भड़काने की बात करेंगे ? दंगा भड़काने वाले तो स्वच्छन्द होकर गाड़ियों से घूम रहे हैं। जो मान्यवर, स्थिति पर नियंत्रण कराने के लिये वहां आये थे, उनके जख्मों पर मरहम पट्टी करने के लिये वहां आये थे उनको समझाने के लिये आये थे, उनको दिलासा दिलाने के लिये आये थे, उनको जाने नहीं दिया गया। यह लोकतंत्र है ? यह लोकतंत्र की मानसिकता है ? जब हमने उनसे कारण पूछा कि आप लोग हमें वहां तक जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, मान्यवर, अधिकारी की बॉडी लैंग्युएज होती है, उनकी शक्ल से नजर आ रहा था जैसे निरीह प्राणी हों उनके बस का कुछ हो नहीं। किसी ने लखनऊ से बैठकर कह दिया कि नहीं जाने देना है तो नहीं जाने दिया। नहीं जाने के पीछे कुछ तर्क होना चाहिए था। कोई कारण होना चाहिए था। लग रहा है न कोई अधिकारियों पर विश्वास है, न ही कोई उनका फेथ, जिसके मन में जो आया वह उनको कह दिया गया और अधिकारियों को उसका पालन करने के लिये विवश होना पड़ा। अस्पतालों में जो लोग थे, पुलिस का फर्ज बनता था घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराने का, लेकिन मान्यवर, वह पुलिस रात में निजी अस्पतालों में पहुंचती है, नोएडा में सरकारी अस्पताल भी है मान्यवर, लेकिन वहां की जो हालत है वह सबने देखी है। निजी अस्पतालों में पुलिस पहुंचती है और जिनका इलाज चल रहा है ड्रिप लगे हैं, डाक्टर लगे है, डाक्टर को धक्का दिया जाता है और घसीटकर चारपाईयों से मरीजों को जख्मी लोगों को बाहर निकाला जाता है और गाड़ियों में ले जाकर भर्ती कराया जाता है। तीमारदार लोग खड़े हैं गांव से लोग आये हैं, अस्पतालों के सामने लाठीचार्ज होती है और जेलों में ठूंस दिया जाता है धारायें लगा-लगाकर। जनरल डायर का नाम अब तक इतिहास में है

लेकिन शायद यह पहचान बना लेंगे जो अत्याचार इन्होंने किया है उससे हर व्यक्ति के मन में यह बात आती है कि जिनका इलाज चल रहा है उनका इलाज होने दें लेकिन इन्होंने उनको भी नहीं बक्खा। यह सिलसिला 13 की रात का ही नहीं है, यह सिलसिला सतत् चल रहा है। श्रीमन्, परसों की बात है हमारे यहां मृतकों की शान्ति के लिये हवन किये जाते हैं पूजा पाठ किये जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी वहां पर हवन कर रहे थे, पुलिस छापा मारती है, हवन-कुण्ड में पानी डाल दिया जाता है और जो लोग हवन कर रहे थे, उनको पकड़कर जेल में ठूस दिया जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, कोई भी कानून रहा हो, लेकिन जो हुआ, अभी भी संस्कार जीवित है, कोई दुनिया नहीं दहल जाती यदि उनको अपने हवन की प्रक्रिया को पूरा कर लेने देते। मान्यवर, नवाब सिंह नागर, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वह भी हवन पर बैठे हुए थे, उन्हें भी पकड़ कर ले गये और जेल में ठूंस दिया। अध्यक्ष जी, हमने अपनी पार्टी की ओर से घोषणा की थी कि मृतक परिवारों को हमारी तरफ से भी एक प्रतीकात्मक सहायता दी जाए, उनके परिवारों के पास संवेदना व्यक्त करने के लिये जाया जाए और कुछ धनराशि भी दी जाए। हमने बार-बार कहा कि हम एक-एक लाख रुपया प्रत्येक मृतक परिवार को देना चाहते हैं, हमें अनुमति दे दें। दो दिन तक अनुमति की प्रतीक्षा करनी पड़ी लेकिन फिर भी नहीं जाने दिया गया। हमने 4 स्थानीय आदमी बुलाये, उन्हें धनराशि दी, उनका नाम लिखकर दिया और वह धनराशि उनके द्वारा मृतक परिवारों तक भिजवाया। हम इस देश के नागरिक हैं, विधायक तो बाद में होंगे, यदि हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम किसी की सहायता भी कर सकें तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा कानून है, सरकार क्या करना चाहती है कि आपने हमें बिल्कुल बन्धक बनाकर रख दिया है। क्या हम कोई जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकते हैं ? अध्यक्ष जी, यह सतत् चलता रहा है और आज भी चल रहा है, घोड़ी-बछेड़ा गांव में चारों ओर फोर्स लगी है, वहां पंचायत हो रही थी, जहां 52 लोग जख्मी हुए हैं, चारों ओर से किसान आ रहे थे, किसान नेता महेन्द्र सिंह टिकैत भी आये, उनको पंचायत में नहीं जाने दिया गया, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मान्यवर, मैं बार-बार सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं लेकिन सरकार की तरफ से क्या हो पायेगा, मुझे तो इस बात का अंदेशा है। यह इसलिये है कि तीन दिन से मैं बराबर प्रयास कर रहा था, इस विषय पर चर्चा करने के लिये। यह तो आपकी कृपा हुई कि हम आज चर्चा कर पाये। मान्यवर, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जो मांग की है, उनके साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के ट्रैक्टर जलाये गये हैं, उनकी हैसियत तो दोबारा ट्रैक्टर लेने की है नहीं कि वह दोबारा नया ट्रैक्टर खरीद सकें। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे, उस समय किसान आन्दोलन चला था, कुछ किसानों के ट्रैक्टर नहर में गिर गये थे, 12 लोगों को नये ट्रैक्टर दिये गये थे। उनका दिल बड़ा था, अपने लिये नहीं किया था, न उन्हें अपने लिये करने की इच्छा थी, 12 नये ट्रैक्टर किसानों को दिये गये थे। मेरे ही जनपद का मामला था। मैं मांग करता हूं कि जिनके ट्रैक्टर पुलिस ने जलाये हैं, उनको आप दे दीजिए।

जिनके ट्रैक्टर जले हैं, उनको नये ट्रैक्टर दे दीजिए और इसके अलावा जिन लोगों ने गोली चलाने के लिये उकसाया, क्या वह अब तक चिन्हित नहीं हो पाये हैं, उनका पता नहीं किया ? जिन लोगों ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ धारा-302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि वह उन्हें नहीं भड़काते कि दो पुलिस वाले मार दिये गये हैं तो वहां की स्थानीय पुलिस गोली नहीं चलाती। उनके खिलाफ निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज हो और उन्हें जेल भेजा जाए। मान्यवर, जो संवेदनशील सरकार होती है वह निश्चित रूप से सदैव सहायता देती है लेकिन आपने उनका मजाक बनाया, जो मृतक परिवार हैं, उनके लिये कभी 2 लाख घोषित कर दिये, कभी 3 लाख घोषित कर दिये। मजाक मत बनाइये और यह सरकार रहे या न रहे वह तो अलग बात है लेकिन जब तक है कम से कम इतनी इंसानियत तो अपनी तरफ रखिये कि 15-15 लाख रुपये की धनराशि मृतकों के आश्रितों को दे दी जाये। उनकी जमीन आपने ले ली, उनके कमाने वाले आदमी को आपने मार दिया, उनके पास गुजर-बसर का कोई साधन नहीं बचा। जिस परिवार की जमीन आपने ले ली हो, तो उनको मुआवजा बढ़ाकर दिया जाये।

(सत्तापक्ष के एक सदस्य के टोकाटाकी करने पर)

मैंने सुन लिया और यह अपेक्षा भी थी आपसे। आप 25 हजार भी न दो बल्कि जो बचा हो वह भी ले लो, चारपाई आदि तो बची होगी कुछ, ले आओ और उसको प्रदेश सरकार के खजाने में जमा कर देना। तो मान्यवर, 850 रुपये प्रति वर्ग मी0 का मुआवजा जो आपने औरों को भी दिया है और जिसको 2007 से प्रभावी किया है तो मेरा आग्रह है कि इसको 2006 से प्रभावी किया जाये ताकि यह किसान भी उससे लाभान्वित हो सके और जो फर्जी मुकदमें दर्ज करने का काम किया गया है और जो आतंक का माहौल है वह माहौल खत्म करें। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके अधिग्रहण की क्रिया-प्रक्रिया है इसको बन्द करें, उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण पूर्णतः प्रतिबन्धित हों और अगर किसानों की सहमति से ली भी जाये तो वह जमीन बाजार भाव से ली जाये। जबरदस्ती जमीन लेना कौन सा हथकण्डा है कि सरकार में बैठकर जबरदस्ती जमीन ले लीजिए और फिर वह जमीन बिल्डर को दे दीजिए, बनवा लीजिए 2-4 फ्लैट अपने लिये। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जी ने बड़ी सटीक बात कही, अपराधियों की बात कही, अपराधीकरण की बात कहीं। इस पक्ष को तो चिन्ता करने की जरूरत है नहीं। जो गलती से एक-दो आ भी गये इधर। इस बात की पहचान इतनी है, शायद इतना अच्छा रिकार्ड रखा तो इन्होंने, पिछले दो महीने से बराबर चिन्हींकरण चल रहा है कि किसी पर कोई मामला हो गया हो यहां तो कोई छोड़ा नहीं आपने। एक भी नहीं बचा और दिन वह आयेंगे जब आप जैसे भले आदमी तो हमारे साथ होंगे और वही वह वहां पर होंगे। क्योंकि जिस गति से आप अपना रहे हैं, अपनाइये, बहुत अच्छी बात है। मान्यवर, एक जांच की बात है। आपने भी शायद हाई कोर्ट के जज से जांच की बात कही है और हमारा जो अनुभव है, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन जो हमारा अनुभव है। अब रिटायर्ड तो रिटायर्ड ही होता है। 6 महीने तो वह अपना दफ्तर ढूंढेंगे, दफ्तर

ढूंढने के बाद उनके स्टाफ की नियुक्ति होगी। स्टाफ की नियुक्ति होने के बाद सोचेंगे कि एक साल के अन्दर क्या निपटाना। हम तो रिटायर आदमी हैं करना क्या है इसके बाद। आप किसी कार्यरत न्यायाधीश से जांच कराइये ताकि जनता का विश्वास बना रहे। रिटायर्ड जज से जांच कराने का मतलब तो यह है कि उसको पिटारे में डाल दिया हमने और आगे उसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। जांच के आदेश अलग होते रहेंगे, नोटिफिकेशन अलग होता रहेगा, जो मांग माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखी है उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि वह अधिकारी जिन्होंने गोली चलवायी है तुरन्त उनके खिलाफ कार्यवाही करके उनको जेल में भेजा जाये।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आज कल जो वातावरण बन गया था आपने सहृदयतापूर्वक इस विषय पर चर्चा कराकर उस वातावरण को सहज किया लेकिन एक बात तो कल ही तय हो गयी थी उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है कि कुछ तो था कि यह सरकार कल चर्चा से बचना चाहती थी। वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा के नाम को सुनकर, गोलीकाण्ड को सुनकर जैसे उसका अपराधभाव जाग जाता था और वह अपराधियों की तरह आचरण कर रही थी। वह यह आचरण कर रही थी कि इस पर चर्चा न हो, तो अच्छा है, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि इनकी साजिश जो थी उसको आपने असफल कर दिया। इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं नेता विरोधी दल को जिन्होंने कल बहुत सहृदयता के साथ समय दिया आपके कक्ष में और निश्चित रूप से उससे एक वातावरण बना। मैं बधाई देना चाहता हूं ओम प्रकाश जी, कौकब हमीद साहब का जिन्होंने मिलकर के एक मौका दिया कि जिन्हें हम जीते जी बचा नहीं सके और जिनके मरने के बाद हम शोक श्रद्धांजलि वहां अर्पित नहीं कर सके, कम से कम इस सदन में बैठकर उनके प्रति न्याय दिलाने के लिये जो वाणी देने का काम किया है इसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, कुछ बुनियादी तथ्य उटाना चाहता हूं। सबके सब रख दिये हैं नेता विरोधी दल ने और उनसे जो बचा उसे हुकुम सिंह जी ने रखा है उसको दोहराने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो घटना हुई है अगर इसकी कहीं तुलना की जा सकती है इतिहास में तो आजादी के लिये संघर्ष के दौरान जलियावाला बाग से की जा सकती है और आजादी के बाद नन्दी ग्राम, और सिंगुरा की घटना से की जा सकती है। यह उन दोनों का मिश्रण है। वहां भी जमीन अधिग्रहण का मामला था। यहां भी ज्यादतियों की हद कर दी गयी। पुलिस वालों ने जुल्म ज्यादती की सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। जहां गोली कांड हो रहा था वह तब तक चला जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गयीं, जिस तरह से जनरल डायर ने तब तक गोलियां चलायी थी जब तक उसकी गोलियां खत्म नहीं हो गयी थीं, वरना वहां और लाशें होतीं जिनका हम हिसाब मांग रहे होते। मान्यवर, मैं

यह कहना चाहता हूं कि आखिर क्रोध का क्या कारण ? मान्यवर, जब किसान यह देखता है कि जो उसकी जमीन चार पांच सौ रुपये में ली जाती है और फिर वही जमीन एक साल के बाद दसियों हजार में बेची जाती हैं तो यह उसका क्रोध का कारण बनता है। मान्यवर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आक्शन हुआ, यह दुनिया की सबसे महंगी जमीन का आक्शन कहा जाता है। सबसे महंगी जमीन की नीलामी नोएडा में हुई लेकिन किसान को क्या मिला, सौ रुपया। तो किसान यह देखता है कि उससे जमीन कौड़ियों के दाम ली जाती है और फिर वही जमीन महंगे दामों पर बेची जाती है तो यह उसका क्रोध का कारण है। मान्यवर, सरकार का क्या फर्ज है। उद्योग बढ़ें यह हम भी चाहते हैं, विकास भी हो यह हम चाहते हैं, लेकिन सरकार का यह फर्ज है कि जिस किसान की जमीन लें उसका उचित मुआवजा दिया जाय और अगर उद्योग लग रहे हों, विकास हो रहा है तो उनको उचित वातावरण दें। श्रीमनु, क्षमा करें मैं बहुत सफाई से कहना चाहता हूं कि इस समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जमीन की तुलना अगर किसी से हो सकती है तो वह दुधारू गाय से हो सकती है। जितना दुह सको उससे दुह लो। जितना जमीन से बिक्री होती है उतनी ही जमीन का बगैर पैसे का उसका हिसाब किताब होता है, यह आम आरोप है। सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसान को मालूम हैं। मालूम बहुतों को है मगर बोले कौन ? सच्चाई यह है कि जिस दाम पर दिया जाता है लगभग उतना ही दाम बीच के लोग ले लेते हैं और उसके बाद भी जमीन कई गुना ज्यादा है तो मान्यवर, क्रोध का कारण यह है, चिन्ता का कारण यह है, उत्तेजना का कारण यह है। मान्यवर, सही बात तो यह है कि आखिर जमीन लेते क्यों हैं आप। लेते हैं आप उद्योग लगाने के लिये। मेरा दावा है सरकार रख दे सब। मैंने इसी विधान सभा में उठाया था मैं भी रख दूंगा। कितनी उद्योग के लिये जमीन लेते हैं उद्योगपति आपसे ? और उद्योग आपके यहां नहीं लग रहे हैं। उद्योग लग रहे हैं उत्तराखण्ड में, हरियाणा में। जमीन आपसे ले रहे हैं और पलायन वहां क्यों हो रहा है ? क्या आप बता सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ आपका। मान्यवर, वहां लाटरी लगी है कि जमीन लो, रखो, किसी नाम से लो, और पांच साल, दस साल बाद कई गुना ज्यादा होने पर बेच दो। मेरा सरकार से यह कहना है कि जब आप जवाब देने के लिये खड़े होइयेगा तो आप बता दीजिएगा कि कितने उद्योग लगे और उनकी भी सूची रख दीजिएगा कि जितने उद्योग लगे थे उसमें से कितने उत्तराखंड चले गये और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं यह सूची रख दूंगा जो उत्तराखंड गये। कहीं कुछ न कुछ कमी तो है। जो जमीनों का काला धंधा हो रहा है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वही कारण है मान्यवर, इस गोली काण्ड की, वही जड़ है इस गोली काण्ड की और जब तक उस कारण को आप समाप्त नहीं करेंगे यह चलता रहेगा। मान्यवर, थोड़ा बहुत कानून मुझे भी आता है, थोड़ा बहुत मेरा भी अनुभव है। यह लाठी चार्ज, गोली काण्ड, गोली चलाने का पुलिस को अधिकार है, मैं उससे इन्कार नहीं कर रहा हूं लेकिन गोली कब चलायेंगे

आप, किन परिस्थितियों में चलायेंगे और गोली किस तरह चलायेंगे मान्यवर, यह प्रश्न ही आज सदन के सामने है। मान्यवर, एक चित्र तो दिखाया गया पर कदाचित उस चित्र पर नजर नहीं पड़ी जो दो चित्रों को जोड़ कर देखने पर बात समझ में आती है। यह तो दिखाया गया, वेदना में उठे हुए हाथ जोड़ते हुए उस किसान का चित्र तो दिखाया गया मान्यवर, जिसको गोली लगी हुई है और वह पड़ा हुआ है पर मान्यवर, उसी के बाद अगर दूसरा चित्र देख लें तो अगर कहीं ममता होगी तो कराह उठेगी। वही इन्सान और वही दो पुलिस वाले जिनसे वह रहम की भीख मांग रहा था, दूसरे चित्र में वही लाश को घसीटते हुए ले जा रहे हैं यानि वह लाश तो तब तक नहीं बना था। यह कहना गलत है कि वह लाश हो गया था और लाश को घसीटा जा रहा था। सच्चाई तो यह है मान्यवर, उसके कपड़े देख लें, उन दोनों पुलिस वालों के कपड़े देख लें, बैकग्राउण्ड को आप देख लें, मान्यवर, पहले वह उन्हीं से हाथ जोड़ रहा है और हाथ जोड़ने के बाद फिर उसी को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। मान्यवर, वह लाश नहीं थी, वह मौत के कगार पर पड़ा हुआ एक इन्सान था, जिसकी जान बची थी, जिसको निर्ममतापूर्वक घसीट कर जान ले ली गई और उसके बाद भी पुलिस का जस्टीफिकेशन होगा गोलीकाण्ड। क्या यही आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई थी ? क्या इसी को पुलिस का आत्मरक्षार्थ मान लिया जायेगा तो मुझे दुःख होगा कि अपराध वह करें और बचायें आप उनको यहां। अगर अपराध उनसे हुआ है तो दृढ़तापूर्वक यहां खड़े हो कर उन दोषियों को दण्ड देने की बात करिये। लेकिन अगर आप उनको बचाने की बात करते हैं तो निःसंदेह कहीं न कहीं आपकी नीयत में खोट है। मैं यह आपसे कहना चाहता हूं। क्यों आप गुनहगारों का साथ दे रहे हैं ? जिन्होंने यह किया है। मैं यह चित्र आपको दे रहा हूं 14 तारीख के अखबार में दोनों चीज देख लीजिए, वह पहले रहम की भीख मांग रहा है, हाथ जोड़ के, गोली लगी हुई है, खून निकल रहा है उसके सीने से, उसी के बाद उसको घसीटते हुए दिखाया जा रहा है। मैं मान्यवर, यह भेज दूंगा आपके पास। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं यह किस तरह जस्टीफाई करेंगे आप, आप किस तरह से, किस नजर से, किस कानून से मान्यवर, आप यह समझायेंगे हमें कि पुलिस की गोली ठीक चली। मान्यवर, मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, गोली तो आप उतनी ही चलायेंगे न, लाठी तो आप उतनी ही चलायेंगे न, जितना अगर एक क्राउड, एक भीड, मान्यवर, अगर अनियंत्रित हो गई है, गैर कानूनी मजमा बन गया है, तो गैर कानूनी मजमे को हटाने के लिए तब तक आप बल का प्रयोग करेंगे जब तक वह मजमा हट नहीं जायेगा, लेकिन अगर एक आदमी आपके पास खड़ा हो मान्यवर, मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को, जिन लोगों ने, जिन चैनल्स ने दिखाया है कि एक आदमी को घेर रखा है और दस लोग बहादुरी के साथ उसको मार रहे हैं। मान्यवर, यह कहां से जस्टीफाई होता है ? इन दो-तीन सवालों का जवाब आपको देना होगा और आज यह तय होगा मान्यवर, कि इन नृशन्स हत्याओं को, मैं इसे गोलीकाण्ड नहीं मानता, मैं इसमें जांच की जरूरत भी नहीं समझता, यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है

मान्यवर, सोची समझी रणनीति के तहत कनपटी में गोली मारना, कहीं से भी मान्यवर, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा बल का प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। एक इन्सान जो रहम की भीख मांग रहा है उसे घसीटना, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो सकता है मान्यवर, और वह काम कोई पुलिस की वर्दी पहन कर करने वाला इन्सान नहीं कर सकता। वह पुलिस की वर्दी के भेष में छिपा हुआ कोई अपराधी ही कर सकता है और अगर अपराधी करता है तो उसे 302 के अन्तर्गत दण्डित किया जाना चाहिए। जूडीशियल जांच की रिटायर्ड जज से लीपा-पोती करना, आपकी नीयत पर शक पैदा करता है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं आप देखते हैं। मैं तो आपसे यही मांग करता हूं कि एक सर्वदलीय समिति आप बना दीजिए। ले लीजिए उसमें सपा के लोगों को, बसपा के सदस्यों को रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और लोकदल के सदस्यों को ले लीजिए। हम लोगों को पुलिस के एस्कार्ट में भेज दीजिए वहां पर। हम लोग वहां पर जाकर सब कुछ देख लेंगे और आपको आकर वस्तुस्थिति बता देंगे। मान्यवर, अगर इस सरकार में साहस हो तो हमारी इस चुनौती को स्वीकार करें और सर्वदलीय समिति बना दें। लेकिन नहीं आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे। आप एक रिटायर्ड जज को जांच सौंप देंगे। क्षमा करें आप उस व्यक्ति को जांच सौंप देंगे जिसकी नौकरी जा चुकी है जिसको नौकरी की जरूरत है। आप उनसे साल दो साल तक जांच करायेंगे फिर उसका कार्यकाल बढ़ जायेगा। जैसा कि एक जांच आयोग का कार्यकाल चल रहा है पिछले पन्द्रह साल से वह जांच का कार्य कर रहा है और हर बार दो-तीन महीने के लिए उसका समय बढ़ जाता है। क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन उनकी जांच की कार्यवाही पूरी हो जायेगी उनका काम खत्म हो जायेगा और सारी सुविधाएं समाप्त हो जायेंगी।

मैं कहूंगा कि आप किसी सिटिंग जज से इसकी जांच करा लें। वह तत्परता से उसकी जांच का काम पूरा कर देंगे और सही निष्कर्ष से आपको अवगत करा देंगे। इसलिये आप किसी सेवारत जज से इसकी जांच करायें। अगर आप किसी ऐसे जज से जांच करायेंगे जिसे नौकरी की तलाश हो तो फिर हमें यह लगेगा कि आपकी नीयत ठीक नहीं है।

मान्यवर, दो चार लोगों की मौत हो जाये उसके बाद भी घटना पर लीपापोती की कार्यवाही की जाये दोषियों को बचाने की कोशिश की जाये इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। मान्यवर, अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने कुछ सुझाव दिये हैं कि कुछ लोगों को लिया जाये, उनको काम पर रख लिया जाये। मैं कुछ और सुझाव भी देना चाहता हूं।

मान्यवर, आप देखें संसदीय कार्य मंत्री जी उठकर जा रहे हैं। क्या इसी समय उनको लगनी थी।

श्री अध्यक्ष-

यह आप कैसे जान गये कि उनको लगी है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप अनुमति दें तो हम उनका फिजिकल वेरीफिकेशन करके बता देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब सदन में लौटकर आयें तो बता देंगे कि उनको किस नियम के अन्तर्गत लगी थी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को एक उंगली दिखाकर चले गये कि जरा जा रहे हैं। यह तो बचपन में दिखायी जाती थी। आप दिखाते थे या नहीं यह मुझे नहीं मालूम है।

मान लीजिए कि मौत हो चुकी है। वह आखिर इंसान थे आप देखें कि किस तरह से उनको घसीटा जा रहा था। मान्यवर, हमारी भारतीय संस्कृति में यह है कि कोई मजहब या धर्म नहीं देखा जाता है जब कोई शव जा रहा है तो उनको सम्मान दिया जाता है। यह इस देश की परम्परा रही है कि कोई पार्थिव शरीर जाता है तो उसके सम्मान में लोग सिर झुका लेते हैं। हर मजहब में उसको इज्जत दी जाती है। आज यह जो कुछ हो रहा है यह कौन सी ट्रेनिंग आपकी है। मर जाने के बाद लोगों की लाशों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। आप जब खड़े होंगे तो उनको आप डिफेन्ड करेंगे। उनकी फोटो आपके सामने है जिसमें घसीटते हुए दिखाया जा रहा है। आप उन दोनों लोगों को सेवा से पृथक करने का काम करें। कहीं पर तो आपकी ईमानदारी हमें दिखे। लेकिन आप नहीं करेंगे। इसलिये नहीं करेंगे क्योंकि जैसा मैंने शुरू में मैंने कहा था इसका कारण कुछ और है। यहां तो आप आतंक का वातावरण पैदा करना चाहते हैं किसानों के दिल में डर पैदा कर देना चाहते हैं कि हम आपकी जमीन लेंगे। फिर वही जमीन आप मंहगी कीमतों पर बेचेंगे। नहीं देंगे तो आपका भी वही हश्र होगा जो 13 अगस्त को लोगों का हुआ है। यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह होता है। मान्यवर, एक पड़ोसी देश में आपने स्वयं देखा है लेकिन उस पड़ोसी देश के साथ क्या हश्र हुआ यह जानते हैं। हमने एक दूसरे पड़ोसी देश का हाल भी देखा है उनका क्या हश्र हुआ है। अगर आप भी उसी रास्ते पर चलते रहे तो आपका भी वही हश्र होगा। जो इन दोनों देशों का हुआ है अगल बगल के देशों का हुआ है। अगर इसी रास्ते पर आप चलते रहे तो आपका हश्र भी वही होगा। मान्यवर, बड़े-बड़े बहुमत सरकारों के रहे हैं लोकप्रिय सरकारें रही हैं लेकिन अगर वह तानाशाही के राह पर चली हैं उनके जुल्म की इंतिहा जब बढ़ जाती है तो फिर कहीं न कहीं से ऊपर का फैसला होता है और जिस फैसले के सामने सबको सिर झुकाना पड़ता है। एक बात खासतौर से जरूर कहना चाहता हूं कि आज इस बात पर विचार हो जाये कि आखिर इस

सरकार को खतरा किससे है। मुलायम सिंह जी से या राजनाथ सिंह जी से है या दिग्विजय सिंह जी से है जो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं या परवेज हाशमी जी से है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता, चौधरी अजीत सिंह वहां गये, क्या इनसे आपको खतरा है और फिर खतरों से खेलने के तो आप आदी हैं आप तो पारस पत्थर हैं पारस पत्थर के बारे में कहानी मशहूर है कि जो छू लेता है वह सोना हो जाता है और फिर आप वह पारस पत्थर हैं आज के कलियुग में कि अगर इधर रहता है तो अपराधी हो जाता है और आपकी तरफ चला जाता है तो सन्त और महात्मा हो जाता है और यह कहानी एक बार नहीं कई बार आपने दोहराई। कर रहे हैं आप करते रहिये आप मान्यवर, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इन नेताओं को रोकना लोकतंत्र की हत्या के बराबर है और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा उन मांगों को अपने से जोड़ते हुए उसमें एक मांग जरूर मैं जोड़ना चाहता हूं कि जैसे सर्वदलीय समिति वहां पर जाय, वहां पर लोगों की सर्वदलीय समिति वक्त की जरूरत है वक्त की नजाकत है कि वहां पर जाय शान्ति कायम करें, हम अकेले नहीं जाना चाहते हैं। हम आपको लेकर चलना चाहते हैं। आप बताइये हम बतायें सब मिलकर बतायें कि वहां शान्ति कैसे हो और दोषी कौन है मान्यवर। निःसंदेह एक बात जरूर यह होनी चाहिये। मान्यवर, इसमें लम्बी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। जो मैंने कहा है कि जो लाश घसीट रहे थे उनके खिलाफ कार्यवाही की घोषणा तत्काल हो, जिसने कनपटी पर सटाकर गोली मारी है उसके खिलाफ कार्यवाही हो, जिसने मान्यवर, नजदीक से गोली चलाई है उनके खिलाफ कार्यवाही हो। उन पर सीधे-सीधे भारतीय दण्ड संहिता 302 के अलावा न किसी जांच की जरूरत है न किसी पक्ष की जरूरत है। आप तो कभी मान्यवर, किसी पर लगता है आरोप तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम करती हैं तो यहां मुकदमा कायम करने में हिचक क्यों रहे हैं। एक तरफा तो आपने मुकदमा कायम कर दिया जो किसान हैं उन पर मुकदमा कायम कर दिया जो मर गये उन पर कायम कर दिया जो घायल थे उन पर कायम कर दिया घायलों पर ही नहीं मान्यवर, उस अस्पताल में जो उनके तीमारदार गये थे उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। यह कहां की मानवीयता है यह कहां की मानवता है। मैं इस पर सीधा जवाब चाहता हूं और जरूर कहना चाहता हूं कि जो मृतक परिवार हैं उनके परिवारजनों में एक को जरूर सेवा में लेने की घोषणा यहां पर होनी चाहिये इसके साथ ही साथ एक कानून बनना चाहिये कि जिनकी जमीन ली जाय उनको प्राधिकरण में सेवा में रखा जाय और सरकार से आग्रह करूंगा कि वह बिचौलिये और दलाल की भूमिका बन्द करे किसानों को अगर अपनी जमीन बेचना है तो जिससे लेनी है सीधे उनके बीच में बैठे और जो वहां सुविधायें देना है वह सुविधायें सरकार अपनी तरफ से मुहैया कराये। तो मैं समझता हूं कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं सर्वदलीय समिति से आग्रह आपसे आज और अभी करता हूं।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर,

जिस खेत से ढ़हकाकर मयस्सर न हो रोजी,
उस खेत के हर गोशये गन्दुम को जला दो।
कारखानाए उमरा के दरो-दीवार को हिला दो।।

मान्यवर, बहुत कम होता है कि हम इस सदन में ऐसी बात की चर्चा करें जहां हमें जो सरकार हमारी हो, जो सरकार हमारी है उसकी तुलना जनरल डायर की गोलीबारी से हो, बहुत कम होता है और यह अफसोस की बात है, हम सबके लिये अफसोस की बात है कि हमें उस सरकार को जहां वह श्रेणी देनी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने ऐसा काम 13 तारीख को किया है कि जिसके लिये उन्हें जालियावाला बाग भी शर्मिंदा कर देता क्यों ? और कोई पूछे कि भाई यह आपने खड़े होकर किसानों पर गोलियां क्यों चलवा दी क्या जरूरत पेश आ गई थी आपको, ऐसी कौन सी मुसीबत आई थी वहां। मान्यवर, जमीन को लेकर 200-300-400 रुपये में उनको बेचते हैं 5000 रुपये में। और बात सही है कि वह बाकायदा जो नोएडा में जमीन बिकी उसका जो रेशियो आया है वह दुनिया की मंहगी दर मंहगी जमीनों में आया है तो यह बात समझ में तो आ रही है कि आखिर क्या वजह है कि किसानों को अपनी जमीनों का सही मुआवजा देने के लिये गोली चला दी। मान्यवर, दुनिया के किसी कानून के अन्दर कोई कानून नहीं है जहां आपको हुक्म यह देना पड़े रिपूसूट का। यह मान्यवर, केवल जंग के अन्दर होता है या तो यह सरकार कहे कि हां हम किसानों से जंग कर रहे थे और हमारा लक्ष्य है कि हम किसानों को मारेंगे। यह लक्ष्य है अगर आपका, तो मारो गोली और मारा आपने। नहीं तो शूट ऐट साइड आर्डर और शूट किल्ड आर्डर कभी नहीं दिया जाता है। यहां सबूत है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रेस वालों को मान्यवर, कि फोटोग्राफ्स हैं, टी0वी0 हैं, चैनल्स हैं, वह हाथ जोड़ रहा है फोटोग्राफ्स में, कह रहा है कि हमें बचा लो। अगली बार वह मौत का शिकार हो जाता है, उसे घसीट करके ले जा रहे हैं और संवेदनशील भी हो। अगर यह माना जाता कि वह किसी मुल्क में हुआ जैसे कि बांग्लादेश ने किया था हमारे सिपाहियों के साथ तो हाहाकार मच गया कि दुनिया के अन्दर। शर्मिन्दा होना चाहिए आपको, मैं तो यह मानता था कि अगर आप संवेदनशील बताते हो अपने आपको तो आज आप नेता प्रतिपक्ष से पहले खड़े होते और कहते कि हम प्रस्ताव करते हैं निन्दा का, जो काम हमारे सिपाहियों ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, उसकी हम निन्दा करते हैं कि पांच लोग मार दिये गये, हमने उन्हें मारा है जान से। गोली कनपटी पर रखकर आप गोली चला दें, यह कहां का दस्तूर है ? मान्यवर, यह बात सरकार को मान लेनी चाहिए कि उन्होंने वह काम किया है जो जनरल डायर ने किया था। अब मान्यवर, सवाल आता है कि यह जो 52 लोग जख्मी हुए हैं और पांच मरे हैं उनको आप मुआवजा दें। मुआवजे का मापदण्ड तो हुआ नहीं,

क्या मुआवजा देंगे आप, मरने वाले को क्या मुआवजा देंगे आप, जमीन तो आप उसकी ले ही चुके हैं। आप उसे वह मुआवजा दें जो मुआवजा कम से कम उसके परिवार पे जाये और आप वहां जायें और उसके परिवार से पूछें, उसकी बेवा से पूछें, उसके यतीम बच्चों से पूछें कि उसको क्या चाहिए उसके बाप की मौत का मुआवजा ? 10 लाख, 15 लाख जरूर दें लेकिन आप वहां जायें क्योंकि आपने उन्हें जान करके मारा है और मान्यवर, जब आपने उन्हें मारा है। आप क्योंकि संवेदनशील हैं यह आपने वायदा कर रखा है, पूरी दुनिया में करते हैं, प्रदेश में करते हैं कि हम सजा देंगे उसको जो ज्यादती करेगा। तो मान्यवर, आपके लोगों ने ज्यादती की तो मैं यह चाहता हूं कि आप यहां इसी सदन में जब आप जवाब दें, तो उनको टर्मिनेट करें, 302 का मुकदमा चलायें क्योंकि उनके खोखे भी मौजूद हैं और वह सारी चीजें मौजूद हैं। जिन लोगों ने मारा है उन पर 302 का मुकदमा हो और वह यहीं इसी सदन के अन्दर टर्मिनेट हों। दूसरी बात मान्यवर, जब 18 तारीख में नेता लोग पहुंचे, चौधरी अजीत सिंह पहुंचे अपने लोगों के साथ तो आपने उन्हें बड़ी बेइज्जती के साथ जो नहीं करना चाहिए नेताओं के साथ, आपने उन्हें रोका। सभी ने आपसे पूछा है कि उनसे आपको दिक्कत क्या थी, उनसे आपको कौन सी परेशानी थी और क्या वजह थी जो उन्हें आपने रोका, उनसे आपको क्या डर है ? वह वहां भड़कायेंगे, भड़का तो आपने ही दिया, अब भड़काने के लिये रह क्या गया था वहां, जो मरने थे वह मर गये, जो जख्मी होने थे वह जख्मी हो गये, जो तीमारदार थे वह भी पिट गये। सारे काम जो होने थे वह तो आपने ही कर दिये तो जो नेता गये थे बेचारे, आखिर आप हैं, हम हैं, सभी हैं, हम लोग यहां बैठे इसीलिये हैं क्योंकि हमें जनता ने बैठाया है तो हमारा अधिकार बनता है कि हम वहां जायें। आपने उन्हें रोका और जहां आपने रुकवाया वहां बत्ती भी खत्म कर दी और पानी भी नहीं मिला, यह सब तमाशे तो आपने किये। तो आपको क्या परेशानी थी, उनके जाने से क्या परेशानी हो सकती थी। मान्यवर, यह बात सही है कि जो जांच आपने रिटायर्ड जज से कराने की बात कही है, उसके लिये हम सबकी मांग है कि यह जांच एक सिटिंग जज से होनी चाहिए और उस जांच की घोषणा से पहले अगर आप यह घोषणा कर दें और एक समिति बना दें, कि हम सब चले और यह भी चलें जिसमें आपके ज्यादा लोग चलें और आपके नेतृत्व में यह समिति चले मगर सामने जाकर पता तो चले कि आपने यह क्या कर दिया और आप भी चलें अध्यक्ष जी। हम आपके नेतृत्व में चलेंगे। यह एक संवेदनशील मसला है। मुझे याद नहीं है शायद किसी को भी याद नहीं होगा कि आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर कम से कम हाउस के अन्दर हमको ऐसा भाषण देना पड़ा हो। यह हमारे लिये खुद अफसोस की बात है कि हम ऐसी सरकार के अन्दर हैं जो सरकार खूनी सरकार है। मान्यवर, मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं इस यकीन के साथ, कि जो कम्पन्सेशन है किसानों का, वह तो आप जाकर देंगे ही और ज्यादा से ज्यादा देंगे। एक बार जाकर अपना दिल तो आप दिखायें और कहें कि हमने तुझे गोली मारी है तू यतीम हो गया है। तू ही बता कि तेरे बाप की कीमत हम क्या दे सकते हैं। जिन की जमीन ली गयी है,

उनका एक-एक मान्यवर, और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के दो-दो सदस्य को नौकरी दी जाय। जो जख्मी हुए हैं उनको दो-दो लाख और जो 5 मरे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। उनको तो जाकर आप देखें।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप पीछे जरा देखें, कम से कम 15 लोग खड़े हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने वहीं की घटना के बारे में बताया है। यह सब लोग भी वहीं की घटना के बारे में बताये हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मदन चौहान जी को सुन लें, उनके क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

क्षेत्र का मामला है, वह तो ठीक है लेकिन उसको नेता प्रतिपक्ष और दलीय नेताओं ने बता दिया। आप ही न्याय करें। आप सहयोग करें, सभी दल के लोग खड़े हो रहे हैं।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मुझे सुन लें, मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता, कांग्रेस, माननीय नेता लोकदल बोल चुके हैं। अब कोई कह दें कि हमारे घर का है, बगल का है, पड़ोस का है तो एक ही विषय पर हम चलाते रहेंगे सदन को। डेढ़ घण्टा बुलवाया गया है इसी विषय पर।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह परम्परा उचित नहीं है।

(श्री मदन चौहान के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी ही बात को नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा हैं अब हम क्या हर दल के चार-चार लोगों को बुलवायें। डेढ़ घण्टा मैं इस पर बुलवाया हूं। आपका समादर किया है। थोड़ा हमको भी एडजस्टमेंट करें। यह महत्वपूर्ण विषय था किसानों से जुड़ा मसला था, मैंने सुन लिया। अभी तमाम विषय हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बुलवाने का अनुरोध करने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, अरे गुस्सा मत होइये। यह मौके पर थे और क्षेत्र का मामला है। यह परम्परा रही है कि अगर वहां का सदस्य है तो उनको मौका दिया जाता है। अगर ओम प्रकाश

सिंह जी बोलेंगे, थोड़ा और लोग बोल लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अभी तो दो घण्टा हुए भी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अगर हमें पता चला होता तो हम मौके वाले को पहले बुला लिये होते। गैर मौके वाले को बाद में बुलाते।

(चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आपके साथ कोई घटना नहीं हुई। यह ग्रेटर नोएडा का मसला है, आपका कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है। मैंने कह दिया मैं नहीं सुनूंगा। आप बैठिये।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे साथ जो घटना घटी है, वह बात आपको सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, आपसे क्या मतलब, आपके नेता बोल चुके हैं।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सदन व्यवस्थित हो जाने दीजिए।

(मा0 सदस्य श्री मदन चौहान और चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी के अपने आसन पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मदन चौहान जी, आसन ग्रहण करिये।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पीड़ा इस सदन में रखना चाहता हूं। मेरी बहिन ग्रेटर नोएडा में रहती है। रक्षाबन्धन के दिन राखी बंधवाने के लिये मैं अपनी पत्नी के साथ वहां जा रहा था.....

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मनोज की कनपटी पर गोली मारी गयी, श्री गोपाल रावल को उसके बेटे की उपस्थिति में गोली मारी गयी। कुछ पुलिस कर्मियों के सहयोग से यह कहते हुए कि बाप तो मर ही गया है बेटे को मत मारो, से गोपाल के बेटे सोनू की जान बची। मृतक सत्येन्द्र उर्फ सत्ते जो घायल अवस्था में खेतों की ओर भागा, जंगल में मृत पाया गया। कुछ घायल अभी भी भागकर दिल्ली एम्स में, फोर्टिस अस्पताल नोएडा में जिन्दगी-मौत से जूझ रहे हैं। पिछले सत्र में मैंने यह

मुद्दा नियम-51 में उठाया था उस पर शासन ने लीपापोती करके जवाब दिया। एक वर्ष से यह किसान संघर्ष समिति किसानों की आवाज उठाकर मुआवजे की मांग कर रही थी। सबसे बड़ी विडम्बना यह रही कि घायल बूढ़ों को, महिलाओं को, बच्चों को तथा घायलों के परिजनों को अस्पताल में भी डण्डों से पीटा गया। मृतकों के शव भी उनके परिजनों को नहीं सौंपे गये जिससे उनके परिजन ठीक प्रकार से दाह-संस्कार व अन्तिम दर्शन नहीं कर पाये और न ही उन्हें कंधा दे सके। ये सब मृतक मात्र एक-एक बीघे के काश्तकार रहे हैं अतः इनको सहायता राशि मिलनी चाहिए और सभी बंदी किसानों को बिना शर्त, बिना मुकदमे के छोड़ा जाए। परिवार के एक-एक सदस्य को प्राधिकरण में नौकरी दी जाए, अज्ञात में अन्य लोगों को न फंसाया जाए।

श्री अध्यक्ष-

चौहान जी आपकी बात आ गयी, अब बैठिये, अब नहीं लिखा जा रहा है।

(इसी बीच श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही के खड़े होकर बोलने पर)

(श्री ओम प्रकाश सिंह भी अपने आसन पर खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष-

सिरोही जी, आप वरिष्ठ सदस्य है जब आपके दल के नेता की पूरी बात आ गयी तो फिर उसमें अब आप क्या बतायेंगे ? कृपया आसन ग्रहण करिये।

मदन चौहान जी, एक चीज हमें बताइये नेता प्रतिपक्ष जी और अन्य दलीय नेताओं ने जितना उस विषय के संदर्भ में बताया है उससे आप और अच्छा बतायेंगे, इसके मायने उन्होंने गलत बताया होगा, आप अब सही बताने जा रहे हैं। इसमें फिर आप नई बात जोड़ेंगे तो इससे कन्ट्रोवर्सी बढ़ेगी। कृपया बैठिये।

मा0 ओम प्रकाश सिंह जी खड़े हैं विधान मण्डल दल के नेता हैं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि दो मिनट के लिये मैं ओम प्रकाश सिंह जी को सुनूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है कि अगर कोई चर्चा होती है तो उसमें संख्या के आधार पर समय देने की परम्परा रही है तो अगर चर्चा करा रहे हैं तो प्रतिपक्ष और विपक्ष को बराबर संख्या में समय मिलना चाहिए। आपने एक बढ़िया वातावरण बनाने के लिये सभी दलीय नेताओं को अवसर दे दिया। दलीय नेताओं या उनकी जगह अपने दूसरे सदस्य को अवसर दिया। मेरी पूरी बात आ जाने दें उसके बाद अगर आवश्यकता समझेंगे तो उसके बाद उनको सुन लिया जायेगा।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, एक किसान घायल अवस्था में था तो उसकी कनपटी पर गोली मार दी और यह कहा कि यह लो मुआवजा। सत्तर-अस्सी साल के लोगों को सरेआम गोलियों से भूना गया।

श्री अध्यक्ष-

मदन चौहान जी, अब बैठिये। नई बात ले आयेंगे तो घटना में अन्तर हो जायेगा, इसलिये आप चौपट कर देंगे। जो नेता जी ने बता दिया है उसी पर ज़ोर दीजिए और एक मिनट में कह दीजिए कि अपने नेता जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं अपने को नेता जी ने जो तथ्य रखे हैं उससे सम्बद्ध करता हूं। मैं सदन में यह बताना चाहता हूं कि यह आन्दोलन कोई राजनैतिक नहीं था। किसान संघर्ष समिति आन्दोलन चला रही थी। कई गांवों का मुआवजा जो इसी से सम्बन्धित है प्राधिकरण दे चुका है। इस सौतेले व्यवहार के खिलाफ किसानों में आक्रोश है। इसकी जांच सी0बी0आई0 या हाईकोर्ट के जज से जनहित में कराना अत्यन्त आवश्यक है। मान्यवर, सारी संस्थाएं और सारे स्कूल बंद कर दिये गये, चारों तरफ इतना सन्नाटा पसरा है। जिन्होंने गोली चलायी, एस0डी0एम0 शैलेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह उनके विरुद्ध धारा-302 की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो सब जगह असंतोष भड़केगा। मान्यवर, जो पीड़ित है उनको कम से कम 20 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए और अभी भी निर्दोष लोगों को फंसाना जारी है, वह बंद होना चाहिए। वहां पर निर्दोष लोगों को फंसाना जारी है।

श्री अध्यक्ष-

चौहान जी अब आप बैठ जाएं मैंने ओम प्रकाश सिंह जी को बुला लिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने इनकी जगह हुकुम सिंह जी को बोलने का अवसर दिया था।

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश सिंह जी भाजपा विधान मण्डल दल के नेता हैं। वह दो मिनट में अपनी बात रख लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं मैंने कल भी कहा था कि आप निश्चित रूप से सदन के अन्दर सौहार्द्र बनाने का निष्पक्ष तरीके से प्रयास करते हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं इसके लिये पूरे सदन के नेताओं ने आपके प्रति आभार व्यक्त किया है। इस सरकार के बारे में जो बातें यहां पर हुई हैं उन सबके बारे में एक ही शब्द में कह सकता हूं कि यह सरकार अत्यन्त बर्बर है। उसमें संवेदनहीनता भी है, अमानवीयता भी है अत्याचार भी है और क्रूरता भी है सब कुछ एक शब्द में आ जाता है। सरकार के गठन को सवा साल हो गये हैं इस सरकार के बारे में जो बातें सभी नेताओं ने रखी हैं मैं उससे अपने को पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं सभी ने जो संसदीय समिति बनाने की बात कही है उससे अपने को

सम्बद्ध करता हूं। लेकिन हमारी जो आशंका है वह भविष्य की है मैं वर्ष 1974 से इस सदन का सदस्य हूं लेकिन किसानों के प्रति सवा साल के शासन काल में सरकार संवेदनशील ही नहीं क्रूर भी सिद्ध हुई है। चाहे ताज एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे, बादलपुर, ग्रेटर नोयडा का प्रकरण हो, रमाबाई पार्क बनाने की बात हो इन सभी में गांव उजाड़े गये हैं, उजड़ने वाले हैं। उपजाऊ भूमि ली जा रही है, उपजाऊ भूमि ली जाने वाली है। गंगा एक्सप्रेस वे में सर्वे के समय जगह-जगह ढेलेबाजी की घटनाएं हो रही थीं। किसानों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होगा व्यवसायिक होगा या कल्याणकारी सरकार का होगा। कल्याणकारी यह दृष्टिकोण है कि जिसके पास पूंजी है वह जमीन जिसके प्रति 70 प्रतिशत आबादी आश्रित है वही सबसे गरीब है। किसान की समृद्धि की बात की जा रही है। सांख्यकी डायरी 2007 का वितरण हो चुका है उसमें देखें इस प्रदेश में पिछले 13 साल से कृषि क्षेत्र की विकास दर .1 है। वर्ष 1993 में यह 1.1 थी वर्ष 2007 में यह 1.2 हो गयी। 1.1 की दर से कृषि क्षेत्र जिस पर 70 प्रतिशत जनसंख्या आश्रित है। मैं इस सदन में पुनः कह रहा हूं कि जिस रफ्तार से सवाल साल के अन्दर किसान की उपजाऊ भूमि लेने का प्रयास हो रहा है आने वाले 2022 तक प्रदेश में कृषि उत्पादन में खाद्यान्न में अभाव हो जायेगा क्योंकि उपज बढ़ नहीं रही है कृषि क्षेत्र गिर रहा है खाने वाली आबादी निरन्तर बढ़ रही है तो जब खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ेगा बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि इस साल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। पिछले वर्ष 419 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2000-01 में 441 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था जो कि हायस्ट उत्पादन था। वर्ष 2022 में आवश्यकता होगी 550-600 लाख मीट्रिक टन की क्योंकि आबादी करीब 24 करोड़ के आसपास होगी लेकिन इस हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन होगा नहीं इससे खाद्यान्न का संकट हो जायेगा। जिस तेजी से आप उपजाऊ जमीन ले रहे हैं उस पर नीति बनाने की आवश्यकता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण हो या कल्याणकारी दृष्टिकोण हो पहले तो यह स्पष्ट करें। मेरा कहना है कि सदन में इस पर चर्चा हो क्योंकि कृषि क्षेत्र के ऊपर बड़ा संकट है, किसानों के ऊपर बड़ा संकट है। बेरोजगारी उसी के यहां बढ़ रही है यह प्रदेश आंतरिक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है बेरोजगारी, गरीबी और विषमता के कारण। उद्योग नहीं बढ़ रहे हैं। जैसा कि सभी नेताओं ने कहा कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा क्षेत्र में उद्योग कितने लग रहे हैं। बड़ी उम्मीद से एक गैस प्लान्ट बनाने की बात हुई थी। अड़चने आ गई, जमीन ले ली गई लेकिन बिजली नहीं उत्पादन हुआ। तो जमीन तो हम ले ले रहे हैं। लेकिन क्या लक्ष्य पूरा हो रहा है ? इसका भी एक सर्वे होना चाहिये और सर्वे रिपोर्ट इस सदन के अन्दर रखी जानी चाहिये। कृषि भूमि का दुरुपयोग हो रहा है। व्यवसायिक कार्यों के लिये हो रहा है। आवासीय क्षेत्रों के लिये हो रहा है। इसलिये आवासीय और निजी क्षेत्र को जमीन दी जाने वाली व्यवस्था के लिये अलग नीति तय होनी चाहिये और सरकार की अति आवश्यकता की पूर्ति के लिये जमीन लिये जाने की नीति अलग होनी चाहिये। मेरी मांग है और सुझाव है इस प्रस्ताव के माध्यम से कि कृषि भूमि लिये जाने के सम्बन्ध में व्यापक नई नीति

बनाई जाय क्योंकि निजी क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रवेश कर रहा है। व्यवसाय में और सरकारें विकास के नाम पर उनको जमीन अधिग्रहीत करके दे रही है। इसलिये लाभान्वित दूसरा क्षेत्र होगा। विकास जो गैर कृषि क्षेत्र का हुआ है 1993 से 4.3 से बढ़कर 6.7 हो गया। औद्योगिक क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जमीन बड़ी तेजी से घट रही है। इसलिये आज के अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने कहा वह सारी मांगे आप पूरी कर लें, स्वीकार कर लें क्योंकि कल्याणकारी राज्य का एक परिचय दें। उदार सरकार का एक परिचय दें। उन्हें पूरा मुआवजा दें। जमीन केवल यही थी कि जो रेट कमिश्नर की समिति ने तय किया है 2007 से आपने लागू किया उसे आप 2006 से लागू कर देते। इतनी सी उदारता दिखा देते तो यह घटना न होती और शायद मेरी याददाश्त में जो याद कर पा रहा हूं। एक साथ इतने किसानों को गोली चलाकर मारने की यह पहली घटना है। गोली तो कई बार चली लेकिन किसान अपनी मांग केवल मुआवजा की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहा हो और उस पर गोली चलाकर पांच किसान मारे गये हों यह इतिहास में मेरी याददाश्त में पहली घटना है। हो सकता है कोई प्रकरण रहा हो। इसलिये इस अवसर का लाभ उठाकर इतना ही कहूंगा।

(श्री कौकब हमीद, श्री सिरोही और अन्य सदस्यों के खड़े होने और एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

सिरोही जी, बैठिये, कौकब साहब बैठिये। अब कितना आ गया है।

श्री लालजी वर्मा-

यह बात तो मान्यवर, उचित नहीं है। मान्यवर, यह एक बार बोल चुके फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। जो बात हुई थी ये उस बात से अलग हट रहे हैं। अब वीरेन्द्र सिरोही खड़े हो गये। इतने सारे लोग खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग और विषय पर बोल लीजियेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

कृषि भूमि लेने की नई नीति बनाई जाय। विधान सभा में पूरी चर्चा की जाय। इतना ही कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कौकब साहब और विषय पर बोल लीजियेगा। संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलने दें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी .....

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। आप लोग बैठ जायं। इतने सीनियर नेता खड़े हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ओम प्रकाश सिंह जी से वो आंकड़े, आपके सही हैं कुछ समय के लिये लेकिन 29 अगस्त, 2003 और 13 मई, 2007 इनके बीच के आंकड़े आपको सही मालूम होना चाहिये। हमारी रिपोर्ट नहीं है। केन्द्रीय सरकार की योज़ना आयोग की रिपोर्ट है। जब हमें सरकार चलाने का अवसर मिला था तो 0.6% हमारे उत्तर प्रदेश की विकास दर थी और जब हम छोड़ कर आये हैं तो 5.6% हमारे समय में इतनी विकास दर थी उत्तर प्रदेश की। दूसरी यही रिपोर्ट इसी तरह की रिपोर्ट योजना आयोग की है कि हिन्दुस्तान में सबसे कम कर्जा किसानों पर हमारी सरकार में रह गया था। अगर कहीं कर्जा सबसे कम किसानों पर था तो उत्तर प्रदेश में था। 29 अगस्त, 2003 से 13 मई, 2007 तक हमारे कार्यकाल में (मेजें थपथपाई गई) इतना संशोधन मैं चाहता हूं कि आप कर लें।

(श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायं। जब हो गया। डाक्टर साहब खड़े हो रहे थे, कौकब हमीद साहब खड़े हो रहे थे तो मैंने मना किया था। आप बैठ जायं। चौधरी साहब बैठ जायं। सब बात आ गई है। सिरोही जी आप बैठें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन को लोकतांत्रिक ढंग से संचालित करने का काम किया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें सिरोही जी। संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है। आप जो डेटा है वह दे दें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता हुकुम सिंह जी बोल चुके हैं। ओम प्रकाश जी बोल चुके हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप बैठें। मान जायें। चौधरी साहब को मना लिया, कौकब साहब को मना लिया, जो आप डेटा बता रहे हैं वही सब बता रहे हैं, थोड़ा बहुत अन्तर है। नेता प्रतिपक्ष ने सब स्पष्ट कर दिया अब आप बैठ जायें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे मामले में मौका आपको मिल जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार, यह पूर्ण लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली, किसानों की पूर्ण हितैषी तथा संवेदनशील सरकार है।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, कुछ लोग जब विचार रखते हैं तो उन्हें अपनी याद आ जाती है। मान्यवर, इस प्रदेश में हत्यारी सरकार कौन रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास करने वाली और सदन में लोकतांत्रिक ढंग से अपने विचार को न रखने देने के लिये रोड़ा बनने वाली कौन सरकार रही है पूरा प्रदेश जानता है।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, मैं भी इस बात को महसूस करता हूं और मानता हूं कि भारत देश में तानाशाही का कोई वजूद नहीं है और भारत देश में तानाशाह चल नहीं सकता है। सबसे ज्यादा अगर लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली अगर कोई सरकार आई है तो वह बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार है।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसका उदाहरण मान्यवर, सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं और जो भी कार्य हो रहे हैं चाहे वह किसानों के हितों में हों, चाहे वह मजदूरों के हितों में हों, चाहे समाज के हर वर्ग के लोगों के हितों में कार्य हो रहे हैं वह निश्चित रूप से सराहनीय है। यह लोकतांत्रिक संवेदनशीलता का परिचायक ही है कि ग्रेटर नोएडा की घटना के बाद, उस दुखद घटना के बाद प्रदेश की मुख्य मंत्री ने बिना किसी मांग को, लोग सदन में भी मांग किया करते थे, बाहर भी मांग किया करते थे और मांग के लिये लम्बे समय तक आन्दोलन चलाने के बाद भी कोई सरकार न्यायिक जांच का निर्णय सरकार नहीं करती थी। हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने बिना किसी मांग के, बहन कुमारी मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जी है उन्होंने न्यायिक जांच की घोषणा करने का काम किया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

अवकाश प्राप्त उच्च न्यायालय के जज श्री डी0के0 त्रिवेदी की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया है। यह संवेदनशीलता का परिचायक है। साथ ही साथ मान्यवर, यह जमीन अधिग्रहण का कार्य कोई आज नहीं किया जा रहा है यह लम्बे समय से चल रहा है। माननीय तिवारी जी ने जलियावाला बाग का उदाहरण देने का काम किया, कांग्रेस को जलियावाला बाग का नाम तो याद आया जो आपके नेतृत्व में कांग्रेस है मुझे खुशी हुई। लेकिन मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा केवल एक घटना नहीं है 1-3-87 को मुजफ्फरनगर में किसानों पर गोली चलाने की घटना। मान्यवर, 27-01-1988 को मेरठ में, 10-02-1988 को मुरादाबाद में किसानों पर गोली चलाने की घटना, 15-06-1989 को अलीगढ़ में किसानों पर गोली चलाने की घटना और मान्यवर, यह बात तो किसानों के ऊपर थी, मलियाना की घटना शायद जलियावाला बाग की घटना को भी मात देने वाली थी। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी बात रखी, मैं उनका आदर करता हूं। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के भी मा0 नेता ने अपनी बात रखी। मान्यवर, रामपुर तिराहा काण्ड, जब निर्दोष लोग, जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बसों से दिल्ली जा रहे थे, उत्तर प्रदेश में उनकी कोई प्रदर्शन करने की नीयत नहीं थी, वह दिल्ली जा रहे थे। 01-10-1994 को दिल्ली के रास्ते में उन आन्दोलनकारियों के साथ जिस तरह की घटना हुई मेरी जानकारी के अनुसार 01-10-1994 को जिस तरह उन आन्दोलनकारियों को, जो अपनी बसों से दिल्ली जा रहे थे, उनको रोककर जिस तरह से बर्बरता की गई, जिसके चलते 5 व्यक्ति मारे गये, कितनों के साथ बलात्कार हुआ, जैसी घटना प्रकाश में आई। मान्यवर, उससे इस प्रदेश का आम आदमी शर्मसार हुआ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में सुश्री मायावती जी हमारी तरफ से गई थीं, उन्होंने उस घटना पर इतना ही कहा था, आप अपने अधिकारियों को डांटिये कि क्या कह रहे हैं ? वहां गया कौन था ? वहां मायावती जी गई थीं, पढ़ लेते, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। उन अधिकारियों से कहें कि वह ऐसी सूचना देकर सदन को गुमराह करने का काम न करें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

मक्का के खेत में नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उस घटना में 5 लोग मारे गये थे, यह तथ्य है। बलात्कार के आरोप लगे थे, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहता कि कौन सी जांच हुई, कैसे छूटे, क्या हुआ ?

श्री प्रमोद तिवारी-

शामिल थे या नहीं थे ?

श्री लालजी वर्मा-

हमने टोका-टाकी नहीं किया। इसी प्रकार मान्यवर, 09-09-1992 को रामकोला चीनी मिल में किसान अपने बकाया गन्ने की जब कीमत मांग रहे थे, उस समय उन किसानों पर फायरिंग की गई, उस घटना की आपको याद नहीं आई ? इसी तरह से 02-06-1991 को सोनभद्र में सीमेंट फैक्ट्री पर, चोपन में घटना हुई, मा0 नेता प्रतिपक्ष उस समय मुख्य मंत्री थे। सोनभद्र सीमेंट फैक्ट्री में 8 श्रमिक और 1 छात्र पुलिस की फायरिंग में मारे गये थे। मान्यवर, मैं इस घटना की चर्चा में इस बात को नहीं कहना चाहता हूं। कभी-कभी यह अपरिहार्य होता है। जब कोई भी व्यक्ति उग्र प्रदर्शन करता है तो उस स्थिति में भी कभी-कभी इस तरह की घटनायें होती हैं। मान्यवर, हमारे यहां एक कहावत है, विशेषकर हमारे पूर्वांचल में कि उल्टा चोर कोतवाल को डॉटें। मान्यवर, अपराध कोई करता है, चोरी कोई करे आरोप हमारे ऊपर। सूप तो सूप हंसे, छलनी भी हंसे जिसमें बहत्तर छेद। मान्यवर, यह घटना जिसका जिक्र माननीय नेता हुकुम सिंह जी ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और भी बहुत से हमारे माननीय नेताओं ने किया है किसानों की जमीन के लिये हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है। 14 मई को बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली और उन्होंने किसानों की जमीन का मुआवजा देने की नीयत से मेरठ के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में समिति बनाई। मण्डलायुक्त की कमेटी ने रिपोर्ट दिया। दिनांक 08-02-2008 को ग्रेटर नोएडा में अपनी बैठक में किसानों के मुआवजे की राशि जो कि 402 रुपये प्रति वर्ग मी0 थी उसको बढ़ाकर 850 रुपये प्रति वर्गमीटर करने का फैसला किया। 402 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये करने का फैसला। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने 234 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया। हमारी सरकार के रहते 402 रुपये को बढ़ाकर हमने 850 रुपये किया और 01 अप्रैल, 2007 से लागू करने का काम किया। मान्यवर, 2007 में उसके पहले जो मूल्य निर्धारित था ग्रेटर नोएडा में। मान्यवर, 2007-08 का जो रेट था 349 रुपये 60 पैसे गैर पुश्तैनी का था और 402 रुपये पुश्तैनी जमीन का रेट था। उस जमीन को 2007-08 में ही जो बैठक हुई ग्रेटर नोएडा की उसमें मेरठ के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी के निर्णय को स्वीकार करते हुए दिनांक 05-02-08 को 2007-08 का प्रतिकर 402 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रति वर्ग मीटर लागू करने का काम किया। मान्यवर, उसके बाद भी हमारी तारीफ नहीं होगी। हमने तो किसानों के मुआवजे को दूना से ज्यादा बढ़ाने का काम किया। मान्यवर, इसके साथ-साथ कृषकों की अर्जित होने वाली भूमि का 6 प्रतिशत क्षेत्रफल भावी आबादी विस्तार हेतु, ग्राम के पुश्तैनी कृषकों जिनकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जाती है उनके स्वरोजगार स्थापित करने हेतु मूल प्रतिकर के अतिरिक्त उसका 15 प्रतिशत पुनर्वास बोनस

भी प्रदान किया जाता है। प्राधिकरण की आवासीय योजना में 17.5 प्रतिशत भूखण्ड ऐसे पात्र कृषकों हेतु आरक्षित आवंटित किये जाते हैं जिनकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई है। इसके साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा अर्जित ग्रामों की आबादी में स्कूल, पंचायत घर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारात घर, नाली, सीवर, खड़ंजा, सड़क, स्वच्छ पेयजल आदि की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा अपने व्यय पर की जाती है। मान्यवर, यह प्रकरण घोड़ी बछेड़ा गांव के लोगों का था। अकेले उनकी जमीन नहीं अधिग्रहण की गई थी। 2006-2007 में सूरजपुर, अजायबपुर, घरबरा, घोड़ी बछेड़ा, सैनी, मथुरापुर, दाढ़ा और ढबरा। इतने गांव की जमीन अधिग्रहीत की गई और मान्यवर, उस जमीन का जो अधिग्रहण हुआ था उस समय की जो करार नियमावली है उस समय कौन सरकार रही मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। करार नियमावली से किसानों की सहमति से उस जमीन का मुआवजा निर्धारित करने के उपरान्त सारे किसानों ने अपनी जमीन का मुआवजा प्राप्त कर लिया। अब 2008 में यह आन्दोलन चलाना मेरी समझ में न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है कि हमें जो नया रेट है वह 2006-07 से लागू किया जाये। फिर अगर 2006-07 से लागू होगा तो 2005-06 वाले कहेंगे कि हमारे लिये भी लागू किया जाये और पांच छः पर लागू होगा तो चार पांच वाले कहेंगे कि पहले पुराने लोगों को लाभ दिया जा रहा है तो हमें क्यों न दिया जाय। मान्यवर, इस तरह से इनकी मांग थी और उनकी मांग पर भी वार्ता के लिये अधिकारी मौजूद थे, वार्ता चल रही थी और उनकी बात सुनी जा रही थी। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक इस घटना दिनांक 13/8/8 का सवाल है, मान्यवर, किसानों ने उस गांव के और अगल बगल के किसानों ने किसान संघर्ष मंत्र का गठन किया था, श्री रमेश सिंह रावल के नेतृत्व में। इन लोगों ने 13/8/8 को ग्रेटर नोयडा विकास प्राधिकरण के कार्यालय का ताला बांधकर अधिकारियों को घेराव और उग्र प्रदर्शन करने का नोटिस दिया था। मान्यवर, वहां पर पुलिस बल लगाई गई थी क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था, पूरे देश में आतंकवादी घटनाओं की चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे। धारा 144 भी जहां-जहां आवश्यकता थी लगायी गई थी। उसी तरह से नोएडा में भी इस प्रदर्शन को ध्यान में रखकर 15 अगस्त होने के कारण धारा 144 लगाने का काम किया था। दिनांक 13/8/8 को उन किसानों से, जो प्रदर्शन करना चाहते थे, उन अधिकारियों ने कहा कि आप अपना प्रतिनिधि मण्डल लेकर अधिकारियों से मिल लें। आपकी बात पर विचार किया जा रहा है और जब आपकी बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है तो आन्दोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन लोगों ने मानने का काम नहीं किया। दिनांक 13/8/8 को लगभग 30-35 ट्रैक्टर ट्रालियों से, जुगाड़ से, मोटर साइकिलों से करीब एक हजार से लेकर बारह सौ प्रदर्शनकारी वहां के लिये चल पड़े। रास्ते में कई बैरिकेटिंग लगाई गई थी। बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए वह स्थान पर पहुंचे और इतना ही नहीं, प्राधिकरण की ग्रिल तोड़ दी गई, वहां पर खड़े वाहनों में आग लगा दिया गया। उग्र भीड़ को

तितर बितर करने तथा लोक व्यवस्था को सम्भालने के लिये जिस तरह से जरूरत थी पहले पानी का फौव्वारा मारने का प्रयास किया गया, उनको रोकने का प्रयास किया गया और हर तरह का प्रयास जब असफल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गये, वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया। इतने में ही उग्र भीड़ ने अपने-अपने आग्नेयास्त्रों और पत्थर जो ट्रालियों में भरकर लाये थे, अगर प्रदर्शन शान्तिपूर्ण ढंग से करना था, पूर्व नियोजित नहीं था तो ट्रैक्टर पर ईंट पत्थर लाने का औचित्य क्या था ?

माननीय हुकुम सिंह जी।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य इस बात का विरोध करने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री हुकुम सिंह-

आप [x x x] कह रहे हैं वहां कोई पत्थर नहीं लाया गया था।

श्री अध्यक्ष-

आप सुन तो लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उन लोगों ने ईंट-पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इस सम्भावना के दृष्टिगत कि यदि उग्र आन्दोलनकारियों को बलपूर्वक न रोका गया तो यह लोग ग्रेटर नोएडा कार्यालय में आग लगाकर कार्यालय के अन्दर बैठे हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जीवित जलाकर मार देंगे। भीड़ को हटाने के लिए चेतावनी देते हुए एस0डी0एम0 सदर के आदेश पर पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग कर न्यूनतम बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। उपरोक्त घटना में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्ध नगर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहित कुल 58 प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी/कर्मचारी घायल हुए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह सब झूठ है।

श्री लालजी वर्मा-

उक्त घटना में चार किसानों की मृत्यु हो गई तथा 19 किसान घायल हुए।

श्री अम्बिका चौधरी-

दो सिपाही भी मारे गये, उनके भी नाम बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक संवेदनशीलता का प्रश्न है, मृतक कृषकों के आश्रितों को मुख्य मंत्री कोष से दो-दो लाख और ग्रेटर नोएडा के द्वारा तीन-तीन लाख, कुल मिलाकर मृतक आश्रितों को

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पांच-पांच लाख रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस घटना में घायलों को उनकी चोटों की गम्भीरता के अनुसार प्रत्येक को 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी गई। मान्यवर, इस तरह से जो भी प्रदेश सरकार के द्वारा सम्भव था उस ढंग से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक बल प्रयोग करना था, प्रयोग ...ा गया और जो आरोप लगे उन आरोपों की सत्यता में किसी तरह से कोई भेदभाव न हो, निष्पक्ष ढंग से जांच हो, पारदर्शी ढंग से जांच हो और जो दोषी लोग हों, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके, उसके लिए न्यायिक जांच का निर्णय लेकर निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करने का काम किया गया। मान्यवर, यह सारी घटनायें हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें जो भी कार्यवाही प्रदेश सरकार के द्वारा की जानी थी, सारी कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, यह तो अपने भाषण में कह चुके हैं कि रायपुर और सूफियाना में 850 रुपया प्रति वर्ग मीटर दिया है और छः गांवों को नहीं दिया है और ... छः गांवों के किसानों ने आन्दोलन किया है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री मुलायम सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री हुकुम सिंह जी के एक साथ बोलने पर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा कही गई बातें सुनाई नहीं दीं)

(व्यवधान के मध्य)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मैं सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता है।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन का त्याग किया।)

श्री मुलायम सिंह यादव-

और यह सब हम बता भी चुके हैं और इसीलिए हम कहते हैं अध्यक्ष महोदय कि यहां झूठ का पुलिन्दा बोला जा रहा है। अगर पहले गोलियां चली हैं, तो क्या यह गोलियां जायज बताना चाहते हो ? इसलिए इसके विरोध में हम और हमारा दल इस सदन का त्याग करते हैं।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन का त्याग किया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी-

नोएडा किसानों के मामले में सरकार द्वारा दिये गये जवाब से मैं ... मेरा दल **बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इसमें** सरकार पुलिस **की** सच्चाई छिपा रही है, **इसलिए मैं और** मेरा दल इसके **विरोध में सदन में** बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण भी सरकार विरोधी नारे लगाते **हुए सदन का त्याग किया।)**

(श्री कौकब हमीद ने अपने दल के सदस्यों सहित तथा श्री आर0 के0 चौधरी ने भी **संसदीय कार्य मंत्री के** उत्तर से असन्तुष्ट होकर सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को कल ही अग्राह्य कर चुका था, अभी मैं चर्चा सुन रहा था। मैं यह **सभी सूचनायें कल ही** अग्राह्य कर चुका हूं। इसलिए अब मैं नियम-301 ले रहा हूं।

(सदन से बहिर्गमन कर जाने वाले सभी दलों के सदस्यगण सदन में वापस आ गये)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 अगस्त, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने **हेतु कुल** 33 **सूचनायें प्राप्त** हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें **स्वीकार की** गयीं :-

पहली सूचना, श्री जितेन्द्र कुमार एडवोकेट की जनपद चन्दौली के चकिया तहसील से जनपद **मुख्यालय को** जाने वाली सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा के सभी राजकीय नलकूपों को **चालू कराने तथा** फेल नलकूपों को रि-बोर कराने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना, श्री लालजी यादव की सिद्धार्थनगर के बांसी क्षेत्रान्तर्गत निर्मित मार्ग **बांसी-बानी में मुआवजा** से वंचित लोगों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना, श्री बैजनाथ दुबे की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में अनुपस्थित थे)

पांचवीं सूचना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर स्थित क्षतिग्रस्त धर्मशाला उपरिगामी सेतु का पुनर्निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग का भी निर्माण कराने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना, श्री लल्लू सिंह की जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगर की अधूरी सीवर लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी की है जो दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद, जनपद सीतापुर द्वारा गन्ना किसानों का गतवर्ष का बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना, श्री कौकब हमीद जी की है जो जनपद बागपत के अधिकांश विद्युत उपकेन्द्रों की भार क्षमता बढ़ाने एवं नये विद्युत उपकेन्द्र बनाने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना, श्री विद्यासागर गुप्ता जी की है जो माननीय सदस्यों के कोटे से लगाये जाने वाले हैण्डपम्प से पहले वांछित पानी की उपलब्धता के साधनों की मानक के अनुरूप पूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना, महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी जी की है जो जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत गुमशुदा शक्ति प्रसाद बागची की पत्नी को उत्पीड़न से छुटकारा दिलाने एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना, श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह की है। वह उपस्थित नहीं है।

बारहवीं सूचना, श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की है जो सिद्धार्थनगर के इटवा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के धन को बिना काम कराये खर्च कर देने की जांच कराने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना, श्री प्रदीप जैन आदित्य जी की है जो झांसी नगर निगम में स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था लागू कर स्टाफ की कमी दूर करने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना, श्री जोखू लाल यादव जी की है जो इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बन्धित माइनरों की तलीझाड़ सफाई कराने एवं टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना, श्री कुबेर सिंह जी की है जो एटा के जलेसर क्षेत्रान्तर्गत अरण्ड नदी ग्राम दुल्हा पर पुल बनाने के सम्बन्ध में है।

मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पढ़े देता हूं जिनकी सूचना अस्वीकार की गयी है। श्री भोला पासवान, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री इमरान मसूद, श्री जमीर उल्ला खां, श्री मदन चौहान, श्री शम्भू चौधरी, श्री निर्मल वर्मा, श्री सुखलाल, श्री अशोक कंसल, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री आरिफ अनवर हाशिमी, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री सर्वेश कुमार सिंह।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, जो सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनकी जगह पर हमारी सूचना को ले लें।

श्री अध्यक्ष-

कल दे दीजियेगा।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मेरा भी यही निवेदन है कि जो उपस्थित नहीं है उनकी जगह हमारी सूचना को ले लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है। डा0 अनिल चौधरी की ले लेते हैं।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, हमारी भी सूचना है। मेरी डा0 अजय तोमर के नाम से सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसको भी ले लेते हैं।

जो नहीं आये हैं उनके स्थान पर इनकी क्रमवाइज ले लेते हैं।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद चन्दौली के चकिया तहसील से जनपद मुख्यालय जाने वाली सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र कुमार एडवोकेट-

[माननीय सादर निवेदन के साथ अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा चकिया क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली चकिया मोहम्मदाबाद तीयरा विशुनपुरा काँटा तक जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य नहर मुख्य मार्ग जिसकी लम्बाई 18 कि0मी0 है नहर की पटरी पानी के रिसाव के कारण टूट गई है एवं सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। जिससे आवागमन गम्भीर रूप से प्रभावित होता है। जिसके कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है। जैसाकि मुख्य नहर की पटरी होने के कारण बहुत दिनों की बनी हुयी सड़क जिसका मरम्मत न होने के कारण क्षेत्र की जनता को बहुत असुविधा होती है। इससे जनता में आक्रोश है। जिसको बनना अत्यन्त आवश्यक है। प्रान्तीय खण्ड एवं पी0डब्लू0डी0 के मुख्य अभियन्ता से भी निवेदन किया गया है लकिन अभी निर्माण एवं पेन्टिंग नहीं हुआ।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से विनम्र निवेदन है कि चकिया तहसील से जनपद मुख्यालय को जाने वाली मुहम्मदाबाद, शहाबगंज, तियरा, विशुनपुरा, काँटा से चन्दौली जाने वाली सड़क को मरम्मत एवं पेन्टिंग का कार्य कराने की कृपा करें।

सादर।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बांदा के सभी राजकीय नलकूपों को चालू कराने तथा फेल नलकूपों को रि-बोर कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय के तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनपद बांदा में राजकीय नलकूप काफी संख्या में फेल हैं अधिकारियों की लापरवाही से ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द, कमासिन के सैकड़ों राजकीय नलकूप फेल हो गये हैं जिनका सर्वे कराकर पुनः नलकूप लगवाये जायें अधिकारियों की लापरवाही से लगभग सभी नलकूप बन्द पड़े हैं। गत वर्ष सिंचाई नहीं हो पायी है। किसानों की फसलें सूख गयी हैं, जिसके कारण किसान भुखमरी के कगार पर आ गये हैं।

अतः लोक महत्व के विषय पर जनपद बांदा के सभी राजकीय नलकूपों को चालू कराने तथा फेल नलकूपों को शीघ्र रि-बोर कराकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश देने का कष्ट करें।]

सिद्धार्थनगर के निर्मित मार्ग बांसी थानी में मुआवजा से वंचित लोगों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी अन्तर्गत बांसी-धानी पी0डब्लू0डी0 मार्ग बना है जिसमें किसानों की काफी जमीनें चल गयी हैं, मुआवजा के तौर पर ग्राम सेमरा शुक्ल तक के किसानों को मुआवजा राशि दी गयी थी। परन्तु कुछ गॉव मुआवजा से वंचित रह गये हैं जैसे बंजरहा, धुसवा, मझरिया, टीकूर महुलानी, कोटिया वेलवनवा छितौनी, पेड़ारी, परोई, कन्नाखोर, मदुआपुर, मधुवापुर आदि किसानों का मुआवजा आज तक नहीं मिला है जिससे इन लोगों में काफी रोष व्याप्त है और बार-बार मुआवजा दिये जाने की मांग कर रहे हैं।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल मुआवजा से वंचित लोगों को मुआवजा दिये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर महानगर स्थित क्षतिग्रस्त धर्मशाला उपरिगामी सेतु का पुनर्निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग का भी निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, 23 जनवरी, 2006 को गोरखपुर स्थित धर्मशाला ओवरब्रिज का लोकार्पण तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा किया गया निर्माण कार्य की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि निर्माण के 01 वर्ष के अन्दर ही उपरिगामी सेतु के दोनों ओर के पहुंच मार्ग की सड़क धंसने लग गयी। वर्तमान शासन के कार्यकाल में यह विषय विधान सभा में प्रश्नकाल में हमारे द्वारा उठाया गया था। लोक निर्माण मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सदन में लिखित जवाब में यह स्वीकार करते हुए कि पहुंच मार्ग खराब हो गया है यह कहा था कि चूंकि इसे ठीक करा दिया गया है इसलिये इसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः पिछले 6 माह से उपरिगामी सेतु दोनों तरफ से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क की स्थिति किसी गांव की बाकी सड़क से भी बदतर हो गयी है। निर्माण कार्य के 2 वर्षों के अन्दर ही पहुंच मार्ग का इस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाना, लोक निर्माण विभाग एवं उत्तर प्रदेश सेतु निगम की कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है।

लोक निर्माण विभाग इस महत्वपूर्ण सेतु को ठीक करने से इस आधार पर इन्कार करता है कि लोक निर्माण विभाग ने इसके अनुरक्षण के लिये किसी धन की व्यवस्था नहीं की है। महानगर के यातायात के लिये इतने अति महत्वपूर्ण सेतु के क्षतिग्रस्त हो जाने से वहां नागरिकों को अत्यधिक असुविधा होती है।

लोक निर्माण विभाग एवं सेतु निगम ने सेतु के नीचे, सेतु के उत्तर तरफ के सम्पर्क मार्ग का भी अभी तक निर्माण नहीं किया है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को कार्य-प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत उठाने की स्वीकृति प्रदान करें।]

महामायानगर की तहसील सादाबाद के अन्तर्गत कतिपय तालाबों पर सड़क के किनारे पक्का पुश्ता (रिटेनिग वाल) बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अनिल चौधरी-

[तहसील सादाबाद जनपद महामायानगर में निम्नलिखित स्थलों पर मुख्य मार्ग के किनारे ही तालाब स्थित है।

1-मई-खदौली मार्ग पर ग्राम कंजौली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-सादाबाद-राया मार्ग पर ग्राम कजरौही

3-सादाबाद-राया मार्ग पर ग्राम मीरपुर (2 तालाब)

4-मई-बल्देव मार्ग पर ग्राम ख्याली गढ़ी (मुर्रका)

उपरोक्त तालाब अत्यधिक गहरे होने के साथ-साथ मार्ग से एकदम सटे हुये हैं जिससे अक्सर वाहन दुर्घटना ग्रस्त होते हैं और जानमाल की हानि होती है।

मैं इन तालाबों पर सड़क के किनारे पक्का पुश्ता (रिटेनिग वाल) बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगर की अधूरी सीवर लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लल्लू सिंह-

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद में अयोध्या केवल उ0 प्र0 ही नहीं पूरे भारत में राम जन्म भूमि की धर्म स्थली होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक नगर है। इस ऐतिहासिक नगर में देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। अयोध्या नगर में जल निकासी की समस्या के निदान हेतु सीवर लाइन का निर्माण प्रारम्भ किया गया था परन्तु अभी तक उक्त सीवर लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण इस नगर में सड़कों पर जल भराव की समस्या से केवल अयोध्या वासियों को ही नहीं बल्कि यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटकों को भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इससे केवल अयोध्या की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। जल भराव के कारण ही प्रति वर्ष बनने वाली सड़कें भी खराब हो जाती है जिसके कारण आवागमन भी प्रभावित होता है। अयोध्या की सीवर लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण न होने से यहां के निवासियों में भी आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब अयोध्या नगर की सीवर लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

दि किसान सहकारी मिल महमूदाबाद, सीतापुर जनपद द्वारा किसानों का गतवर्ष का बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री [illegible] सिंह (सीतापुर)-

[महोदय, दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद जनपद सीतापुर में विगत वर्ष गन्ना किसानों के द्वारा की गयी गन्ना आपूर्ति का लगभग 22 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य आज तक बाकी है हजारों किसान इस बकाया मूल्य के [illegible] से परेशान हो रहे हैं। अपने फसलों की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। घर के बीमार सदस्यों की दवा नहीं ले पा रहे हैं। तहसीलों में बकाया के नाम पर किसानों को बन्द किया जा रहा है। गन्ना किसानों के बकाये गन्ना मूल्य तत्काल कराया जाय, इसको लेकर के स्थानीय किसानों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत के अधिकांश विद्युत उपकेन्द्रों की भार क्षमता बढ़ाने एवं नये विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कौकब हमीद-

[जनपद बागपत जो मूल रूप से प्रदेश का कृषि प्रधान जनपद है इसमें किसानों में दी जाने वाली बिजली की स्थिति बहुत दयनीय है। किसानों को कृषि कार्य हेतु तथा आबादी क्षेत्र में दैनिक कार्य हेतु बिजली चार से छः घण्टे ही मिल रही है। जनपद के अधिकतर विद्युत उपकेन्द्र जैसे बड़ौत, बागपत, छपरौली, तुगाना, किरठल, बराल, नगला, बिजरौल, जोहडी, बडावद, जोनमाना, तितरौदा, सिघावली अहीर, बिहारीपुर, डोला बालैनी, अमीन नगर सराय पिलाना सरूर कलां, खेखड़ा अतिभारित है, इन पर ग्रामीण उपभोक्ताओं की निजी नलकूपों की बढ़ी भार क्षमता के सापेक्ष मशीन आदि उपकरण कम क्षमता वाले हैं जिस कारण पूरी क्षमता के साथ यह सभी विद्युत उपकेन्द्र उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहे हैं। क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप इन विद्युत उपकेन्द्रों के क्षेत्रों में नये विद्युत उपकेन्द्रों की तथा इन वर्तमान विद्युत उपकेन्द्रों की भार क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

अतः इस जनहित लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से जनपद बागपत के इन विद्युत उपकेन्द्रों की भार क्षमता बढ़ाने तथा इनके क्षेत्रों में नये विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने की मांग करता हूं।]

माननीय सदस्यों के कोटे से लगाये जाने वाले हैण्डपम्प से पहले वांछित पानी की उपलब्धता के साधनों की मानक के अनुरूप पूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विद्यासागर गुप्ता-

[महोदय, आपको विनम्र सूचित करना चाहता हूं कि जल निगम द्वारा विधायक कोटे के जो हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं उसकी बोरिंग के लिए पानी की आवश्यकता होती है अधिकतर स्थानों में जहां पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। वहां क्षेत्रवासियों से जबरन पानी का प्रबन्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करवाया जाता है, किन्तु फिर भी पानी की कम प्राप्ति के कारण आधी-अधूरी बोरिंग करके चले जाते हैं। परिणामस्वरूप पचास प्रतिशत से अधिक हैण्डपम्प पानी देने से पहले ही अथवा एक माह के अन्दर ही सूख जाते हैं। जल निगम के अधिकारियों से बात करने पर वह बताते हैं कि सरकार द्वारा पानी के निस्बत मात्र रुपया 800/- ही उपलब्ध कराया जाता है जो कि अपर्याप्त है। इसमें वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। इसी का लाभ उठाते हुए ये लोग मानक से काफी कम बोरिंग करते हैं और लगने वाले पाइप को बाजार में बेच देते हैं। प्रदेश में सरकार का करोड़ों रुपया इस मद में व्यय होता है किन्तु आधी से अधिक धनराशि मिट्टी में ही मिल जाती है। पेयजल की समस्या का निदान जस का तस बना ही रहता है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए मांग करता हूं कि कोई भी हैण्डपम्प लगाने से पहले वांछित पानी की उपलब्धता के साधनों की पूर्ति कराये जो मानक के अनुरूप हो ताकि पानी की कमी के कारण बोरिंग हो सके और जनता को लाभ मिल सके।]

जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत गुमशुदा शक्ति प्रसाद बागची की पत्नी को उत्पीड़न से छुटकारा दिलाने तथा दोषीजनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी-

[महोदय, बहुत ही खेद के साथ आपको अवगत कराना पड़ रहा है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में शक्ति प्रसाद बागची शुगर फैक्ट्री तुलसीपुर चौराहे के पास अपना क्लीनिक चला रहे थे। शाहिद व करीमुल्लाह ने शक्ति प्रसाद बागची को गायब करवा दिया तथा उनके आवास को अवैध रूप से कब्जा कर लिया लगभग आठ वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी शक्ति प्रसाद बागची का आज तक कोई अता-पता नहीं है तथा उनकी पत्नी श्रीमती सुमित्रा बागची बेघर होकर अपने पति के हत्यारों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराने एवं अपने मकान को खाली कराने के लिए शासन के अधिकारियों से बार-बार निवेदन करती रही है किन्तु आज भी श्रीमती सुमित्रा बागची को उनका अपना हक एवं न्याय नहीं मिल सका है।

अतः आपसे हमारी मांग है कि इस प्रकरण में राजनैतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों से तत्काल श्रीमती सुमित्रा बागची का आवास खाली कराते हुए सम्मिलित सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही एवं उच्च स्तरीय जांच कराने का कष्ट करें।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आयुर्वेद स्नातकों को प्रदेश स्तर पर आयुर्वेद के साथ-साथ एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सा करने सम्बन्धी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 अजय तोमर-

[भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण अंचल तक जनमानस को चिकित्सा एवं टीकाकरण उपलब्ध कराने हेतु आज प्रदेश में आधुनिक (एलोपैथिक) चिकित्सों की भारी कमी है जिस कारण योजनाओं अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के आयुर्वेद स्नातक अपने पंचवर्षीय कोर्स एवं आवश्यक इन्टर्नशिप आधुनिक चिकित्सा पद्धति का ज्ञान प्राप्त करते हैं एवं प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सक इन योजनाओं की सफलता हेतु संविदा पर तैनात किये जा रहे हैं जो प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में आयुर्वेद के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग भी सफलता पूर्वक कर रहे हैं। प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की कमी एवं ग्रामीण स्तर तक चिकित्सा मुहैया कराने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए इन आयुर्वेद चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग का अधिकार देना उचित है।

अतः इस जनहित लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से देश व विदेश की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद स्नातकों को प्रदेश स्तर पर आयुर्वेद के साथ-साथ एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सा करने सम्बन्धी अधिकार देने की सरकार की मांग करता हूं।,

सिद्धार्थनगर के इटवा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के धन को बिना काम कराये खर्च करने की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र इटवा जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खुनियांव इटवा एवं भनवापुर के अन्तर्गत लगभग तीन करोड़ रुपये में से अधिक धनराशि बिना काम कराये ही खर्च कर दिखा दिया गया है। विकास खण्ड इटवा में भी रुपया का आवंटन पक्षपात पूर्ण व कमीशन के आधार पर किया जाता है। ग्राम नरायनपुर से अंग्रेज सिंह के घर तक चार लाख रुपये के मिट्टी का काम दिखाया गया है जिस पर अभी तक कोई काम ही नहीं किया गया है। इसी तरह से ग्राम कमदा लालपुर के पोखरे के सुन्दरीकरण के लिए बड़ी धनराशि व अन्य मदों में भी खर्च की गयी है जबकि वास्तव में उतने रुपये का कोई कार्य नहीं कराया गया है। इसी तरह से भनवापुर ब्लाक में भी करोड़ों रुपया वृक्षारोपण के नाम पर खुनियांव ब्लाक में नाले की खुदाई व अन्य मदों में भी करोड़ों रुपये निकाल लिये गये हैं जबकि वास्तविकता में जाबकार्ड धारकों द्वारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोई काम नहीं कराया गया है। फर्जी ढंग से मस्टर रोल भरे गये हैं और रुपया कार्य प्रभारी व कुछ दलाल व अन्य प्रभावशाली लोगों द्वारा मिलकर निकाल लिया गया है।

अतएव मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि समस्त कार्य योजनाओं पर कराये गये कार्य उक्त तीनों ब्लाकों की उच्च स्तरीय जांच मस्टर रोल व मौके पर भौतिक सत्यापन को मिलान कराकर करायी जाय जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के दुरुपयोग को रोका जाय।]

झांसी नगर निगम में स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

[मैं इस सदन के माध्यम से शासन का ध्यान झांसी नगर निगम झांसी की स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। झांसी को महानगर का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद झांसी नगर निगम में अभी स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था लागू नहीं की गयी है। कई बार आश्वासन दिये जाने के बाद भी अभी तक पद सृजित नहीं किये गये है, जिससे यहां पर स्टाफ की भारी कमी है एवं जिसके कारण जन-सामान्य के और सरकारी कार्य बाधित हो रहे हैं, स्टाफ न होने के कारण विकास के सभी कार्य अवरुद्ध हैं। वर्तमान में विकास के सभी कार्य ठप्प पड़े हुये हैं, जिससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में कई बार सूचना भी दी गयी है, लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। यदि नगर निगम झांसी में स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था लागू कर दी जाय तो स्टाफ की कमी दूर हो जायेगी और विकास के सभी कार्य शुरू हो जायेंगे। जनहित के कार्य ठप होने के कारण आम नागरिकों में काफी असन्तोष एवं रोष व्याप्त है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से इस विषय पर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बन्धित माइनरों की तली झाड़ सफाई कराने एवं टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर जनपद-इलाहाबाद के शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बन्धित माइनर नहरें कैथवल माइनर, रामपुर माइनर, पट्टीराम माइनर, प्रतापपुर माइनर विगत कई वर्षों से इन नहरों की तलीय की सफाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है। जिसके कारण किसानों की फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

एटा के जलेसर क्षेत्रान्तर्गत अरण्ड नदी ग्राम दुल्हा पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कुबेर सिंह-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र जलेसर एटा के अन्तर्गत ग्राम दुल्हा विकास खण्ड अवागढ़ में पुलों का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि नदी के किनारे 10-12 गांव बसे हुए हैं और अधिकांश उन ग्रामों की खेती नदी के उस पार है। चारा लाने ले जाने से लेकर जुताई, बुवाई, बीज, खाद नदी के उस पार ले जाना व जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उधर से भूसा अनाज आदि लाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से एक पत्र सं0-829 दिनांक 12-3-2008 माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को प्रेषित किया गया है परन्तु अभी तक उक्त पुल के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अरण्ड नदी ग्राम दुल्हा पर पुल बनाया जाना अत्यावश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 अगस्त, 2008 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुईं

पहली सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की है जो दिनांक 9 अगस्त, 2008 को मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से भा0ज0पा0 से जान का खतरा विषयक वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में है। यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है। दूसरी सूचना श्री राम बिशुन आजाद तथा श्री आरिफ अनवर हाशमी की है, जो सदन में भिन्न-भिन्न नियमों के अन्तर्गत उठाये गये विषयों के सम्बन्ध में शासन द्वारा उत्तर न दिये जाने से सम्बन्धित मा0 विधायकों के अधिकारों का हनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसमें यह कहना है कि पन्द्रहवीं विधान सभा की नियम समिति 2007-2008 की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी संगत निदेशों में संशोधन किया जा चुका है। मा0 संसदीय कार्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मंत्री कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें। अगली सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की मा0 सदस्यों द्वारा जनहित में सदन में उठायी गयी विभिन्न समस्याओं व उनके निराकरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बरती जा रही असंवेदनशीलता/उदासीनता के सम्बन्ध में है। इसमें निर्णय दिया जा चुका है। अगली सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की है जो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के असहायिक स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने हेतु लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत सदन में दी गयी सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में है। जो सूचना नहीं सुनी जायेगी वह है श्री उदयभान करवरिया की जो जनपद इलाहाबाद में सहकारी बैंक कर्मचारी तथा सहकारी समितियों के सचिवों के वेतनमान में असमानता होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

इसके अतिरिक्त इस नियम में कुछ अन्य सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो नहीं सुनी जायेंगी वह इस प्रकार हैं।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की उत्तर प्रदेश के किसानों की खाद, बीज, पानी एवं बिजली आदि के समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। श्री अनूप सण्डा की विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विधायक निधि से सम्बन्धित कार्य को करने में शिथिलता बरते जाने के सम्बन्ध में। डा0 आर0ए0 उस्मानी की जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील-गोला, जिला-खीरी में ग्राम-पिपरिया गंगा के गाटा संख्या-108/2, रकबा-0.510 हे0 जमीन श्री याकूब अली पुत्र श्री ईदी बख्श के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाने के सम्बन्ध में। श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनहित में उत्तर प्रदेश सरकार भारत निर्वाचन आयोग से नयी मतदाता सूची ए-टू-जेड फिर से बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

(श्री राम विशुन आजाद का नाम पुकारे जाने और उनके द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

दिनांक 9 अगस्त, 2008 को मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से जान का खतरा विषयक बयान दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 300 में मेरी सूचना थी।

श्री अध्यक्ष-

वह अस्वीकार हो गयी।

जनहित में उत्तर प्रदेश सरकार, निर्वाचन आयोग से मसला जुड़ा हुआ है निर्वाचन आयोग समय देता है मतदाता सूची बनाने का बिगाड़ने का।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारी 2 सूचनाओं पर दस्तखत है हम केवल एक पर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

एक आपने निर्वाचन आयोग के संदर्भ में दिया इसलिए मैंने लिया। उसमें निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का या संशोधन का आदेश दिया है। उसी निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर सरकारें चलती हैं जो भी सरकार हो, उसमें आप संशोधन चाहते हैं तो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में तो हम सुन नहीं सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ऐसा है दो सूचनाएं हमारी थीं उसमें हम एक पर बोलेंगे। जो सूचना माननीय ओम प्रकाश सिंह के दस्तखत से और मेरे दस्तखत से दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी का तो सिंगिल दस्तखत से है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं मान्यवर, दो दस्तखत है। यह सबसे पहले आपको दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

हां है। पहले राम विशुन आजाद जी को सुन लेते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, क्या उसके बाद लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

हां इसके बाद में, नहीं वह तो अग्राह्य हो गयी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, ओम प्रकाश सिंह जी का नाम तो पहले लिया है।

श्री अध्यक्ष-

पहले की बात है तो पहले तो मैं उसको अस्वीकार कर चुका हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने स्वीकार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष-

जब दबाव पड़ रहा है स्वीकार करने वाला तब सोच रहा हूं नहीं तो अस्वीकार है।

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी की सूचना को अस्वीकार कर चुका हूं कि सुना नहीं जायेगा, हो सकता है कि इसको न सुने हों। लेकिन कह रहे हैं तो बैठ लें, राम विशुन आजाद जी को बुला लिया हूं। इनकी सुन ले जिनकी सूचना है।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जो सूचना हम लोगों ने दिया है वह केवल एक स्पष्टीकरण के लिए है। हम लोग अपराधी की तरह बैठे हैं, कांग्रेस के लोग भी अपराधी की तरह बैठे हैं क्योंकि हम लोगों के ऊपर हत्या की साजिश करने का आरोप है। तो इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। नेता सदन ने आरोप लगाया है, सार्वजनिक रूप से आरोप लगा है इसलिए हम लोगों की मांग है कि उसको स्पष्ट तो करे, तथ्य तो रखवा दें। (व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नियमावली देख लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, हमें संरक्षण दे कि हम क्या यहां सदन में हत्या की साजिश कराने के आरोपी के रूप में बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें बुलाया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरी दो सूचनाएं थीं।

श्री अध्यक्ष-

एक ही नियम में दो सूचनाएं आप दिये हैं दस्तखत दोनों पर आपकी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम एक ही पर बोलेंगे।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, एक पर बोले चाहे दो पर बोलें मान्यवर, पहले हमको बुलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, इशारा कर दिये उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं, हो गया। माननीय ओम प्रकाश सिंह थोड़ा इशारा कर दिये उसमें कौन सा स्पष्टीकरण बनेगा माननीय खन्ना साहब।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, स्पष्टीकरण दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

कोई स्पष्टीकरण नहीं है, 300 स्पष्टीकरण के लिए नहीं बना है। किसी चीज की शंका के समाधान के लिए 300 नहीं बना है इसके लिए कोई और तरीका देख लीजिए। मंच वंच पर जाकर बोलियेगा। शंका समाधान के लिए 300 नहीं बना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह रिकार्ड नहीं होने पाये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, रिकार्ड नहीं कीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह जो कह रहे हैं यह रिकार्ड न होने पाये।

श्री अध्यक्ष-

रिकार्ड नहीं हो रहा है।

आप जबरदस्ती कर रहे हैं अस्वीकार कर चुका हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री सतीश महाना जी के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

शंका समाधान के लिए नियम-300 नहीं बना है और किसी नियम में शंका समाधान कर लीजिएगा। माननीय खन्ना साहब, आप किसी शंका का समाधान नियम-300 में करेंगे ? यह शंकाओं का समाधान करने के लिये नियम नहीं बना है। मैं इसको अस्वीकार कर चुका हूं। माननीय ओम प्रकश जी से जी ने कह दिया, उनकी बात आ चुकी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम इस बात की निन्दा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें, निन्दा कर लीजिएगा। बहुत से मंच हैं निन्दा करने के, वहां कर लीजिएगा। खन्ना साहब, आपको अभी तमाम मंचों पर जाना है। वहां कर लीजिएगा। यहीं क्यों निन्दा का मंच बनायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी,माननीय ओम प्रकाश सिंह जी विद्वान सदस्य हैं। अगर माननीय ओम प्रकाश सिंह जैसे सदस्य द्वारा इस तरह का विषय नियम-300 में उठाया जायेगा तो मैं समझता हूं कि नियमावली का रहना निरर्थक साबित होगा। यदि कोई दूसरे सदस्य उठाते तो बात समझ में आती।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, माननीय नेता सदन यह कहें कि कांग्रेस, भाजपा और उनके सहयोगी लोग हमारी हत्या की साजिश कर रहे हैं, तो इसका तथ्य सदन में आना चाहिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपने अनुमति तो दिया नहीं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, या तो यह खेद व्यक्त करें या हमें विशेषाधिकार हनन की नोटिस देने की अनुमति दें। क्योंकि गलत आरोप लगाया गया है सदन के ऊपर। हम सब सदस्य इससे आहत है।

श्री अध्यक्ष-

सदन के ऊपर आरोप नहीं लगाया गया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

हम सभी सदस्य भाजपा के इससे आहत हैं। यह हमारा अपमान है, हम इसे अपनी अवमानना मानते हैं। इसलिये हमें विशेषाधिकार हनन की नोटिस देने का अधिकार है या तो फिर तथ्य रख दें जिससे हमें नोटिस न देना पड़े। वरना कल मैं नोटिस लाऊंगा विशेषाधिकार की, क्योंकि हमारा अपमान हुआ है और हम आहत हैं। हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है, झूठा आरोप लगाया गया है। तथ्यहीन आरोप लगाया गया है और नेता सदन के द्वारा लगाया गया है। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि या तो प्रमाण रखें या फिर इसे वापस लें या हमें विशेषाधिकार की नोटिस लाने की अनुमति दें। इन तीन में से जो आप उचित समझें, वह कर दें मान्यवर।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब, इसी पर है या कोई दूसरी नोटिस है। अब आप बैठ जायें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह कहां का बिन्दु है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हम लोग विशेषाधिकार की नोटिस देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप लोग बैठ जायें, हो गया।

सदन में विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उठाये गये विषयों के सम्बन्ध में शासन द्वारा उत्तर न दिये जाने से सम्बन्धित विधायकों के अधिकारों का हनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

राम विशुन आजाद जी, अपनी बात रखें।

श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं औचित्य के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और इस सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं को आपके समक्ष रखते हैं और आप द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि सरकार माननीय सदस्यों द्वारा रखी गयी समस्याओं का निराकरण समयानुसार करे और नियमों के तहत विधान सभा के अन्दर चाहे नियम-301 हो, 51 हो प्रश्न के माध्यम से या पत्र के माध्यम से हम लोग अपनी-अपनी बात कहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विगत जब से यह कल्याणकारी सरकार बनी है, जो अपने को संवेदनशील कहती हैं यह मान्यवर, हमारा ही दर्द नहीं है यह सत्तापक्ष के विधायकों का भी दर्द है कि जो पत्र हम लोग लिखते हैं उनका समय पर उत्तर नहीं दिया जाता है और समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है। पिछले सत्र में दिनांक 26-02-2008 को नियम-301 के अन्तर्गत विकासखण्ड मनकापुर में भ्रष्टाचार के बारे में मेरे द्वारा और हमारे माननीय सदस्य जनपद गोण्डा के आरिफ साहब के द्वारा भी दिनांक 28-02-2008 को नियम-301 के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था। परन्तु किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही उसका उत्तर दिया गया। मान्यवर, न तो प्रश्नों का कोई उत्तर दिया जाता है और जो पत्र लिखा जाता है उसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया जाता है। आप हम लोगों के संरक्षक हैं, आपकी पीठ से कई बार यह दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि समय से कार्रवाई की जाय और मा0 विधायकों के पत्रों पर तत्काल समस्याओं का निराकरण किया जाय। प्रश्न के माध्यम से या अन्य किन्हीं नियमों के अन्तर्गत यदि कोई सवाल उठाये जाते हैं तो तत्काल जवाब दिये जायें परन्तु समय से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यहां तक कि नियम-51 के माध्यम से जो सूचना दी जाती है उसमें बहुत से मामलों में आपकी ओर से ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेकिन कोई भी उत्तर सरकार द्वारा, शासन द्वारा और शासन के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है इससे विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है और इससे एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, आपके बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी यह सरकार नहीं सुनती है, यह गूंगी-बहरी सरकार है और तत्काल समस्याओं का निराकरण करने में यह सरकार अक्षम है इसलिए मैं आपकी पीठ से चाहूंगा कि यह निर्देश दिया जाय कि समय से विधायकों के और

जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का निराकरण समय पर किया जाय, यह न हो कि मा0 विधायक अपने पत्रों को शासन को, मंत्री या मुख्य मंत्री को दें और उनकी समस्याओं का निराकरण न हो। यह बड़े खेद का विषय है कि माननीय विधायकों के पत्र लिखने के बाद भी समय से समस्याओं का निराकरण नहीं होता है और इससे एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे मा0 विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे अगुआ हैं, आप ही सदन हैं, आप ही सदन के मालिक हैं, इसलिए आपकी पीठ से निर्देश होना चाहिए कि समय से विधायकों की समस्याओं का निराकरण किया जाय।

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मैंने भी आपको नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, आपकी चौथी सूचना है इसी सम्बन्ध में।

* श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, आपने हमारी सूचना का संज्ञान लेकर हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, हमारे गोण्डा जनपद में नरेगा के धन की लूट हो गई, जिसे मैंने नियम-301 के अन्तर्गत सदन में उठाया और आपने हमारी नोटिस को स्वीकार किया। आप दयालू हैं, आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमें अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मौका देते हैं लेकिन यह सरकार, जो संवेदनहीन है, इनके अधिकारी, जो बेलगाम हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि-

"बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी,
किसे वकील करें और किससे मुंसिफी चाहें।"

मान्यवर, यह बड़े खेद का विषय है कि मैंने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र दिया कि विकास खण्ड बभनजोत, जनपद गोण्डा में आया हुआ धन वहां के खण्ड विकास अधिकारी और अन्य लोगों ने मिल करके बाहरी मजदूरों से एक गड्ढा खुदवाकर और एक नकली पाइप डालकर 25 लाख रुपये हड़प लिये। इसके बाद मैंने इस बात को सदन में उठाया और हमें आश्वासन दिया गया कि उस पर कार्रवाई की जायेगी लेकिन जिले के अधिकारियों ने इस पर लीपापोती की और सदन में उठाने के बाद आज तक मुझे इसकी सूचना नहीं दी गयी, यह विशेषाधिकार का हनन है। चुने हुए जनप्रतिनिधि और इस सदन का सदस्य होने के नाते मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपकी पीठ से बार-बार यह निर्देश भी होता है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन उसका पालन नहीं होता है। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हुए यह मांग करता हूं कि जो सरकारी धन गवर्न्मेण्ट आफ इण्डिया से 'नरेगा' का आया है इसकी जांच उत्तर प्रदेश की टास्क फोर्स भेजकर, स्थलीय सत्यापन कराकर कार्रवाई की जाए।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, सभी लोगों का एक ही दर्द है।

श्री अध्यक्ष-

हमदर्द बन जाइये, सभी के काम आयेगा।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम लोग कई नियमों के अन्तर्गत बार-बार सूचनायें देते हैं लेकिन असंवेदनशीलता के रहते यह सरकार किसी भी सूचना का जवाब नहीं देती है। हम लोगों को इतनी विधायी शक्ति तो मिली है कि हम लोग सदन के अन्दर अपनी बात कह सकें। हम लोगों ने पिछले सदन में कई समस्याओं को उठाया लेकिन एक भी समस्या का जवाब नहीं आया। हम बताना चाहते हैं कि हमने फतेहाबाद और आगरा के बीच में एक सड़क थी, उसके चौड़ीकरण के बारे में कहा था लेकिन उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया, नगरपालिका के ऊपर एक बाईपास बनाने की बात कही थी उसके बारे में भी जवाब नहीं आया। गांवों के विद्युतीकरण के बारे में बात कही थी उसके बारे में भी जवाब नहीं आया और इसी तरह से एक सरकारी नलकूप लगाने के लिए कही थी लेकिन उसके बारे में भी जवाब नहीं आया। कई नियमों के अन्तर्गत हम कई बार सूचनायें लगा चुके हैं-नियम-51, 52, 56 व 301 में। मा0 अध्यक्ष महोदय जितने भी नियम के अन्तर्गत जो समस्यायें उठाते हैं उसके बारे में सरकार कार्यवाही करे। मान्यवर, आप सरकार को विधान सभा के अन्दर उठे मुद्दों पर अच्छी तरह से कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें। मान्यवर, आगरा के अन्दर ऐसे असंवेदनशील अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं, विधायक जाये तो उसकी बात पूरी सुनेंगे, उसके सामने कागज पर हस्ताक्षर भी कर देंगे लेकिन उस कागज को आगे बढ़ाने की आज तक उन्होंने कभी कोशिश नहीं की है। हम लोगों के सामने इस तरह के गलतबयानी को रोकने की कोशिश की जाए। मा0 अध्यक्ष जी, यह हमारी मांग है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नियम-301 देखें, इसमें यह दिया है कि औचित्य का प्रश्न और उन पर विनिश्चय। औचित्य का प्रश्न- इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा- परन्तु मान्यवर, इसके साथ-साथ इसी में और दिया है कि- किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि ठीक समझें, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बातें सुन सकेंगे। औचित्य का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। यानी विशेषाधिकार का प्रश्न औचित्य के प्रश्न में नहीं उठाया जायेगा। कोई सदस्य द्वारा जानकारी मांगने के लिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो मान्यवर, निश्चित रूप से जो औचित्य का प्रश्न है जिसके आधार पर यह आता नहीं है इसलिए आपसे चाहूंगा कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, इस सदन में मैंने कई बार निर्देश दिया और आपने भी स्वीकार किया है। जिन मा0 सदस्यों ने नियम-301 में सूचना दी, ठीक है, औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। दिनांक 26-02-2008 में नियम 301 के अन्तर्गत हमने सूचना स्वीकार की लगभग इन सभी माननीय सदस्यों की सूचना रही है, यह 8वां महीना चल रहा है, 6 महीने हो गये। अभी तक इन सूचनाओं का जवाब विभागों द्वारा नहीं आया है। यह दुःख का विषय है। ठीक है औचित्य का विषय नहीं बनता है लेकिन बार-बार सदन में यह आये, यह ठीक नहीं है। जिसके लिए एक निर्धारित समय है कि इतने दिन के अन्दर जवाब आ जाना चाहिए, वह नहीं आ रहा है। मैं इस बात पर आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि तत्काल इस पर निर्देश दें कि समय के अन्दर नियम-301 की सूचनाओं का जवाब दिया जाए। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति इस सदन में बनेगी तो इस सदन में इन सूचनाओं का कोई महत्व नहीं रह जायेगा। मैं पुनः इस सूचना को अग्राह्य करता हूं क्योंकि यह नियम 300 में नहीं आती है। संसदीय कार्यमंत्री जी इस पर पुनः निर्देश दे दें कि अधिकारीगण समय के अन्दर सूचनाओं के उत्तर देने की प्रवृत्ति डालें।

श्री लाल जी वर्मा-

आपकी आज्ञा शिरोधार्य।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह व्यवस्था बन गई है प्रशासन की यहां पर आजम खां साहब बैठे हुए हैं यह जब संसदीय कार्यमंत्री थे तो इन्होंने पीड़ित होकर तत्कालीन अध्यक्ष से यह कहा था कि 'आप जो निर्देश देना चाहें दे दें हम परेशान हो गए हैं अधिकारीगण उत्तर ही नहीं भेज रहे हैं मैं शर्मिन्दा हूं' इस सदन में तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री जी ने यह पीड़ा व्यक्त की थी। कहीं न कहीं मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कीजिए वह समीक्षा करें यह तभी हो सकेगा वरना बार-बार निर्देश होता है, अध्यक्ष व्यवस्था देते हैं आपके पूर्व अध्यक्ष कई बार व्यवस्था कर चुके हैं लेकिन प्रशासन के ऊपर उसका असर नहीं पड़ रहा है। मंत्रियों को यह दायित्व दें कि कम से कम वह महीने दो

महीने में एक बार बैठकर समीक्षा कर लें कि विधान सभा से कितनी नोटिसें आईं उनका जवाब दिया गया कि नहीं जब वह दबाव बनाएंगे तभी कुछ हो सकेगा वरना आप कितने ही स्ट्रिक्चर पास कर दें। एक प्रशासन की व्यवस्था बन गई है लापरवाही दिनों दिन बढ़ती जा रही है कुछ कठोर निर्णय आप कीजिए संसदीय कार्यमंत्री जी भी थोड़ा जागरूक हो जाएं वह पूर्व की तरह संरक्षण न देना शुरू करें। आप भी इस पर कड़ी व्यवस्था बनाएं समय से सूचना आ जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह बिल्कुल सही है कि सरकारों, मंत्रियों या संसदीय कार्यमंत्री पर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है लेकिन सच्चाई है यह पीड़ा है जो आपने व्यक्त की है पिछली सरकार में हम भी बहुत भावुक होकर पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं लेकिन उसका कोई असर अधिकारियों पर नहीं पड़ा। आपको अधिकार प्राप्त है आप जिस स्थान पर हैं वहां से आप निर्णय लेने में सक्षम हैं। मेरे ख्याल से अगर सब इसके लिए तैयार हो जाएं तो यह निर्णय लिया जा सकता है कि किसी दिन मुख्य सचिव को यहां बुला लिया जाय अगर वह आश्वासन दे दें तो मात्र उनके आश्वासन पर ही संतुष्ट हुआ जा सकता है। एक बार उस स्तर के अधिकारी को यहां बुलाकर उनसे आश्वासन लेने से मुमकिन है कि उस निर्णय का कोई असर अधिकारियों पर पड़े।

श्री अध्यक्ष-

इस संदर्भ में पिछले सत्र में नियम समिति में संशोधन कराकर उसको सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया है कि अगर अधिकारी समय के अन्दर सदन ने जो सूचनाएं मांगी हैं उनका उत्तर नहीं देते हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से कहूंगा कि नियम समिति ने जो संशोधन किया और उसको सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया है उसका सरकार पालन कराए व दृढ़ता के साथ पालन कराए ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री लाल जी वर्मा-

आपका आदेश शिरोधार्य।

ग्रामों के मजरों की गणना किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, अभी आयेगा आपके सामने। विषय यह है कि जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिये गणना ठीक करते हैं तो उसकी व्यवस्था ठीक होती है। चाहे भोजन का कार्यक्रम

हो या बैठने का कार्यक्रम हो। तो इसी तरह से जो वर्तमान सरकार चल रही है यह लकीर की फकीर है। जैसे लीक-लीक चलते हैं ना गांव में बैलगाड़ी हांकते हैं तो लीक बन जाती है इसी पर सब चलते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो आप मिट्टी उस पर डाला करिये। क्या करना है। आप क्या व्यवस्था चाहते हैं।

श्री कुबेर सिंह-

व्यवस्था यह है कि आपके पास आज तक मजराओं की गणना नहीं कराई गई। ग्राम सभा के साथ गणना की गई है। तब जब आपके पास गणना ही नहीं है तो 300 वाले मजराओं की दूरी का कैसे करेंगे ? 500 वाले मजराओं का कैसे करेंगे। प्रधानमंत्री योजना वाली सड़क को कैसे बनायेंगे ? हैण्डपम्प आप कैसे लगायेंगे ? जब आपके पास मजरों की अलग से गणना ही नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न है। इसके साथ एक और चीज जुड़ी है। जब आपकी सरकार जवाब देगी तो उससे पहले बता दूं मैं। हमारे बाबा के जमाने के कुटुम्ब रजिस्टर हैं। तो कुटुम्ब रजिस्टरों से एक बार जल निगम वालों ने परिवारों की संख्या ले ली और मल्टीप्लाई बाई फोर कर दिया। उसके आधार पर यह सब विधिवत् कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपका नाम है कि नहीं है कुटुम्ब रजिस्टर में। (हंसी) है, तो बैठिये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री कुबेर सिंह-

मजराओं की गणना कराये सरकार। उसका जवाब दे कि है अथवा नहीं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है चलिये।

(श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला जी का नाम पुकारने पर वे उपस्थित नहीं थे)

शेष सभी सूचनाएं अग्राह्य कर दी गई हैं। अब आगे की मद लेता हूं।

उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 †

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 19-8-2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 †

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 †

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 19-8-2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 †

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 †

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी के बोलने के लिये खड़े होने पर एक माननीय सदस्य के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, एक मिनट माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं।

---

† दिनांक 19-8-2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सुरेश्वर सिंह, सदस्य विधान सभा का बहराइच पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने विषयक प्रकरण

* श्री सुरेश्वर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आप जिस सदन के अध्यक्ष हैं उस सदन का मैं सदस्य हूं। दिनांक 1/2 की रात में इन्स्पेक्टर कोतवाली नगर मेरे बहराइच स्थित आवास पर आ कर के कहा कि चलिये खेरीघाट थाने में आपके क्षेत्र में मटेरा गांव में दो सम्प्रदाय के लोग आमने-सामने इकट्ठा हैं। आप क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, आप चलिये। आप वहां पर लोगों को समझा बुझा दीजय। अपर पुलिस अधीक्षक श्री राकेश पुष्कर जी ने कहा है। मुझको लेकर वह देर रात में थाना थैरीघाट पहुंचे और वहां पर मुझे उन्होंने थानाध्यक्ष के कमरे में बिठा दिया। वहां न बिजली की व्यवस्था थी, न पंखे की व्यवस्था थी। वहां पर सी0ओ0 रिसिया श्री हरगोविन्द मिश्रा भी मौजूद थे। मान्यवर, रात से लेकर सुबह पांच-छः बजे तक मैं उस कमरे में बैठा रहा। मुझे मच्छर काटते रहे न तो मुझे एक गिलास पानी दिया और न ही मुझे नित्य क्रिया के लिए जाने दिया। बार-बार मैं सी0ओ0 रिसिया हरगोविन्द मिश्रा से आग्रह करता रहा। सुबह जब इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिन्ट मीडिया के लोग पहुंचे। पुलिस अधीक्षक बहराइच पहुंचे तो मैंने अपनी बात को उनके समक्ष रखा, प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के सामने मेरे सामने बयान हुए। प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोगों ने मुझे बताया कि 307, 436 सेविन क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेंट एक्ट में आपको नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मैंने पुलिस अधीक्षक से पूछा, कौन से लोग हैं किसने मुझे नामजद किया है। मुद्दई कहां है वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, उन लोगों ने पूछा। मेरे पास साक्ष्य हैं सबूत हैं जो इस मुकदमें का वादी है उसकी सी0डी0 मैं आपको साक्ष्य के रूप में दे सकता हूं इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोगों ने मुझको दिया है जिसमें कहा है कि घटना के समय गांव में विधायक जी मौजूद नहीं थे। न घटना के पहले थे न घटना के समय थे। वहां पीड़ित परिवार की महिलाओं ने कहा है कि घटना के समय विधायक जी गांव में नहीं आए थे न बाद में आए। वादी ने बयान दिया है कि मुझको गवाह बनाकर मुझसे सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए। इलेक्ट्रानिक मीडिया से गवाह ने कहा कि आप बता रहे हैं कि मैं वादी हूं तो मुझे पता लग रहा है कि मैं वादी हूं। मुझको तो गवाह बनाकर हस्ताक्षर करा लिया गया था। मुझे रात भर वहां रखा गया। सुबह उसके बाद पुलिस लाइन बहराइच लाया गया। पुलिस अधीक्षक जब पहुंचे तो उन्होंने मुझे चाय पिलवाई, पानी पिलवाया इसके पहले एडीशनल एस0पी0 बहराइच, सी0ओ0 रिसिया श्री हरगोविन्द मिश्रा, श्री सुखराम कैथल ने न तो मुझे पानी पीने दिया न मुझे दैनिक क्रिया से निवृत्त होने दिया। मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया। जब मैं बहराइच पहुंचा बहराइच में मेरे साथ 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुझे पुलिस लाइन बहराइच में रखा गया बाकी लोगों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को थैरीघाट थाने में रखा गया। लोगों की रिमाण्ड 12 बजे ले ली जाती है मेरे पास पुलिस अधीक्षक महोदय आते हैं एक बजे कहते हैं विधायक जी आप निर्दोष हैं आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। आई0जी0 गोरखपुर श्री शर्मा जी, डी0आई0जी0 देवी पाटन मंडल, कमिश्नर देवी पाटन मंडल सब लोगों की बैठक होती है बैठक में तय होता है विधायक जी को जेल नहीं भेजा जाएगा पुलिस अधीक्षक ने मुझे आकर के कहा कि विधायक जी आपको जेल नहीं भेजा जाएगा उसके बाद पता नहीं कौन सा निर्णय हो गया, कौन सी ऊपर की वार्ता हुई फिर एक घंटे बाद पुलिस अधीक्षक बहराइच आते हैं और कहते हैं कि आपको जेल जाना है। मेरी छवि को बिगाड़ने का काम किया गया। बहराइच जनपद में जहां मैं रहता हूं चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जिस सम्प्रदाय का व्यक्ति हो, मेरे लिए सब एक समान है मेरे साथ सबके अच्छे सम्बन्ध हैं 11 दिन तक मुझको जेल में रखा गया। 20 प्रतिशत लोग मुसलमान वर्ग के आए मुझसे मिले हैं धरना प्रदर्शन हुए हैं उनके चित्र हैं जिसमें 20 प्रतिशत मुसलमानों की भागीदारी रही है मुझको बदनाम करने की कोशिश की गई। मेरी अवमानना की गई मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। इसमें से एक अधिकारी हैं जो हमको लेकर थैरीघाट गए थे श्री रामनगीना यादव सदस्य विधान परिषद् की भी उन्होंने अवमानना की थी। विधान परिषद् में उनको तलब भी किया गया था। बी0 पी0 शुक्ला जी हैं इंस्पेक्टर कोतवाली नगर के, ऐसे अधिकारी हैं जिन लोगों ने हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों को सदन में तलब करके हमारा पक्ष सुन करके विशेषाधिकार के तहत उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही करके हमको सुलभ न्याय दिलाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

बस आ गया मा0 सदस्य का व्यक्तिगत मामला था इसलिए मैंने उनको सुन लिया।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

यह जो एफ0आई0आर0 लिखी गई है। एफ0आई0आर0 में लिखा है कि गांव 3 कि0मी0 दूर है, विधायक की उपस्थिति 5 बजे से 8 बजे तक दिखायी जाती है और घर से बुलाकर रात में 2 बजे गिरफ्तार नहीं किया जाता और अगले दिन 3 बजे शाम को भेजा जाता है। मान्यवर, किसी विधायक जिसके विरुद्ध एक भी केस पहले से न हो, कोई हिस्ट्री न हो, दो बजे घर से ले जाने का क्या औचित्य है, यह सभी विधायकों के अधिकार का सवाल है, सम्मान का सवाल है। दूसरा कि अगर यह 5 बजे से 8 बजे तक थे तो 3 कि0मी0 की दूरी पर जो गांव हैं, 3 घण्टे वहां विधायक रहा लेकिन किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी जब कि उसी गांव में मस्जिद पर दो पुलिस स्थापित है। वह पुलिस भी 3 कि0मी0 जाकर सूचना न दे और 200 लोगों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को भड़काने का काम कोई कर रहा है, आगजनी कर रहा है, विधायक कर रहा है और कोई गांव वाले ने भी सूचना नहीं दिया ? जब आगजनी वहां हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और निश्चित रूप से उस घटना की जितनी निन्दा की जाए कम है। लेकिन विधायक के साथ अधिकारियों ने निश्चित रूप से पक्षपात पूर्ण अवमानना का कार्य किया। इसलिए मेरा यह मानना है कि इसे विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित किया जाए। मान्यवर, इसकी गम्भीरता को आप देखिए, कोई भी विधायक हो, रात में कोई पुलिस उठा ले और बहाना बनाकर उठाये, यह कोई औचित्य नहीं, यह अवमानना है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसे आप विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, 31-7-08 को ग्राम मटेरा कलां, थाना खैरीघाट के पूरब में स्थित चम्पा दुबे की बाग में दो बोरियों में लगभग 55 किलोग्राम मांस अज्ञात जानवर का मौजूद होने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी रिसिया, थानाध्यक्ष खैरीघाट द्वारा मय पुलिस बल जाकर उस मांस को कब्जे में लिया गया। पशु चिकित्साधिकारी, शिवपुर ने मौके पर जाकर मांस का परीक्षण किया और कहा कि मांस गौवंश का प्रतीत नहीं होता। शान्ति व्यवस्था के लिए आवश्यक पुलिस बल गांव में तैनात किया गया। मांस का सैम्पुल लेकर दिनांक 2-8-2008 को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला मथुरा भेजा गया। दिनांक 1-8-08 को ग्रामीणों द्वारा पाए गए मांस को गाय का मांस होने की बात कही जाने लगी। भारतीय जनता पार्टी के महसी विधान सभा क्षेत्र के विधायक मा0 श्री सुरेश्वर सिंह द्वारा ग्राम मटेरा कलां पहुंच कर एकत्रित हुए ग्रामीणों के साथ बैठक की गई, तदुपरान्त आक्रोशित भीड़ द्वारा मुस्लिम सम्प्रदाय के कुल 21 घरों में आग लगायी गई, जिसमें कुल 17 परिवार पीड़ित हुए, इस घटना में 3 लोगों को साधारण चोट आई। जिनका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवपुर में दिनांक 2-8-08 को परीक्षण व उपचार कराया गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना के सम्बन्ध में शब्बीर पुत्र टहलू निवासी ग्राम मटेरा कलां, थाना खैरीघाट, बहराइच की तहरीर सूचना पर मुकदमा अपराध सं0-445/08 अन्तर्गत धारा-147/148/149/323/504/506/436/307/427 भारतीय दण्ड विधान व सेवेन क्रिमिनल लॉ एक्ट थाना खैरीघाट विरुद्ध श्री सुरेश्वर सिंह, मा0 विधायक, महसी, वैधी उर्फ रवीन्द्र कुमार मिश्र आदि कुल 20 के विरुद्ध नामजद एवं 250 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किये गये। घटना में नामजद श्री सुरेश्वर सिंह, मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र महसी सहित 20 अभियुक्तों को दिनांक 1/2 अगस्त, 2008 की रात गिरफ्तार करके जिला कारागार में भेजा गया। मान्यवर, इस तरह की यह घटना है और चूंकि इसमें एफ0आई0आर0 दर्ज है, इसलिए मान्यवर, गिरफ्तार किया गया।

* डा0 वकार अहमद-

मान्यवर, हमने इसमें 56 में नोटिस भी दिया है मा0 वर्मा जी ने अभी बताया है, 17 घर जले हैं और 27 परिवार प्रभावित हुए हैं जिसमें 25 मुसलमान हैं और 2 यादव हैं पूरे घर की गृहस्थी जल गयी थी जिस समय यह काण्ड हुआ, उस समय सबसे पहले पहुंचने वाला समाजवादी पार्टी का दल था, जो हमारे राष्ट्रीय नेता जी के आदेश से पहुंचा था, वहां पर। घर में एक तिनका भी नहीं बचा था, छांट-छांट करके मुसलमानों के घर को जलाया गया था और उसमें दो यादव परिवारों के भी घरों को जलाया गया था। जबसे यह सरकार बनी है तबसे केवल मुस्लिम उत्पीड़न हो रहा है और मुसलमानों के साथ दुश्मनी निभायी जा रही है। मान्यवर, जुलाई में धन्नीडीह का काण्ड हुआ। उसकी वजह से इस सदन की कार्यवाही दो दिन नहीं चल पायी। वहां पर 17 मुस्लिम महिलाओं की बेइज्जती की गयी। मुकदमा लिखाया गया आज तक कार्यवाही नहीं हुयी।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर-शराबा उत्पन्न हो गया।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा नहीं हो रही है।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, मुल्जिम खुलेआम घूम रहे हैं। उनको सरकार का पूरा संरक्षण है। वहां पर खैरीघाट का जो दरोगा था उसको हटाया जाय। यह सरकार पूरी तरह से मुसलमानों से दुश्मनी निभा रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें कार्यवाही भी हुयी है। जिनके घर जले हैं उनको अनुदान भी दिया गया है और जो लोग जलाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो रही है। यह सरकार सभी जाति, धर्म और वर्ग की हितैषी है और सबके संरक्षण के लिए काम करती है।

श्री अध्यक्ष-

वकार साहब, आपका सम्मान है। आपने बात को रख दिया। सरकार ने उसमें मुआवजा दिया है जो भी इस तरह की हरकत किये हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है।

(डा0 वकार अहमद शाह के लगातार बोलते रहने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह दूसरा विषय है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह कार्यवाही का अंग नहीं रहेगा। माननीय मंत्री जी को मैंने सुन लिया। इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है और मुकदमें के आधार पर कार्यवाही चल रही है और इसमें यह भी सुनिश्चित करा लें कि किसी का उत्पीड़न न हो।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, अब गवाही के लिए मत खड़े होइये। यह व्यक्तिगत मसला था, सुन लिया गया बस।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 अगस्त, 2008 को नियम-311 में प्राप्त 07 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना (नियम-311 में प्राप्त) श्री कौकब हमीद, श्री पूरन प्रकाश, डा0 अजय तोमर, डा0 अनिल चौधरी, श्री अब्दुल वारिस, चौधरी सत्यपाल सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री मदन चौहान, श्री जोखू लाल यादव की ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस की गोलीबारी एवं लाठीचार्ज से हुयी मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जिसको पहले सुन लिया है और अग्राह्य कर दिया है। दूसरी सूचना (नियम-311 में प्राप्त) श्री श्याम देव राय चौधरी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की डुमरियागंज सहित पूरे प्रदेश में फैले हुए नकली नोटों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री कृष्ण गोपाल पटेल, डा0 कौशल किशोर की जनपद लखीमपुर खीरी में भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की माननीय सदस्य को अतिरिक्त गनर न दिये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री हुकुम सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान की जनपद बुलन्दशहर की तहसील सदर में विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की भूमि का अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कपूर, श्रीमती अमिता सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अशोक सिंह, चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री आर0पी0एन0 सिंह की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना (नियम-311 में प्राप्त) श्री राम किशुन की उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उर्वरक खाद की भारी

कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ में सदर स्थित सिलनी नदी पर पुल का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी की बुन्देलखण्ड एवं झांसी में राजस्व वसूली को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुयीं श्री जमीर उल्ला खां, श्री लालजी यादव, श्री अशोक कंसल, श्री सतीश महाना, श्री सलिल विश्नोई, डा0 वकार अहमद शाह, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री विजय यादव, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री राम विशुन आजाद, डा0 नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री अनूप सण्डा, श्री कुबेर सिंह, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री इमरान मसूद, श्री राम किशुन, श्री संजय कपूर, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी (नियम-311 में प्राप्त), श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री उदयराज यादव, श्री कुबेर सिंह (नियम-311 में प्राप्त), श्री प्रदीप माथुर, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री उदयभान करवरिया, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, श्री अब्दुल वारिस खां, चौ0 सत्यपाल सिंह।

(व्यवधान)

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, हमारी भी सूचना थी।

श्री अध्यक्ष-

हो गया। आप कौन सी कह रहे हैं यह जो डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, श्री अब्दुल वारिस खां व चौ0 सत्यपाल सिंह जी वाली है। इसे आप कल दे दीजियेगा। कल सुन लेंगे। पाण्डे जी शुरू करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप-

मान्यवर, हमारी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

यह आपने कब दिया है, अभी दिया है क्या ?

श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप-

मान्यवर, हम सुबह दिये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका व्यक्तिगत मामला है तो हम बुलवा लेंगे।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी भी एक सूचना है एडमीशन वाली उसको भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपका तो अस्वीकार वाले में है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तैयार है जवाब देने के लिए।

श्री अध्यक्ष-

यह कैसे समझौता आप कर लिये हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप संरक्षण दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आज आपकी कोई सूचना तो नहीं थी। एक मिनट रुक जायें, मैं देख लूं। चलिये बाद में देखेंगे। यह तो अस्वीकार वाले में है तो वह कहां से परम्परा तोड़ेंगे। पाण्डे जी आप बोलें।

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

आप बाद में रख दीजियेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जनपद सिद्धार्थनगर से आता हूं। सिद्धार्थनगर, बहराइच, महाराजगंज की सीमाएं नैपाल से मिलती हैं। यह सीमायें खुली हैं। आज से नहीं, लगातार कई वर्षों से वहां पर कभी न कभी जाली नोट बैंकों से भी मिल जाता था, दुकानों से मिल जाता था। इस संदर्भ में कई बार मैंने इस सदन में चर्चा भी किया कि नैपाल की सीमा खुली होने के नाते या वहां की पुलिस प्रशासन की लचर नीति के नाते अपराधी आबाध गति से आते-जाते रहते हैं, और रुपया ही नहीं हथियार की सप्लाई भी उसी रास्ते से हिन्दुस्तान को होती है। मैंने इस प्रश्न को कई बार इस सदन में आपके समक्ष रखा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अभी 29 जुलाई को हमारे यहां एसटीएफ की फोर्स गयी और कुछ लोगों को पकड़ कर ले गये। पहले भ्रान्ति यह हुई कि इनका अपहरण हुआ है लेकिन बाद में जानकारी हुई कि नकली नोटों का यह लोग धंधा करते थे इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है। दिन में मैं वहां था जब यह लोग पकड़े गये थे तो मुझे बताया गया कि अपहरण हुआ है लेकिन शाम को मुझे बताया गया कि नकली नोटों के सौदागर थे और एस0टी0एफ0 ने इन लोगों को पकड़ा है और साथ ही जो बैंक के कैशियर थे उन्हें शाम को पकड़ा गया। यह पता किया गया कि यह जाली नोट इसी बैंक से चलाये जाते थे, तो डुमरियागंज बैंक की तलाशी ली गयी और उस तलाशी में उस समय तत्काल कुछ जाली नोट उनके चेस्ट में मिले। कैशियर के घर में भी नकली नोट मिले। अभी भी वहां पर आर0बी0आई0 और एस0बी0आई0 के लोग नोटों की गिनती कर रहे हैं। अब तक उनके हिसाब से एक करोड़ सत्तर लाख के नोट, वह डुमरियागंज बैंक चेस्ट बैंक है, वहां जितने अगल-बगल देहात के बैंक हैं सब उसी बैंक से रुपया ले जाते हैं और उनके चेस्ट में एक अरब चौरासी करोड़ रुपया जमा था। यह एक साजिश के तहत वहां अपराधी और पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर इस तरह का धंधा बहुत दिनों से कराता रहा है। इसलिए अब यह नोट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो निकल रहे हैं उसका कारण जो भी रहा हो लेकिन उसमें पूरी साजिश वर्तमान वहां के पुलिस अधीक्षक और पुलिस प्रशासन की रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, वहां के अखबारों में भी छपा है, अमर उजाला में छपा है, हालांकि अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता है। लेकिन उन लोगों ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो नैपाल के और इनके बीच के सेतु हैं और एक जगह है वहां, उस जगह यह लोग इकट्ठा होते हैं, शाम को पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में वार्ता होती है, इस तरह से यह धन्धा फलता-फूलता रहा। मैं एस0टी0एफ0 को धन्यवाद देता हूं, वहां की एस0टी0एफ0 ने नहीं, वहां की पुलिस ने नहीं, हम लोग जब कहते रहे तो वहां की पुलिस ने किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, बाहर की पुलिस जब जाकर पकड़ी है और बाहर के लोग जब जाकर पकड़े हैं तब जाकर इसका भण्डा फूट हुआ है।

मान्यवर, स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति, जो एक हजार रुपये का नोट लेकर जाता है, कोई दुकानदार लेता ही नहीं डर के मारे, पांच सौ रुपये का नोट वहां चलता ही नहीं, बैंक वाले उसका कोई वेरीफिकेशन ही नहीं करते। वहां की पूरी मशीनरी बंद पड़ गई है और जो भी नोट जिसके पास हैं, हर आदमी घबड़ाया हुआ है, परेशान है कि यह मेरा नोट जाली है कि सही है। इसलिए वहां एक विषम स्थिति पैदा हो गई। दूसरी बात यह है कि यह जो जांच हुई इसकी स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। कैशियर के घर की तलाशी हुई, बैंक की भी तलाशी ली गई, वहां के स्थानीय थानेदार जो डुमरियागंज के थानाध्यक्ष हैं, उन्होंने 29 जुलाई को तलाशी लिया और एक अगस्त को इटवा बैंक में उनका खाता नम्बर है-0119302309 में चार लाख रुपया लाकर जमा करते हैं। वहां लोगों में यह अफवाह है कि पुलिस वाले मिल कर इसे कराते थे और जांच में जब यह गये तो बैंक से असली रुपया निकाला और लाकर इन लोगों ने वहां काफी घपला किया। इसलिए जब इसकी जांच आपने सी0बी0आई0 को लिखी है, लेकिन अभी सी0बी0आई0 उसकी जांच करने नहीं गई। आपने ए0टी0एस0 फोर्स कोई नई बनाई है, वह लोग गये हैं। इसकी व्यापक छानबीन करने की आवश्यकता है। मेरा खुला आरोप है कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में यह धन्धा पिछले एक साल से फल-फूल रहा है। मान्यवर, यही नहीं, आने वाले दिन हमारे जिले के लिए खतरनाक होगा। मैंने बार-बार इसी सदन में कहा है कि जाली नोट [illegible] नहीं, असलहे भी सप्लाई किये जाते हैं नैपाल के काठमाण्डू के रास्ते से और वह कानपुर भेजे जाते हैं, यह कौन लोग हैं, कौन इनको संरक्षण देता है, इसकी जानकारी सरकार को करनी चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। मेरी मांग है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी, हम यह नहीं चाहते, जिस अधिकारी को हम कह दें यह खराब है वह आपके लिए देवता हो जायेगा। मौर्या जी बैठे हैं, क्यों मौर्या जी कैसी बातें होती थीं, कैसे-कैसे अधिकारी होते थे, वही अधिकारी आज आपके लिए देवता हो गये हैं, हमारे लिये खराब हो गये हैं। यह हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए, सभी सरकारी दलों

को कि सरकार में जो भी विपक्ष की शिकायतें हैं उसको गम्भीरता से लेना चाहिए। यह अधिकारी बड़े होशियार होते हैं। यह पुलिस अधीक्षक जो वहां सिद्धार्थनगर में बैठकर न केवल यही धन्धा करते हैं आपके डी0जी0पी0 जानते हैं, आपके ए0डी0जी0पी0 जानते हैं क्या-क्या होता है। मुझे शर्म आती है उन बातों को कहने में। अभी आपके गोरखपुर में सेक्स स्केण्डल हुआ था, आप जांच कराइये क्या उसमें यह शामिल नहीं थे। इस तरह से जब अधिकारी वहां रहेगा। इस अधिकारी के बारे में डी0जी0पी0 जी को भी पता है, मेरी बात हुई, एडीशनल डी0जी0पी0 को पता है, सरकार को जानकारी करनी चाहिए क्या यह अधिकारी, इसके रहते वह जिला सुरक्षित है। यदि सुरक्षित है तो मुझे कुछ नहीं कहना, जो भी जिम्मेदारी है, आपकी है, अगर नहीं सुरक्षित है तो आपको कोई कठोर कार्यवाही करनी चाहिए और इस पर कोई नई नीति बनाकर उस सीमा को सुरक्षित करना चाहिए। नहीं तो आज तो यह नोट आये, एक अरब चौरासी करोड़ रुपये में एक करोड़ सत्तर लाख रुपया नकली चेस्ट में कैश मिला है। इसलिए मैं एक मांग करके अपनी बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह जो दरोगा है इसके रुपये की जांच कराई जाये। यह चार लाख रुपया जो एक अगस्त को जमा किया है इटवा एस0बी0आई0 खाते में, मैंने नम्बर भी बता दिया है, यह कहां से आया, यह कहां पाया ? 29 जुलाई को छापा पड़ता है, जांच होती है, चार लाख ये जमा करते हैं यह पूरा रैकेट है, इस रैकट की जांच होनी चाहिए। मान्यवर, 29 जुलाई को छापा मारा जाता है उसके बाद वह अपने बैंक खाते में चार लाख रु0 जमा करते हैं। यह पूरा का पूरा एक रैकेट है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें एक कठोर नीति बननी चाहिए और जो भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि हम बार-बार यह कहते रहे हैं सदन में कहते रहे हैं अखबारों के माध्यम से कहते रहे हैं लेकिन इन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर मान्यवर, वहां पर एस0टी0एफ0 नहीं गयी होती तो यह खजाना लुटता चला जा रहा था।

माननीय मंत्री जी इसमें आप एक उच्च स्तरीय जांच करायें। दूसरे इन अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। बार-बार मैं एक साल से कह रहा था कि इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है और घोटाला हो रहा है। मान्यवर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं जिनका संरक्षण प्राप्त रहा। क्योंकि वह यहां के सदस्य नहीं हैं। अगर नाम ले लूंगा तो इस सदन की मर्यादा टूटेगी। आप उच्च स्तरीय जांच करायें और कार्यवाही करें नहीं तो [illegible] के यह जिले जल जायेंगे।

* डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, अभी माता प्रसाद पाण्डेय जी ने लचर पुलिस व्यवस्था की बात कही है और पुलिस अधिकारियों को संरक्षण होने की बात कही है। मान्यवर, मेरे हाथ में एक पत्र है यह पत्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अमर उजाला, सिद्धार्थनगर की ब्यूरो प्रभारी यशोदा श्रीवास्तव जी का है। यह पत्र उन्होंने मुझे लिखा है। मान्यवर, पत्रकार समाज में काम करते हैं और राष्ट्रविरोधी ताकतों के विरुद्ध समाचार लिखते हैं। कम से कम वह यह अपेक्षा तो सरकार से करते ही हैं कि कानून व्यवस्था के जो प्रहरी हैं वह उनके साथ खड़े होंगे। यह पत्र मेरे पास है मैं आपकी अनुमति से पढ़े देता हूं।

परम आदरणीय,

श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी,

विधायक, गोरखपुर "सदर"

महोदय,

अमर उजाला के आठ अगस्त् के अंक में प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित खबर "पुलिस अधिकारी के आई0एस0आई0 से रिश्ते" से नाराज होकर कर सिद्धार्थनगर के पुलिस कप्तान श्री आर0पी0 चतुर्वेदी ने मुझे मेरे मोबाइल नं0 9936997431 पर अपशब्दों के बौछार के साथ खत्म कर देने की धमकी दी।

इस के बाद प्रार्थी के सहयोगी रिपोर्टर सलमान आमिर के मोबाइल नं0 पर एक अज्ञात मोबाइल नं0 से जान से खत्म कर देने की धमकी के साथ अमर उजाला के सिद्धार्थनगर कार्यालय को बम से उड़ा देने की धमकी दी गयी। इस की सूचना पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के अलावा प्रमुख सचिव, गृह को भी 9 अगस्त् को दे दी गयी थी।

महोदय, ताजा जानकारी यह मिली है कि मोबाइल से धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस कुछ कर तो नहीं सकी अलबत्ता 13 अगस्त् को उसे सिद्धार्थनगर थाने में बुला कर प्रार्थी को मार-पीट कर हाथ पैर तोड़ देने का टिप्स जरूर दे दिया गया। इस बात की जानकारी प्रार्थी ने 16 अगस्त् की शाम को डी0आई0जी0 बस्ती श्री के0के0 त्रिपाठी को फोन द्वारा दे दी है।

मान्यवर, आप को सम्बोधित इस आवेदन का उद्देश्य मात्र इतना है कि प्रार्थी का विश्वास पुलिस तन्त्र से उठ चुका है, अतः एक संघर्षशील व जुझारू जन प्रतिनिधि होने के नाते आप प्रार्थी की मदद करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

दूसरा पत्र पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है :--

विषय : अमर उजाला सिद्धार्थनगर ब्यूरो कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी

महोदय,

जिले के डुमरियागंज कस्बे के स्टेट बैंक से जाली नोटों की बरामदगी की खबरें अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित की हैं। इस खबर से तिलमिलाया कोई अज्ञात व्यक्ति पिछले दो दिनों से अमर उजाला ब्यूरो कार्यालय में कार्यरत पत्रकर सलमान आमिर की मो0 9839512695 पर लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है।

दिनांक 09 अगस्त् को फिर उसी मो0 नं0 9838456212 से श्री आमिर के मो0 पर धमकी आया। इस बार कार्यालय को ही बम से उड़ाने की धमकी दी गयी।

महोदय, निवेदन है कि उक्त सारे प्रकरण की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्यवाही के साथ अमर उजाला बयूरो कार्यालय सिद्धार्थनगर और इससे जुड़े पत्रकारों के जान माल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः

1-डी0आई0जी0 बस्ती, रेंज

2-प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0

अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था नकली नोटों की चल रही हैं उसमें अकेले डुमरियागंज का मामला नहीं है। अलीगढ़ में 9 घटनायें घटी हैं गाजियाबाद में 8 घटनायें इस प्रकार की घटी हैं। इसी तरह से कानपुर में, लखनऊ में, उन्नाव में, बलिया में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, देवरिया में यह घटनायें घटी हैं। मान्यवर, पिछले एक साल में तकरीबन ऐसी 70 घटनायें घटी हैं। मान्यवर, एक साल से यह नकली नोटों की घटनायें हो रही हैं।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि गोरखपुर में बम विस्फोट की घटना हुई है, तीन कचेहरियों में एक साथ घटना घटी, संकट मोचन मंदिर पर घटना हुई, राम जन्म भूमि पर घटना हुई। तो यह सब घटनायें उन्हीं सब बातों की कड़ी के रूप में हैं।

मान्यवर, जो यह बार्डर से सटे हुए जिले हैं, आप देखें कि वहां किस तरह से आज नवधनाढ़यों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन को पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए था। मान्यवर, दूसरी ओर जो समाचार पत्रों में इस तरह की बातें प्रकाशित की जा रही हैं तो उसमें दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही होने के बजाय उन्हीं समाचारों को छापने वालों को जान माल की हानि पहुंचाने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यह सब मामले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जानकरी में है लेकिन वह ध्यान नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, जो कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों पर होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है वह कार्यवाही हो रही है एस0एस0बी0 पर। जिसे इसी सरकार ने 15 कि0मी0 के अंदर सर्च, सीजर और रेड करने का अधिकार दिया था। आज इस सारे प्रकरण के बाद एस0एस0बी0 का वह अधिकार आपने छीन लिया है। उनको आपने यह कहा है कि 5 कि0मी0 की सीमा के अन्दर ही आप सर्च, सीजर और रेड की कार्यवाही कर सकेंगे। इन सबसे जनता के बीच यह मान्यता आज बढ़ रही है कि इस तरह से भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। आप एस0एस0बी0 पर क्यों कार्यवाही कर रहे हैं। यह कौन से तथ्य थे जिनके आधार पर जो उनको पहले 15 कि0मी0 क्षेत्र के अन्दर कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त था उसे घटाकर अब 5 कि0मी0 कर दिया।

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो कहा, जिस नाम को नहीं लिया मैं उस नाम को न लेते हुए सिर्फ इस बात को जानना चाहूंगा कि वह कौन से जनप्रतिनिधि थे जो शासन को बता रहे थे कि एस0एस0बी0 के इस अधिकार को जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण अधिकार है छीना जाना अत्यन्त आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, यह विषय हम लोग सदन में सिर्फ इसलिए लेकर आये हैं कि अपराध होते रहते हैं लेकिन शासन और प्रशासन का दायित्व उन अपराधों की तह में जाना, ईमानदारी के साथ उनका परीक्षण करना और जो वास्तविक अपराधी हैं उनको दण्डित करने का होता है। अगर उसकी जगह पर जो लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं जो जनता की आवाज को उभारने का काम कर रहे हैं अगर उन्हें दण्डित करने का काम शासन कर रहा है तो कहीं न कहीं यह शासन की राजनैतिक मंशा और सोच है क्योंकि उन जनप्रतिनिधियों का नाम बताया जाना चाहिए जिन्होंने यह रिपोर्ट की है कि एस0एस0बी0 के कारण सुरक्षा प्रभावित हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यह विषय सदन में लाने का उद्देश्य यही है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी को और राधा मोहन अग्रवाल जी को इस बात पर कि उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय है और फोर्स काफी सक्रियता से काम कर रही है जिसका परिणाम हुआ मान्यवर कि 25-07-08 को टास्कफोर्स द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 25-7-08 को अभियुक्त सुहेल सिंह उर्फ रमाशंकर सिंह जनपद गोण्डा, शर्मा पासवान निवासी पूर्वी चम्पारन (बिहार), विनोद कुमार मिश्रा जिला चम्पारन, बिहार, संजय कुमार पटेल जिला पूर्वी चम्पारन (बिहार) से 1000 रुपये की 1-1 लाख की 10 गड्डियां तथा 500 रुपये की 12 गड्डियां कुल 16 लाख रुपये के जाली नोट बरामद किये गये और थाना महानगर लखनऊ पर मु0अ0सं0 शून्य/08 धारा 489बी/489सी भादवि अंकित कराया गया जिसकी विवेचना अपराध संख्या 252/08 पर जीआरपी लखनऊ द्वारा की जा रही है।

अभियुक्तों से हुई पूंछताछ पर एसटीएफ द्वारा दिनांक 29-7-08 को आबिद उर्फ पण्डित निवासी जमोती, थाना डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1-1 लाख की 1000 रुपये की 4 गड्डियां तथा 500 रुपये की 2 गडिडयां कुल 5 लाख के जाली नोट बरामद किये गये। आबिद से पूंछताछ में स्टेट बैंक शाखा डुमरियागंज सिद्धार्थनगर के कैशियर सुधाकर त्रिपाठी का नाम प्रकाश में आया जिसे एसटीएफ द्वारा जाली नोट प्रचलन में सहयोग के आरोप में दिनांक 29-7-08 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और थाना डुमरियागंज में मु0अ0सं0 557/08 धारा 489बी/489सी भादवि पंजीकृत कराया गया।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ को पत्र के माध्यम से नेपाल की सीमा से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महराजगंज,

गोण्डा, बलरामपुर, खीरी, श्रावस्ती एवं पश्चिमी उ0प्र0 के जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ एवं अलीगढ़ में करेन्सी चेस्ट का आकस्मिक भौतिक सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया। तद्नुसार स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर में रखे करेन्सी चेस्ट का भौतिक सत्यापन एसबीआई/आरबीआई की संयुक्त टीम द्वारा किया गया जिसमें चेस्ट में 500-500 के 14 हजार नोट अर्थात 70 लाख रुपये कम पाये गये और 20 लाख रुपये (1 हजार रुपये की 20 गडिडयां) जाली पाई गयीं। संयुक्त टीम द्वारा की जा रही चेकिंग से अब तक लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य की जाली भारतीय मुद्रा की बरामदगी करेन्सी चेस्ट से की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक की सूचना पर थाना डुमरियागंज में मु0अ0सं0 571/08 धारा 409/489बी/489सी भादवि बनाम सुधाकर त्रिपाठी व 19 अन्य पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

उपरोक्त तीनों अभियोगों की विवेचना वर्तमान में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है। इसके अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयाम होने की प्रबल सम्भावना के दृष्टिगत इन सभी अभियोगों की विवेचना सीबीआई से कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को पत्र भेज कर दिनांक 8-8-08 को अनुरोध किया गया है।

इसी प्रकार जनपद अलीगढ़ में बरामद 15 लाख की जाली मुद्रा को बरामदगी से सम्बन्धित मु0अ0सं0 357/07, 358/07 धारा 489बी,सी/124 ए/420 भादवि थाना छर्रा की विवचेना तथा जनपद बिजनौर में बरामद जाली मुद्रा के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1281/08 की विवेचना भी सीबीआई से कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रमशः दिनांक 6-8-08 एवं दिनांक 12-8-08 को अनुरोध पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

जहां तक विगत वर्षों में जाली नोटों के संजाल का प्रदेश में पर्दाफाश करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन द्वारा अवगत कराया गया है कि :--

- उ0प्र0 में वर्ष 2005 में कुल 46 जनपदों में 124 अभियोग पंजीकृत हुए, रुपये 31,27,350/- की भारतीय जाली मुद्रा बरामद हुई और 221 अभियुक्त गिरफ्तार हुए।
- वर्ष 2006 में कुल 54 जनपदों में 215 अभियोग पंजीकृत हुए, रुपये 71,94,300/- की भारतीय जाली मुद्रा बरामद हुई तथा 348 अभियुक्त गिरफ्तार हुए।
- वर्ष 2007 में कुल 55 जनपदों में 286 अभियोग पंजीकृत हुए, रुपये 87,62,120/- की भारतीय जाली मुद्रा बरामद हुई तथा 305 अभियुक्त गिरफ्तार हुए।
- इसी प्रकार वर्ष 2008 में जुलाई 2008 तक कुल 77 अभियोग पंजीकृत हुए, रुपये 45,90,500/- की भारतीय जाली मुद्रा बरामद हुई तथा 137 अभियुक्त गिरफ्तार हुए।

प्रदेश में जाली मुद्रा के छापने, संचालन, प्रसार को रोकने के लिए तथा इसका सम्बन्ध आतंकवादी संगठनों से होने के सम्बन्ध में योग्य उपायों की चर्चा के लिए गृह विभाग द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबन्धक, अपर पुलिस महानिदेशक, ई0ओ0डब्लू, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अभिसूचना विभाग तथा इन्टेलिजेन्स ब्युरो, भारत सरकार (उ0प्र0) को सदस्य नामित किया गया है।

इसी प्रकार अन्तर्राज्यीय सीमा से लगे राज्यों में जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सरकारी क्षेत्र के बैंक का प्रतिनिधि तथा भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर के प्रतिनिधि सम्मलित हैं।

इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक के स्तर पर विभिन्न बैंकों के प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की भी एक बैठक आहूत की गयी जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के कानपुर और लखनऊ शाखाओं के क्षेत्रीय निदेशकों ने भी भाग लिया। उक्त बैठक में सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारतीय जाली मुद्रा के संचरण के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई तथा पुलिस और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय कैसे स्थापित हो, इस बिन्दु पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ। भारतीय जाली मुद्रा की पहचान कैसे हो, इसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी चर्चा हुई। इस सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न बैंकों के 24 अधिकारियों द्वारा उक्त बैठक में भाग लिया गया। मान्यवर, इस तरह से प्रदेश सरकार इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था कर रही है और जहां तक इन अपराधों में किन-किन व्यक्तियों के शामिल होने का, जैसा माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने और राधा मोहन अग्रवाल जी ने बताया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह तो अपनी जगह है लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे दुकानदार हैं, खरीदार हैं, आम आदमी हैं, उसके पास भी यह नोट आ गये हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। वह परख भी नहीं कर पाता उसकी। वह लोग भी पकड़े गये हैं। तो कुछ ऐसा संदेश इस सरकार की तरफ से चला जाये पुलिस को, कि ऐसे लोग जो तस्करी नहीं कर रहे हैं, अपराधी नहीं हैं, कोई अपराधिक इतिहास नहीं है, दुकानदार हैं, खरीदार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दरम्यानी दरजे का आदमी है तो अगर उसके पास हजार-दो हजार रुपये हैं तो उसके ऊपर भी वह धारायें न लगें, अगर वह आदमी बेगुनाह है, आम आदमी है इसमें कुछ आम लोग भी पकड़े गये हैं और पुलिस की भी मजबूरी है जाहिर है कि अगर मेरे पास निकलते हैं तो मैं भी मुजरिम हूं। लेकिन मुझे यह कैसे मालूम कि यह नोट नकली है या असली है। एक आम आदमी अगर ऐसा पकड़ा गया है तो पुलिस उसमें तस्कर में, अपराधी में या आतंकवादी में कुछ इम्तियाज बरते, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसीलिये आम लोगों को भारतीय जाली मुद्रा की पहचान कैसे हो इसके व्यापक प्रचार-प्रसार का भी निर्णय लिया गया है जिससे कि आम आदमी भी यह समझ ले कि कौन जाली नोट है और कौन असली नोट है। जहां तक इसमें किसकी-किसकी संलिप्तता की बात है तो इसके सम्बन्ध में इसीलिए विवेचना सी0बी0आई0 को रिफर की गई है, ए0टी0एस0 अभी जांच कर रही है और इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो अगर वह दोषी है तो उसे कदापि बचाया नहीं जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ मा0 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने एस0एस0टी0 के बारे में चर्चा की तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जिससे नेपाल की सीमाओं से आतंकवादी और तस्करी का काम न होने पाये, इसलिए 16 किलोमीटर तक पूरी तरह से जो पुलिस का अधिकार था उसको भी उन्हें देने का काम किया गया था, सर्च करने का वारंट जारी करने का अधिकार उन्हें दिया गया था। लेकिन जब उसका रिजल्ट देखने में आया तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि आम जनता को परेशानी देखने में आयी और जब आम जनता को परेशानी समझ में आयी तो उस परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए उस सीमा को घटाने का निर्णय लिया गया है। इसमें किसी को बचाने का कोई कारण नहीं है बल्कि आम जनता की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए एक कल्याणकारी सरकार का जो दायित्व होता है उसका निर्वहन करते हुए यह कार्यवाही की गई है। इसमें पर्याप्त कार्यवाही हो चुकी है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने एक स्पेसिफिक सूचना आपको दी है। एक पत्रकार ने लिखित रूप से एक एस0पी0 के ऊपर अपने जीवन का खतरा, हत्या की धमकी, बम से उड़ाने की धमकी दी है। सदन के अन्दर वह चीज मैंने पढ़ी है इसलिए सदन की कार्यवाही का वह हिस्सा है। आश्चर्य की बात है कि संसदीय कार्यमंत्री अपने पूरे जवाब में इस सारे विषय पर चुप हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार में इतनी स्पष्ट मांग होने के बावजूद उस पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही करने का या कार्यवाही नहीं करने का, जो भी सरकार की मंशा हो, सरकार अपना स्टैण्ड साफ करें कि एक पत्रकार यदि ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, उसके जीवन की धमकी दी जा रही है तो सरकार उसे कितनी गम्भीरता से ले रही है। और नम्बर-2, एस0एस0टी0 के बारे में, आपने कहा कि जनता को असुविधा हो रही है। हम यह जानना चाहते हैं कि कैसे आपको पता चला कि जनता को समस्या हो रही है क्योंकि जो हम लोगों की सूचना है, हम लोगों ने इसकी जानकारी लेने का प्रयास किया, समाचार-पत्रों में बयान छपा भी कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने एस0एस0टी0 की गतिविधियों पर आपत्ति दर्ज की। हम यह जानना चाहते हैं कि जनता की आड़ में कौन से जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने आपको सूचना दी है। अगर एक साल पहले 2007 में अधिकार दिया था और 2008 में अधिकार छीन लिया, आखिर

कौन से आपके मानक थे जिसके आधार पर आपने तय कर लिया कि एस0एस0 टी0 अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश अकेला प्रदेश नहीं है पूरे देश में एस0एस0टी0 को अधिकार दिये गये हैं आखिर कौन से आधार आपके पास हैं।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, मा0 मंत्री जी ने अपनी व्यवस्था बता दी है। अब आप बैठें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरी भी सूचना इसी सम्बन्ध में थी, आपने मुझे अवसर नहीं दिया और न ही आपने मेरा नाम लिया। मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने दो लोगों को बुलाया था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, राधा मोहन अग्रवाल ने एक प्रकार से जो विषय आपके सामने रखा है और अपनी जो पीड़ा व्यक्त की है उसके ऊपर कुछ तो आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। मान्यवर, इतनी बड़ी समस्या इन्होंने आपके सामने रखी है और इसके बावजूद भी कोई बात नहीं कहेंगे। एक व्यक्ति जो पत्रकारिता कर रहा है ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहता है और खुलेआम उसे धमकाया जा रहा है और उसकी जान के खतरे की बात है और सरकार चुप है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरी भी सूचना जाली नोट के सम्बन्ध में थी।

श्री अध्यक्ष-

आप सुने नहीं होंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मैं तो यहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

एक जगह रहना अलग बात है और सुनना अलग बात होती है। मैं बता रहा हूं कि तीनों मैंने कलेक्ट किया था उसमें पहला नाम आपका ही था। मा0 श्याम देव राय चौधरी जी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी और मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी।

जब मैंने सूचना के विषय को लिया तो नाम पढ़ा है, हो सकता है कि आपको आमंत्रित नहीं कर पाया हूं, लेकिन इस सूचना को क्लब करके जब नामों को मैंने पढ़ा है, तो प्रथम नाम आपका ही है श्याम देव राय चौधरी जी। माता प्रसाद पाण्डेय जी को तो इसलिए बुला लियाँ कि आप नहीं थे।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

अध्यक्ष जी, मैं तो यहीं था लेकिन आपने पाण्डेय जी को पुकार लिया। मान्यवर, मेरा नाम भी इसमें जोड़ लें।

श्री अध्यक्ष-

आपका नाम हम बहुत पहले जोड़ चुके हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मेरे जिले का मामला है, एक पत्रकार को कप्तान ने मौखिक रूप से धमकाया है, वह मुझसे बता रहे थे। अगर आप न कुछ करें तो कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कर दें नहीं तो इसकी आई0जी0 या डी0आई0जी0 से जांच करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल तथा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिए अग्राह्य करता हूं। लेकिन तब भी सदन के संज्ञान में एक पत्र का उल्लेख डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया है और पत्रकार जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ होता है उसकी सुरक्षा के लिए गृह विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को लिखा है तो मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इसकी जांच-पड़ताल करवाकर सुरक्षा की व्यवस्था करें। यह बात सदन की संज्ञान में भी आ चुकी है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

डा0 आर0ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद लखीमपुर खीरी में भयंकर बाढ़ आयी हुई है जिससे शारदा नदी और सरयू नदी ने भारी तबाही मचायी है। तमाम किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन कटकर नदी में समा गयी है। नकहा ब्लाक के मथौरा, गोसियाना, बंजरिया, पकरिया, नउवापुरा तथा फूलबेहड़ ब्लाक के पिपरागूम, जंगल नं0-10, जंगल नं0-11, मेंहदी, बड़ागांव, नरी, नरहा, गौरा आदि गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी ने बार-बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगर बंधा कट जायेगा तो उसकी जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता, लखीमपुर खीरी के ऊपर तय की जायेगी, उनको निलंबित किया जायेगा, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज होगी। लेकिन 400 मीटर बंधा कट गया परन्तु इसके बावजूद अभी तक किसी भी अधिकारी के ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं तय की गयी। जो गांव कट गये है, चारे की समस्या है, जानवर भूखे मर रहे हैं। जानवरों को नाव से चारा लाकर खिलाने की जरूरत है

लेकिन नाव नहीं उपलब्ध करायी जा रही है। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा उनको मुहैया नहीं करायी जा रही है न ही उनको अहेतुक सहायता दी जा रही है, न उनके खाने-पीने की व्यवस्था की जा रही है। गांव के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं खासकर यह मांग करता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी में जो भी बाढ़ से प्रभावित हुये हैं, जिनकी जमीनें कट गयी हैं जिनके घर खाने के लिए कुछ नहीं रह गया है, उनके लिए सरकार उचित व्यवस्था करे और जो भी लापरवाही बरती गयी है, जो लापरवाह अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

*डा0 कौशल किशोर-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी और एक दूसरी सरयू नदी है। ये दोनों नदियां भीषण कटाव करती चली आ रही हैं। इस वर्ष भीषण कटाव हो रहा है। हम लोग निरीक्षण करने के लिए गये थे तो हमारो सांसद रवि वर्मा जी, मा0 उस्मानी साहब, कृष्ण गोपाल पटेल साहब, हम सभी लोगों की वहां के लोगों की बातें सुनकर दिल दहल गया। इतना भीषण कटाव हो रहा है कि जानवरों की चारे की समस्या उत्पन्न हो गयी है। मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा जिनकी कितनी-कितनी जमीनें कटी है। ब्लाक नकहा में ग्राम घोसियाना, मजरा बंजरिया में कमरुद्दीन प्रधान की 22 एकड़ जमीन कट गई जिसमें एक एकड़ आम का बाग भी है। श्री जलील की 4 एकड़, श्री हबीब की 4 एकड़, श्री रफीक की दो एकड़, श्री मोहम्मद की दो एकड़, मेवा की 6 एकड़, श्रीमती हसीना बेवा शौकत की 8 एकड़, श्री चांद की एक एकड़, मैना की एक एकड़, श्रीमती मुन्नी बेवा अजीज की डेढ़ एकड़, संतोष की डेढ़ एकड़, कल्लू की एक एकड़, मकदूम की दो एकड़, फारुक की दो एकड़, मकबूल की एक एकड़, सिकन्दर की एक एकड़ जमीन कट गई है। इसी तरह से ग्राम मथौरा में खलील की सात एकड़, मुराद अहमद की दो एकड़, इसरार खां की दो एकड़, सकूर की दो एकड़, नियाज अहमद की तीन एकड़, आशीम की दो एकड़, खलील की दो एकड़, जाकीर, गयासुद्दीन, साफीर, एवं गुरजा की दो एकड़, श्याम लाल दो एकड़, पराग दो एकड़, श्याम बिहारी एक एकड़, उम्मन एक एकड़, सुन्दर दो एकड़, कयूम एवं याकूब अली तीन एकड़ जमीन कट गई है।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब काफी नाम आ गये हैं।

डा0 कौशल किशोर-

पच्चा 2 एकड़, सीतारा 3 एकड़, चुन्नू 2 एकड़, अनवर 2 एकड़, अमजद दो एकड़, इस्माइल 2 एकड़, हासीम 2 एकड़, गुलाम 2 एकड़, आजाद 5 एकड़, बदलू 3 एकड़, नाजीम 2

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एकड़, असलम 2 एकड़, इरशाद 2 एकड़, नाजमा बेवा करीम 3 एकड़, जाकीर 3 एकड़, मुहीउद्दीन 1 एकड़, मुराद 1 एकड़, इमामी एक एकड़ जमीन कट गई है।

ग्राम पकरिया में काफी किसानों के खेत नदी में समा गये हैं। इन जगहों पर जानवरों के लिए चारा नहीं है त्राहि-त्राहि मची हुई है सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि नहीं पहुंचाई गई है। सहायता राशि पहुंचाना तो दूर की बात गांव वालों ने बताया कि यहां पर सरकार का कोई आदमी देखने तक नहीं आया है। मेरी सरकार से मांग है कि बाढ़ प्रभावित गांवों में तुरन्त सहायता पहुंचाई जाए। हमारे साथ पटेल साहब भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गये थे उनको भी सुन लें।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद। आपने मुझे बाढ़ के ऊपर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी जो विधान सभा है वह नैपाल के नीचे और लखीमपुर खीरी से 60-70 कि0मी0 दूरी पर है। मेरी विधान सभा में 7-8 नदियां है इसके अलावा नैपाल का पानी भी आता है इसलिए सबसे ज्यादा तबाही मेरी विधान सभा में मची हुई है। करीब दो माह हो गए विधान सभा में क्षेत्र के अन्दर पानी भरा हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है उसमें भी दो-दो, तीन-तीन फीट तक पानी भरा हुआ है। तमाम पार्क के जानवर पानी की वजह से मर गए हैं। मेरे क्षेत्र में एक बोदिया गांव में 157 गायें पानी के अन्दर डूबकर मर गईं। जब एस0डी0एम0 ने मौके पर जाकर जांच की और जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट भी जिलाधिकारी महोदय को दी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई न ही गाय मालिकों को कोई मुआवजा दिया गया न ही उस पर कोई कार्यवाही हुई। क्षेत्र में तमाम जानवर मर गए हैं कई लोग पानी में डूबकर मर गए हैं। अधिकारियों की स्थिति यह है कि न तो वहां नावों की व्यवस्था है न ही किसी गांव में कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा व लोगों को कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई। लोग अपने आप किसी तरह से निकलकर गांवों से बाहर आ रहे हैं। वहां पर अधिकारी इतने उदासीन हैं चाहे निघासन, पलिया के एस0डी0एम0 हों या जल निगम के अधिकारी हों किसी तरह की राहत लोगों को नहीं दी जा रही है मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे निकम्मे और नाकारा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए वहां पर तमाम व्यवस्थाएं कराई जायं धन्यवाद।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई एवं गन्ना मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

अभी माननीय सदस्यों ने जो प्रकरण उठाया है यह कहा कि जिलाधिकारी खीरी ने ऐसे-ऐसे निर्देश दिये। मान्यवर, मैं पहले जिलाधिकारी खीरी की ही रिपोर्ट बता दूं। फिर वास्तविकता क्या है मान्यवर, मैंने भी वहां देखा है। अभी नहीं, पहले देखा है। मान्यवर, एक तरफ से शारदा नदी आ रही है दूसरी तरफ से घाघरा। दोनों आगे आकर यों मिल गई हैं। ऐसा हो

गया है और वह बंधा दोनों को यूं करके ऐसे बना हुआ है। एक जगह से कटा है यह सही है। जिलाधिकारी ने जो रिपोर्ट भेजी हे मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उससे सदन को और माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रश्नगत सन्दर्भ में जिलाधिकारी खीरी की आख्या के अनुसार शारदा नगर से ऐरा पुल तक निर्माणाधीन तटबंध के किमी0 6.330 से किमी0 6.400 ग्राम प्रतापी बेहड़ काफी प्रयासों के बाद दिनांक 16-8-08 को प्रातः 6 बजकर 6 मिनट पर कट गया। ग्राम प्रतापी बेहड़ के 40 प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी ग्राम की आबादी प्रभावित नहीं हुई है। मौके पर तहसील के उप जिलाधिकारी मय स्टाफ के कैम्प कर रही है। फ्लड पी0ए0सी0 के अधिकारी और जवान मौके पर मौजूद हैं, स्थिति नियंत्रण में है तथा मौके पर नियमानुसार राहत सहायता वितरित कराई जा रही है। सिंचाई विभाग के विभागीय अधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता भी घटनास्थल पर कैम्प कर रहे हैं। उपरोक्त तटबंध की सुरक्षा के सभी संभव प्रयास किये गये परन्तु नदी की धारा भूमि में अत्यधिक पानी आ जाने के कारण तटबंधों का कटान हुआ। यह सही है मान्यवर, कि उसमें कटान हुई और काफी प्रयास किया गया उसको रोकने के लिए और कई दिन प्रयास करते रहे। माननीय सदस्य गये हैं यह भी सही है। मैं सुबह शाम इसकी रिपोर्ट ले रहा हूं। आपको भी पता है कि सिंचाई विभाग के जो अधिकारी बढ़ के लिये लगाये गये हैं वे एक हफ्ते से उसको रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन पूरी नदी ने बहाव ही बदल दिया। पहले उधर बहती थी अब उधर बहने लगी। यह सही है जो स्थिति है। जहां पर परिवार जो प्रभावित हुए हैं वे केवल 40 परिवार एक गांव के हुए हैं। जानवरों की कोई ऐसी सूचना नहीं है। बाकी सारी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि बंधा कटा खाली प्रतापी बेहड़ गांव प्रभावित हुआ। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि शारदानगर से ऐरो तक नदी के एक तरफ तो बंधा बना दिया गया बांध बना दिया गया नदी के उत्तर साइड में। जब नदी के उत्तर साइड में बंधा बना दिया गया तो नदी के दक्षिण साइड में जितने गांव हैं जिनका नाम हमने बताया, माननीय डाक्टर साहब विधायक जी ने बताया, यह सारे गांव उसके दक्खिन साइड में हैं। नदी का पानी उधर नहीं गया तो इधर सब बाढ़ से प्रभावित हो गये पूरे और जब पानी बढ़ा और बंधे की मरम्मत नहीं हुई। अधिशासी अभियन्ता शारदानगर जो हैं वो दोषी हैं उसमें और वो वहां कह रहे हैं कि हमने ऊपर तक समझ लिया है सरकार को इसलिये हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। उनकी लापरवाही और नाकारेपन की वजह से यह बंधा कटा और यह इतना नुकसान और तबाही बड़े पैमाने पर हुई है। यह जो आपको जवाब दिया जा रहा है कि केवल 40 परिवार प्रभावित हुए हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप यहां से एक जांच कमेटी बना दीजिये और जनपद लखीमपुर खीरी में जांच कर लीजिए। लखीमपुर खीरी का लगभग 25 प्रतिशत भाग बाढ़ से

प्रभावित हुआ है। डूबा हुआ है और लोग भूखों मरने के लिये तैयार हैं। उनको कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। यह सही है कि बंधा कटने से प्रतापी बेहड़ गांव प्रभावित हुआ है। लाल जी पुरवा प्रभावित हुआ है, अमेटी प्रभावित हुआ है जो धो रहरा विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन जो श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र और निघासन विधान सभा क्षेत्र प्रभावित हुए हैं वह इनका बंधा बनाने से हुआ है और इसके लिये जो है वहां पर बहुत जरूरी है कि जिनके लिये खाने के लिये नहीं रह गया है, जानवरों के लिये चारे की व्यवस्था नहीं है इसकी तत्काल व्यवस्था कराने की जरूरत है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजियेगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डाक्टर आर0 ए0 उस्मानी साहब को, श्री कृष्ण गोपाल पटेल और डा0 कौशल किशोर जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। इसको मैं अग्राह्य करता हूं। (चौथी सूचना पर श्री सर्वेश कुमार जी का नाम पुकारने पर वे उपस्थित नहीं थे।)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बुलन्दशहर नगर है उसका वार्ड नम्बर 5, बुलन्दशहर से सटी जगह है वहां पर माननीय कांशीराम शहरी समग्र आवास योजना के अन्तर्गत 10 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की बात है सबसे बड़ी समस्या वहां यह है कि छोटे-छोटे काश्तकार हैं सारे काश्तकार आन्दोलन कर रहे हैं। कल वहां बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था। जिलाधिकारी के यहां, सब अधिकारियों के यहां आन्दोलन हुआ और जो जमीन के काश्तकार हैं उसको आप देखेंगे खतौनी का खाता नं0 141 है उसमें आप देखेंगे राजपाल सिंह, भवर पाल, विजेन्द्र सिंह, उदयवीर, हरपाल सिंह, धर्मवीर सिंह, भगवती देवी, नीलम, अनीता, सीमा, चित्रा यह काश्तकार हैं इनके 12 बेटे हैं और जमीन कितनी है जमीन है 1.070 हे0 इसी प्रकार से खाता नं0 00016 है आनन्दपाल, हुकुमपाल, चेतराम, मदन लाल, नरेशपाल, नानक चन्द्र, विजय कुमार त्रिलोक सिंह, बिट्टा देवी, यह कृषक हैं इनके 23 पुत्र हैं जमीन है 0513 हे0 प्रति व्यक्ति जमीन होती है 470 वर्ग मीटर। इसी प्रकार से खाता नं0 188 है इसमें कृषक हैं निरन्जन सिंह, विजय पाल सिंह, इन्द्रपाल सिंह, गजराज सिंह, इनके 12 पुत्र हैं जमीन है 0.452 हे0 प्रति व्यक्ति जमीन होती है 300 वर्ग मीटर।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

इसी प्रकार से खाता नं0 है 71 इसमें कृषक हैं देवपाल, हरपाल, भगवान सिंह, हरेन्दर, जमीन है 0.190 हे0 प्रति व्यक्ति हिस्सा जमीन आती है 160 वर्ग मीटर, खाता संख्या 71 बी0 है इसमें कृषक हैं महीपाल, लकपत जमीन है 0.197 हे0 एक आदमी के हिस्से में आती है 200 वर्ग मीटर, इसी प्रकार से खाता नं0 हे 86 इसमें कृषक हैं हरपाल सिंह, राजपाल सिंह, शेरपाल, किशनपाल, महावीर सोरन, भवरपाल, गजराज, प्रेम, प्रदीप, गोकल, मथुर जमीन है 0.260 हे0 प्रति व्यक्ति हिस्से में आती है 200 वर्ग मीटर इसी प्रकार खाता संख्या-140 है इसमें कृषक हैं हुकुम सिंह, अमर सिंह, रामपाल, रतन सिंह, अथर सिंह, गजराज सिंह, शेर सिंह, जसवन्त सिंह, सुखपाल सिंह, नरेश वलवीर, अथर सिंह पुत्र रगवर जमीन है 0.674 हे0 प्रति व्यक्ति जमीन आती है 220 वर्ग मीटर, यहां पर मकान बने हुए हैं शहर से लगा हुआ है इसके लिए एफ0आई0आर0 कराने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा हैं किसानों की जमीन को एक्वायर करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान आन्दोलित हैं उनकी जमीन एक्वायर नहीं की जानी चाहिए जमीन एक्वायर की जाती है तो कहीं ऐसा न हो कि ग्रेटर नोएडा वाली स्थिति आ जाए। काश्तकार कोई मर न जाए इन सारी चीजों पर चर्चा की जाये। इसमें आप सरकार को निर्देशित करें के काश्तकारों की जमीन एक्वायर न की जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 यशपाल चौहान, मा0 हुकुम सिंह जी कुछ कहना है।

(कुछ न कहने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा कांशीराम शहरी समग्र आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना चालू की गई है और इसमें गरीबों को बना बनाया आवास देने की कार्यवाही होगी। माननीय सदस्यों ने जो बिन्दु उठाया है उसको दिखवा लेंगे। किसी का उत्पीड़न न होने पाए और जो कार्यवाही नियमानुसार होगी वह की जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

छोटे-छोटे काश्तकारों का उत्पीड़न न हो। मैंने श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम-56 में सूचना नहीं आती है इसको मैं अग्राह्य करता हूं। प्रमोद तिवारी जी नहीं हैं ? इस सूचना को विशेष उल्लेख के तहत लिया गया था। राम किशुन जी दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, विशेष उल्लेख में आपने मेरी सूचना को लिया और मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूर्वांचल के जिले हैं वहां खेती ज्यादा होती है धान की खेती होती है। जनपद चन्दौली नक्सल प्रभावी जिला है वहां खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है।

कई बार जिलाधिकारी चन्दौली के बंगले के सामने खाद बंट रही थी हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे थे लेकिन उनको खाद उपलब्ध नहीं हो रही थी। जितनी सहकारी समितियां हैं चन्दौली जनपद की, या पूर्वांचल में जहां धान की पैदावार ज्यादा हो रही है उनके लिए खाद की, उर्वरक की आवश्यकता है यह खाद नहीं मिल पा रही है जो बिहार बार्डर से सटा है वहां खाद की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। प्रति बोरी खाद डेढ़ सौ से लेकर 300 रुपया अधिक दाम देकर किसान खरीद रहा है और उन्हीं तस्करों से खरीद रहा है। जब किसान लाइन लगाकर खाद लेने जाता है तो पुलिस वाले लोग मिले हुए हैं वहां लाठी चार्ज हुआ है कलेक्टर के बंगले के सामने हुआ है।

मान्यवर, जो साधन सहकारी समिति चनाइथ है, जहां पर किसानों के सड़क जाम कर दिया, वहां के दरोगा ने लाठीचार्ज कराया। इसी तरह बरौली सहकारी समिति पर भी हजारों की संख्या में किसान दो दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। इसी प्रकार आसपास के जिलों में भी खाद का गम्भीर संकट है। मान्यवर, चन्दौली नक्सल प्रभावित जिला है, उसको धान का कटोरा कहा जाता है, अच्छी प्रजाति के धान की पैदावार वहां का किसान कर रहा है लेकिन वहां के किसान को सरकार खाद उपलब्ध नहीं कर पा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जनपद चन्दौली, पूर्वांचल का एक प्रभावशाली जिला है, प्रभावशाली जिला इसलिए है कि वह सबसे ज्यादा धान की पैदावार करता है और वहां नक्सली गतिविधियों के चलते विशेष रूप से सुविधा देने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं, आप किसानों की जमीनें ले रहे हैं लेकिन जब वह मुआवजा मांगने जायेगा, गोली चलेगी, वह बिजली के लिए जायेगा, लाठीचार्ज होगा, ट्रांसफार्मर के लिए जायेगा तो लाठीचार्ज होगा। मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहता हूं, सरकार किसान की हितैषी होने की बात करती है, आप उसे खाद की उपलब्ध करा दें। किसान अपनी जमीन का मुआवजा मांगने जाता है, गोली चलाई जाती हैं, लेकिन समय आने पर जनता उसका जवाब देगी। मान्यवर, जनपद चन्दौली, जहां धान की पैदावार होती है, वहां खाद उपलब्ध करा दें। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं अब तक अपने खेतों में खाद का उपयोग नहीं कर सका हूं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं लेकन एक किसान भी हूं। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, आप भी कहीं न कहीं खेती से जुड़े हुए हैं। अगर समय पर खाद, बिजली, पानी नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसकी पैदावार प्रभावित होगी। जब पैदावार प्रभावित होगी तो आर्थिक कमजोरी आयेगी। मैं कहना चाहता हूं, यह बहुत गम्भीर मामला है, प्रदेश से जुड़ा हुआ और किसानों से जुड़ा हुआ यह मामला है, इस मामले पर और भी मा0 सदस्य बोलना चाहेंगे। मान्यवर, यह सरकार किसान को खाद नहीं उपलब्ध करा पा रही है और जो खाद है, वह गोदामो से ट्रक का ट्रक भरकर बार्डर पार हो रही है और इसमे सत्ता के लोग भी लिप्त हैं, सरकार चाहे तो इसकी जांच करा ले, लगभग डेढ़, दो सौ रुपये के हिसाब से उनको लाभ हो रहा है और किसान मंहगे दामों में खाद खरीदने को विवश है। इसलिए

मैं मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाए। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ मामला है और पूर्वांचल में खाद की भारी कमी है और तस्करी के चलते, काला-बाजारी के चलते और सरकार की उदासीनता और लापरवाही के चलते यह दिक्कत आई है। इसलिए मैं इस पर बल देते हुए चर्चा कराने की मांग करता हूं।

कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

अध्यक्ष जी, पूर्व में भी हमारे कुछ मा0 विधायकों ने इस तरह की शिकायतें की थी कि वहां से खाद की तस्करी बिहार को होती है। पिछली बार भी कार्यवाही कराई गई थी और अभी 23 जुलाई को पूरे राज्यव्यापी छापे डलवाये हैं जिसमें करीब 4 हजार से ऊपर छापे पड़े हैं, उस पर कार्यवाही हुई है, कुछ लाइसेंस निरस्त हुए हैं, कुछ को कारण बताओ नोटिस भी दिया है। अब 28 तारीख को पुनः मुख्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलाधिकारियों, कमिश्नर और एस0डी0एम0 की ड्यूटी लगायी है कि खाद प्रापर तरीके से किसानों को वितरित हो। इस समय जो भी हमारा लक्ष्य था, डी0ए0पी0 और यूरिया का, 13 अगस्त तक हमारा जो लक्ष्य था, वह 48 मीट्रिक टन था। इसमें यूरिया हमें उपलब्ध हो चुका है अभी तक 21.02 है, 86 प्रतिशत लक्ष्य। डी0ए0पी0 का लक्ष्य हमारा 4 लाख मी0 टन था जो कि 3.94 यानी कि 99 प्रतिशत डी0ए0पी0 हमें उपलब्ध हो चुका है। माननीय सदस्य की चिन्ता से पूरी तरह अवगत होते हुए पुनः हम इस तरह का प्रबन्ध करेंगे कि किसी भी कीमत पर बिहार को खाद की तस्करी न हो और जो भी इस तरह की कार्यवाही में लिप्त पाये जायेंगे उसमें कठोर कार्यवाही करेंगे। खाद निश्चित रूप से किसानों तक पहुंचेगी। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है।

श्री राम किशुन-

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हमने खाद 94 प्रतिशत कर दिया। हम कह रहे हैं कि जिन प्राइवेट लोगों को लाइसेन्स इन्होंने दे रखा है उन्हें सप्लाई ज्यादा है और वह सीधे किसानों को खाद न देकर वह अपनी खाद को बिहार में भेजने का काम कर रहे हैं और अगर यह जनपद चन्दौली में छापा मारे हैं तो बताएं कि जनपद चन्दौली में कितने लाइसेंसों को निरस्त किया है ? आपने यूरिया का कहा है। यूरिया की जरूरत तो अब पड़ेगी। यह असरेखा का नक्षत्र है। असरेखा की यह अंतिम रोपाई हो रही है। अब हमको यूरिया की जरूरत पड़ेगी और आप कह रहे हैं कि हम 44 प्रतिशत यूरिया को मंगाये हैं। इतनी तस्करी हुयी है। चन्दौली में एक भी लाइसेंसी नहीं पकड़ा गया, एक भी जगह छापा चन्दौली में नहीं पड़ा। यह कह रहे हैं कि इन्होंने इतने लोगों के लाइसेन्स निरस्त किये लेकिन जहां से तस्करी हो रही है जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी क्या स्थिति है ? यह बता दें कि जनपद चन्दौली में आपने कितने लाइसेन्स निरस्त किये हैं। यह बता दें।

* श्री अम्बिका चौधरी

मान्यवर, जो प्रश्न अभी राम किशुन जी ने रखा है माननीय मंत्री जी उसके बारे में माननीय सदन को जानकारी देंगे। मैं किसी आलोचना की गरज से नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि आपकी जानकारी में लायें। सरकार प्रबन्ध कर रही है, अगर कहीं कोई कमी है तो हमारे जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वह आपके संज्ञान में लायें। लेकिन मैं आपको सुनिश्चित रूप से यह बताना चाहता हूं कि जो बार्डर बिहार से लगा हुआ है जैसे बलिया में भरौली चेकपोस्ट, चन्दौली में नौबतपुर चेकपोस्ट जो बड़े-बड़े चेक पोस्ट हैं, जहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है जैसे गोरखपुर और कुशीनगर में जो आपके तमकुही और दूसरे बार्डर हैं। जिन जगहों पर ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहां पर संगठित तरीके से ज्यादा तस्करी हो रही है। यही नहीं कि आपकी सरकार में चल गया पहले की सरकार में नहीं चलता था। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई विशेष अभियान चलाकर आपने पूरे प्रदेश में जांच करा ली, इस रेडीमेड उत्तर से काम चलने वाला नहीं है। इससे इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने से आप जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जायेंगे। मेरा कहना है कि जो बार्डर के स्थान हैं वह चिन्हित हैं, वह 4-5 हैं। उन पर सघन प्रबन्ध लगा दीजिए और जो तस्करी में पकड़े जाएं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करायें। ताकि इस पर रोक लग सके। मैं आपको सुनिश्चित जानकारी देना चाहता हूं कि बलिया में भरौली बार्डर से रेग्युलर खाद्यान्न, खाद और मवेशियों की तस्करी लगातार हो रही है। तस्करों का नेटवर्क बहुत मजबूत है। इसलिए आप अलग से कोई विशेष प्रबन्ध करें ताकि इस तस्करी को रोका जा सके। खाद आप उपलब्ध करा देते हैं। आंकड़े आप यहां बता देते हैं, खाद प्रदेश में रहती नहीं है। दोनों स्थितियों में जो विरोधाभास होता है कि खाद मौजूद है और किसान वहां लाठी और गोली खा रहा है। सरकार की मंशा स्मगलिंग की है यह मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप अपने तंत्र को मजबूत करें और पूरे प्रदेश के कमिश्नर, कलेक्टर को बताने से ही यह नहीं होगा। जो चिन्हित है, जहां से स्मगलिंग हो रही है वहां का प्रबन्ध हो जाये। इसमें जो भी सहयोग है वह हम लोग देंगे।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राम किशुन जी ने जो बात रखी है तो मैं पहले उनसे यह अनुरोध कर दूं कि पिछली बार डी0ए0पी0 पूर्ण रूपेण सहकारी समितियों के द्वारा बांटी गयी थी, प्राइवेट डीलरों को नहीं दी गयी जो माननीय चौधरी साहब ने बात कही है मैंने पहले कहा था कि इस बात की शिकायत पिछले साल भी आयी थी और मैं आपको बता दूं कि अबकी बार निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से प्रबन्ध करने के लिए पूरी पालिसी तैयार कर ली है। खाद की तस्करी रोकी जायेगी और किसानों को खाद उचित मात्रा में उपलब्ध करायी जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ चन्दौली, बलिया या बार्डरिंग लोग नहीं स्मगलिंग कर रहे हैं। दूसरी जगह से लोग ले आकर के बिहार तक ले जा रहे हैं यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री राम किशुन जी, श्री अम्बिका चौधरी व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। यह नियम-56 में नहीं आती है।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने व सूचना पर बोलने पर)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इनका तो आप पहले ही अग्राह्य कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं इनका विशेष उल्लेख में है।

श्री लालजी वर्मा-

जब इनका नाम पुकारा था तो यह थे नहीं इसलिए आपने इसे अग्राह्य कर दिया था।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जब आपने मेरा नाम पुकारा तो मैं आ गया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं और वर्मा जी को बधाई दूंगा, इनकी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने अग्राह्य कर दिया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब यह बधाई भी नहीं सुनना चाहते हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें जो केन्द्र सरकार ने लागू की थी वह इनकी सरकार ने भी लागू कर दी है इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं। यह मायावती जी के बधाई देने की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। यह देखा जाय कि यह आजकल कहां-कहां मिलते हैं और क्या-क्या करते हैं। कल भी इन्होंने यही गड़बड़ी करायी। मान्यवर, कहीं न कहीं साजिश है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने अग्राह्य कर दिया है। साजिश तो इनके यहां चलती है। कल यह कितना अच्छा बोलेंगे इसको सुनने के लिये इसको जानने के लिये कोई पर्यवेक्षक था तो मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साजिश तो इनके यहां चलती है। हम लोग तो अनुशासित सिपाही हैं। हमारी नेता हैं उनके अनुशासन में हम लोग बंधे हैं। इस तरह का कोई मामला नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने हमें पुकारा और हम न बोलें तो यह अवमानना होगी आपकी। मैं आभारी हूं और सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को यहां पर भी लागू करने की घोषणा की है। मान्यवर, इनके पास इसके सिवाय कोई विकल्प भी नहीं था क्योंकि नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार के समय का यह फैसला था कि जब-जब केन्द्र सरकार वेतन आयोग की मांगों को स्वीकार करेगी, प्रदेश सरकार करेगी। एक तरफ यह कहना चाहते हैं कि केन्द्रीय कर्मी के बराबर वेतन भत्ते और सुविधाएं दी जायेंगी। केन्द्रीय कर्मी 62 वर्ष की आयु में रिटायर होता है और यहां पर 60 साल है। जब तक वह 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट प्राप्त नहीं करेगा उसे मिलने वाली वेतन की सुविधाएं पूरी तरह प्राप्त नहीं होंगी। 60 पर तो उसे पूरा इन्क्रीमेन्ट भी नहीं मिलेगा। आवश्यक इसलिए है कि इसके अन्तर्गत केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के कर्मचारियों की रिटायर होने की आयु 62 वर्ष की जाय। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अभी चतुर्थ और पंचम वेतन आयोग का लाभ ही नहीं मिल पाया है। जैसे निगम के कर्मचारी है-जैसे रोडवेज के कर्मचारी हैं। जैसे रोडवेज है, आवश्यक वस्तु निगम है, कम से कम सात कारपोरेशन हैं मान्यवर, जिनकी कुल मिलाकर संख्या-28 हो जायेगी तो 28 कारपोरेशन ऐसे हैं मान्यवर, जिनका यह सुविधा नहीं मिल पा रही है तो मान्यवर, यह घोषणा केन्द्रीय शासन के अनुरूप नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को दिया है और इसीलिए मान्यवर, इनको भी उसी वेतनमान के लोगों के हिसाब से बढ़ाना चाहिए लेकिन यह नहीं बढ़ा रहे हैं। तो यह छठे वेतन आयोग पर उस निर्णय का जो 1988 और 1989 में हुआ था मान्यवर, कि जब कभी भी केन्द्रीय कर्मचारी का बढ़ाया जायेगा तो सरकारी कर्मचारी निगमों का और शिक्षकों को बढ़ाया जायेगा। मान्यवर, उस समय मान्धाता सिंह जी, ओम प्रकाश जी इन सबकी एक संयुक्त समिति बनी थी और उस समय हुकुम सिंह जी भी थे, मैं भी था, मंत्रि-मण्डल का यह निर्णय था तो उस निर्णय के विपरीत यह सरकार नहीं जा सकती है। क्योंकि सरकार एक अनवरत प्रक्रिया है, दल बदल सकते हैं, पर सरकार के निर्णय नहीं बदले जा सकते हैं। अगर बदलना होगा तो इन्हें उस राजीनामा से उस समझौते से अलग हटना पड़ेगा। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय कर्मचारियों के समान 62 वर्ष की आयु सीमा की जाय तथा जो निगम रह गये हैं मान्यवर, उन्हें भी उनका लाभ दिया जाये और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उसको किया गया, यह भी किया जाय। कल सम्भवतः मुख्य मंत्री जी इसकी घोषणा करने जा रही थीं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यवधान पैदा करके यह घोषणा नहीं होने दी है। तो मैं चाहता हूं आपसे मान्यवर, कि वह जो रह गया है, उसकी घोषणा आज कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब आप बैठ जायें। यह सूचना अग्राह्य पहले ही हो चुकी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस बात को यानी छठवें वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने का काम किया है। मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया है ओर जिसके द्वारा ऐसे पदों के सम्बन्ध में श्री संस्तुतियां दी जायेगी जिनके समकक्ष पद केन्द्र सरकार में नहीं हैं। निगमों तथा नगर पंचायतों के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण का विषय भी वेतन समिति को संदर्भित किया जाना प्रस्तावित है या किया गया है। मान्यवर, तो इस तरह से जो वेतन समिति की रिपोर्ट आयेगी उसके आधार पर कार्यवाही होगी। जहां तक 58 वर्ष से 60 वर्ष की आयु निर्धारित करने का विषय है।

श्री प्रमोद तिवारी-

58 से 60 नहीं, 60 से 62 वर्ष की आयु निर्धारित करनी है।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, जहां तक 60 वर्ष से 62 वर्ष की आयु निर्धारित करने का सवाल है मान्यवर, केन्द्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होने की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, कार्मिक विभाग को जब यह प्राप्त होगी तो उसके आधार पर उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, केन्द्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है, 62 वर्ष तो निर्धारित ही है।

श्री अध्यक्ष-

यह आपने कहां बोला है कि 62 वर्ष निर्धारित है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब अगर इनको पूरी सूचना नहीं मालूम है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। मान्यवर, सदन में एक गलत उत्तर दिया जा रहा है। केन्द्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित है और 65 वर्ष आयु का मामला प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठें। दुर्गा प्रसाद यादव जी, आजमगढ़ में बाढ़ से नाव डूबने से 11 बच्चों की मृत्यु के सन्दर्भ में आप अपनी बात कहें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस गम्भीर लोक महत्व के विषय पर दिलाना चाहता हूं। हमारे आजमगढ़ जनपद में हमारे सदर विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। वहां एक नदी आती है शीलनी नदी जो टौंस में जाकर मिलती है। इस समय शीलनी नदी का

पानी एक कि0मी0 तक फैला हुआ है। अभी एक अगस्त तारीख की करीब डेढ़ बजे की घटना है स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे जो आठ साल, दस साल के बच्चे थे जब उनकी छुट्टी हुई है तो सहदा और गयासपुर के बीच में वह शीलनी नदी है और उसकी लम्बाई करीब एक कि0मी0 तक पानी फैला हुआ है। मैंने डी0एम0 और एस0डी0एम0 महोदय से भी कहा था कि आप इस नदी पर नाव की व्यवस्था करा दें। मगर जिला प्रशासन ने वहां पर नाव की व्यवस्था नहीं किया। गयासपुर गांव की नाव थी और वह पुरानी नाव थी, उस पर करीब 30 लड़के बैठकर के सहदा से गयासपुर जा रहे थे, गांव के करीब में पहुंचे हैं तो वहां पर नाव में, पानी आ जाने के कारण नाव डूब गई और जब नाव डूबी है तो गांव के लोग, गयासपुर के लोगों ने कूद करके 14 लोगों को बचाने का काम किया। मान्यवर, 11 बच्चे डूब गये। 14 दूसरे बच्चों के निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मान्यवर, इसी नदी पर एक पुल का निर्माण हो रहा है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आर0ई0एस0 के माध्यम से वह पुल बनना स्वीकृत हो गया उसका राज्यांश का पैसा पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत हुआ था 24 लाख रु0 जिसका वहां के इंजीनियर्स ने इस्टीमेट दिया था। जब 24 लाख में पुल नहीं बन सका तो उसका संशोधित इस्टीमेट बनाकर कुल 40 लाख रु0 का दिया गया यानि 16 लाख रु0 अतिरिक्त मांगे गये। वह जनवरी, 2006 में प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन चुनाव की आचार संहिता लग जाने के कारण वह पैसा यहां से स्वीकृत नहीं हो सका। वह प्रस्ताव पड़ा रह गया। मान्यवर, जब यहां पर बसपा की सरकार आयी तो हमने प्रमुख सचिव को लिखकर दिया। लेकिन जो पैसा मांगा जा रहा है और पुल अधूरा पड़ा हुआ है उसको पूरा करने के लिये पैसा नहीं भेजा गया है। मान्यवर, अगर वह पुल बन गया होता तो यह घटना न घटित होती। मान्यवर, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहां पर बड़ी नाव भेजे होते लेकिन नहीं भेजी। अगर वह भेज देते तो बच्चे नहीं मरे होते। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये। जो 11 बच्चे मरे हैं उनके परिवारजन को 1-1 लाख रु0 की आर्थिक सहायता जिले के सामान्य बजट से दी गयी है। लेकिन वह गरीब घरों के बच्चे हैं 2 घर यादव के हैं और 9 घर निषाद लोगों के हैं। यह सहायता बहुत कम है।

मान्यवर, जो पुल अधूरा पड़ा हुआ है और जो आर0ई0एस0 का रिवाइज्ड इस्टीमेट आया हुआ है उसके अनुसार धन स्वीकृत करके पुल निर्माण का काम पूरा करा दिया जाये। उन मृतक बच्चों के परिवारजन को 5-5 लाख रु0 की आर्थिक सहायता दी जाये और जो जिला प्रशासन के लोग नाव नहीं लगाये थे उनको दण्डित करने का काम किया जाये। इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करायी जाये ताकि यह पर्दाफाश हो सके कि किस-किस की लापरवाही रही है।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि उस टोंस नदी के किनारे जो गांव है जैसे सेहरा, ग्यासपुर, मढ़ैया, भरहि मकबूल, एकरामपुर, बागलखरावं, शम्भुपूर, ममरागपुर, हथिया, हरइया, कम्हपनपुर, बिसौली आदि सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। जहां नाव नहीं है वहां नाव की व्यवस्था करा

दी जाये। वह बाढ़ से प्रभावित हैं। मान्यवर, यह उस जनपद की सबसे बड़ी घटना है। 6 साल और 8 साल के बच्चे इसमें मरे हैं। मान्यवर, इस नदी के किनारे बसे इन गांवों में विद्यालय नहीं हैं वहां पर विद्यालयों की व्यवस्था करायी जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि जो मृतक बच्चे हैं उनके परिवारजन को 1-1 लाख रु0 की आर्थिक सहायता दी गयी है। मान्यवर, जो अस्पताल में भर्ती है उनका इलाज चल रहा है। यह एक दुर्घटना है मान्यवर। उस दुर्घटना में सरकार जो कर सकती थी वह किया गया है। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसको अस्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उस अधूरे पुल को तो पूरा कराने की घोषणा आप करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वहां पर एक पुल प्रस्तावित है जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको आप दिखवा लें जहां पर यह लड़के डूबे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उसे दिखवा लेंगे। उसमें वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैं इनकी सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं।

एक व्यक्तिगत प्रकरण हमारे विधायक जी डाक्टर साहब का है डॉ0 साहब बताइये क्या हुआ ? इनकी कोई सूचना नहीं है।

* श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप-

मान्यवर, सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

वह अग्राह्य है, आपका कोई व्यक्तिगत मसला है, वह बतायें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मै दूसरी बार इस सदन का सदस्य हूं लेकिन दिनांक 11 जुलाई को जिस तरह से मेरे खिलाफ एक रपट लिखी गयी, वहां का सी0ओ0 है पंकज पाण्डे, मैं जेल भी 17 दिन रह आया। मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यवाही की गयी। मेरे खिलाफ जो पुराने मामले थे जो सरकार ने वापस ले लिये थे या जिनमें एफ0आई0आर0 लग गयी थी उन धाराओं को दिखा करके मेरे शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का काम किया गया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो सी0ओ0 कैन्ट हैं, मेरी विधान सभा में पड़ते हैं और वहां प्रभारी निरीक्षक हैं मेरी हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं। क्योंकि जो भी मेरा कार्यकर्ता थाने जाता है सी0ओ0 के पास लेकर जाता है उसको तमाम धमकियां दी जाती हैं और यह कहा जाता है कि तुम्हारे विधायक को भी मैंने जेल भेज दिया। इस तरह से मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं जब टेलीफोन करता हूं तो मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मेरे परिवार को धमकियां दी जा रही हैं मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। यहां तक कि मेरे रिश्तेदारों का 151 में चालान करके भी शस्त्र लाइसेंस निलम्बित करने की कार्यवाही की जा रही है।

मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था की जाय, मैं बी0डी0सी0 का सदस्य रहा हूं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूं फर्जी रिपोर्ट है, जांच करा ली जाय उस सी0ओ0 के बारे में जनपद बरेली में जांच करा ली जाय उस कोतवाल के बारे में जांच करा ली जाय और मैं वहां पार्लियामेन्ट का चुनाव लड़ने के लिए भी माननीय नेता जी द्वारा घोषित किया जा चुका हूं लेकिन मेरी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था कराई जाय नहीं तो यह सी0ओ0 पंकज पाण्डेय मेरी हत्या करा देंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय विधायक जी ने व्यक्तिगत तौर पर अपनी सुरक्षा के संदर्भ में कहा है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि सभी सम्मानित प्रतिनिधियों का प्रापर सम्मान करें। उनके साथ किसी तरह का भेदभाव न करें। जहां तक कुछ कानूनी कार्यवाही का सवाल है, अगर कोई अपराधिक कार्य में सम्मिलित होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, कानून अपना काम करेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

एक सूचना रह गयी है श्री प्रदीप कुमार जैन आदित्य, श्री विवेक कुमार सिंह और विनोद कुमार चतुर्वेदी जी, यह बुलन्दशहर में झांसी में राजस्व वसूली के स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में है। प्रदीप कुमार जी इसको 2 मिनट में कह दीजिये।

*श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड की स्थिति से पूरा देश वाकिफ है। हजारों की संख्या में वहां लोगों ने आत्महत्या की और वहां से 40 से 47 परसेन्ट लोग पलायन कर गये। सूखा राहत बुन्देलखण्ड के लोगों तक पहुंच नहीं पाई उससे पहले असंतुलित बरसात हुई जिससे लोगों के मकान ढह गये और जो फसल लगने वाली थी वह लग नहीं पाई। शासन से पिछली बार वसूली स्थगित कर दी गयी थी। बुन्देलखण्ड की स्थिति को देखते हुये केन्द्र सरकार ने भी पूरे देश के किसानों की 72 हजार करोड़ की धनराशि किसानों की माफ की। मार्च, 2007 के पश्चात् जो सूखा पड़ा बुन्देलखण्ड में उसके बावजूद सूखे की स्थिति को देखते हुये प्रदेश की जो योजनाऐं थीं वह योजनायें केवल पानी गिरने के कारण बन्द कर दी गयी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि दो महीने में अचानक कोई फसल नहीं लग जायेगी और ऐसी स्थिति में एक अकाल की स्थिति में, एक तबाही की स्थिति में लगातार प्रशासन द्वारा वसूली की जा रही है। सींच की वसूली की जा रही है, लगान की वसूली की जा रही है और अन्य राजस्व वसूलियां की जा रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त के दिन झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील में जब लोग 15 अगस्त का त्योहार मना रहे थे उस दिन नलकूप के बकाये की राशि में 5 किसानों को थाने में बन्द कर दिया गया। लगातार लोगों को जेल में जबरिया बन्द किया जा रहा है। जबकि प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि बुन्देलखण्ड के अन्दर सारी की सारी वसूलियां स्थगित की जायेंगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो सरकार की घोषणा है बुन्देलखण्ड के अन्दर वसूलियां स्थगित करने वाली, वह अमल में लाई जाय और जो वसूलियां हो रही हैं झांसी और समूचे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में, उन पर सख्ती से और कड़ाई से रोक लगायी जाय।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह माननीय जैन साहब हमारी तारीफ करने की जगह यहां पर सवाल उठाते हैं। बुन्देलखण्ड में जो चार साल से सूखा पड़ा था पहली सरकार बहन मायावती जी के नेतृत्व में आई जिसने वहां पर विकास के लिये राहत के लिये बड़े पैमाने पर कार्य किया। मान्यवर, आज भी वहां के लोगों के हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखकर कार्यवाही की जा रही है और इस बार बरसात भी वहां पर पर्याप्त हुआ है और जो सूखे की स्थिति थी उससे छुटकारा भी मिला है और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री जैन साहब को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी, महाना जी की एक सूचना थी, वह आ नहीं पायी। छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में, यह महाना साहब लगाये थे।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड से ही तो सरकार बनी है तो कम से कम यह हम सोचते थे कि बुन्देलखण्ड को जरूर कुछ मिलेगा। मिलना तो दूर उल्टे यह हुआ कि पानी बरसा, उससे लोग मर रहे, 5 साल सूखे से मरे और अब वसूली शुरू हो गयी। संसदीय कार्य मंत्री बुन्देलखण्ड के साथ तो अक्छा करो, जन्म ही तुम्हारा बुन्देलखण्ड में हुआ है 89 में। पहली सीट घोषित हुयी थी और जनपद जालौन में चार में तीन सीटें आप पाये थे। अब भी आप बुन्देलखण्ड को कुछ नहीं देना चाहते हो।

श्री अध्यक्ष-

चलिये सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया, दिखवा रहे हैं वह इसको। जितना राहत हो सका है दिया है उन्होंने। महाना जी, आप अपनी बात रखें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, आज जब नौजवान पीढ़ी की शिक्षा की बात होती है और अगर कोई अच्छी बात होती है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिये। इस बार जो इंटरमीडिएट की परीक्षा हुयी, उसमें जो परिणाम आये हैं उसके सम्बन्ध में यह कहा जा रहा है कि जो पड़ने-लिखने वाले बच्चे थे, वही पास हुये हैं। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मान्यवर, अगर यह बात कही जाय कि पढ़ने वाले बच्चें को ही पास किया जा रहा है और उनकी ग्रेजूएशन कक्षाओं या परास्नातक कक्षाओं में उनका प्रवेश न हो तो उनका पास होना किस काम का है। मान्यवर, जो इंटरमीडिएट के बच्चे पास हुये हैं, और जिनके 60 प्रतिशत फर्स्ट डिवीजन से ऊपर नम्बर है, एक मानक तय कर दिया गया कि आप 45 प्रतिशत 50 प्रतिशत से नीचे एडमीशन नहीं लेंगे लेकिन यदि छात्रों के नम्बर उससे अधिक हैं तो उनके भी प्रवेश नहीं हो रहे हैं। कानपुर महानगर में बड़ी संख्या में बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम0 और मुख्य रूप से बी0 काम0 में छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं। मान्यवर, एक विद्यालय की ऐसी ही सूची अभ्यर्थी के नाम और उनके पिता का नाम सहित मैंने मा0 मंत्री जी को उपलब्ध करायी है जहां पर 15 सौ से अधिक छात्रों ने आवेदन किया कि उनका प्रवेश हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे छात्र जिन्होंने बी0काम0 में प्रवेश लेने के लिये आवेदन किया है और जिनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है तो कालेजों में सीटें बढ़ाकर या सायंकालीन कक्षायें लगाने की अनुमति देकर उन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें और ऐसे जितने भी छात्र है उनको प्रवेश दे दें। अभी एडमिशन हो रहे हैं थोड़े दिनों के बाद एडमिशन नहीं होंगे इसलिये यह बड़ा तात्कालिक विषय है, इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि

जो पत्र विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से उनकी सीटें बढ़ाने के लिये आये हैं चाहे वह प्रातःकालीन कक्षाओं के लिये हों या सायंकालीन कक्षाओं के लिये हो, उनको अनुमति दें और जब तक एक-एक बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाता तब तक उनकी समय सीमा भी बढ़ायें और महाविद्यालयों को प्रवेश देने के आदेश देने की कृपा करें।

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, प्राइवेट विद्यालयों में रिजल्ट नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

सारी बातें आ गयी हैं, आप बैठ जायें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहेंगे और जैसा कि मा0 महाना जी ने कहा भी कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नकलविहीन परीक्षा कराना इस सरकार का पहला संकल्प रहा है। जिससे कि प्रतिभाशाली लड़के निकल करके आयें, नकल करने वाले लड़के रुक जायें और अपनी क्षमता और योग्यता पर पास करके आयें और पूरी तरह से पिछले दिनों उसका निर्वाह किया गया जिसको कि मा0 सदस्यों ने माना भी। मा0 महाना जी की जो चिन्ता है, इससे पहले हमारे कैबिनेट के सदस्य मा0 अनन्त मिश्रा जी ने भी हमें अवगत कराया था। इस सम्बन्ध में पहला जी0ओ0 31 जुलाई, 2008 को कर दिया गया कि महाविद्यालयों में 10 प्रतिशत सीटों की वृद्धि कर दी जाय। लेकिन फिर भी कानपुर जैसी जगहों पर और झांसी में समस्या रही है। अभी 18 अगस्त, 2008 को दूसरा शासनादेश किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 10 प्रतिशत सीटों की वृद्धि कर दी जाय और स्थानीय स्तर पर कुलपति महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से वार्ता करके उनको समायोजित करें। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रवेश की कहीं समस्या नहीं है। अभी मा0 अनन्त मिश्रा जी ने भी कहा और आपने भी क्राइस्ट चर्च कालेज के बारे में कहा है, उसका अलग से निर्देश भिजवा दिया जायेगा, प्रवेश की कहीं समस्या रहने नहीं पायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 सतीश महाना एवं श्री सलिल विश्नोई जी को सुना। मा0 मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2008 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2008 का अननुमोदन करता है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 अगस्त, 2008 को हम लोगों को मंत्रिमण्डल की एक सूची दी गयी है, जिसमें औद्योगिक विकास विभाग और अवस्थापना विभाग, इनके भार-साधक मंत्री के रूप में मा0 मुख्य मंत्री कु0 मायावती जी का नाम दिया है और बाबू सिंह कुशवाहा जी भूतत्व एवं खनिकर्म और पंचायती राज मंत्री हैं। कल से लेकर आज तक जो तकरीबन 16 संशोधन विधेयक आये हैं, एक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक को छोड़ दिया जाय तो सारे विधेयक इनसे सम्बन्धित विभागों के मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। यह जो हम लोगों के सामने संशोधन विधेयक आया है, यह अकेला विधेयक ऐसा है जिसका प्रस्तुतीकरण इस विभाग के मंत्री मा0 मुख्य मंत्री जी की जगह पर मा0 बाबू सिंह कुशवाहा जी, मंत्री, भूतत्व एवं खनिकर्म और पंचायती राज के द्वारा किया गया हैं मैंने इस संदर्भ में जानकारी ली है, जो अध्यादेश प्रस्तुत हुआ था जिसके स्थान पर यह विधेयक आया है उस अध्यादेश का उद्देश्य बताते हुये चूंकि अध्यादेश की जगह पर यह विधेयक आया है। इसलिये दोनों के उद्देश्य करीब-बरीब एक जैसे हैं। इस अध्यादेश का उद्देश्य बताते हुये लिखा गया है कि इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-3 की उपधारा-3 में प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था की गर्या है। उक्त धारा के खण्ड 'क' में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष, औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे और वही उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के भी पदेन अध्यक्ष होंगे और यह बताते हुये धीमे-धीमे निगम की सारी शास्तियां और सम्पत्तियां प्राधिकरण को सौंपी जा रही है। यह कहने का प्रयास किया गया है कि निगम का अध्यक्ष कोई अलग होगा और प्राधिकरण का अलग होगा तो दोनों के बीच में समन्वय करने में समस्या होगी इसलिये प्राविधान कर दिया गया है कि इस परिवर्तन के माध्यम से जो औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष होगा वही राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा। जिस अधिनियम में संशोधन की बात की गयी है वह अधिनियम है, उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट, 1976 जिसका हवाला इसमें दिया गया है। मैंने एस एक्ट को मंगवाकर पढ़ा, उसकी धारा-3 की उपधारा 3 खण्ड 'क' को। उसमें कहीं भी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम

की चर्चा ही नहीं की गयी है। अधिनियम के उद्देश्यों में लिखा गया कि इस एक्ट की धारा-3 की उपधारा-3 ख़ण्ड 'ग' में यह प्राविधान किया गया है कि निगम का अध्यक्ष औद्योगिक विकास आयुक्त होगा। जब कि उसके उसकी धारा-3 की उपधारा-3 के खण्ड 'क' में निगम के अध्यक्ष की चर्चा ही नहीं की गयी है, यह क्लाज बनाया गया है प्राधिकरण के अध्यक्ष के संदर्भ में और यह लिखा गया है कि प्राधिकरण का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शासन के इण्डस्ट्रियल डिपार्टमेन्ट का जो सचिव होगा या उसकी कोई नामिनी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का हो सकता है उसे चेयरमैन बनाया जायेगा। इस एक्ट में यह जरूर लिखा गया है कि जो निगम का प्रबन्ध निदेशक होगा, वह पदेन सदस्य होगा। अब सवाल यह है कि जब एक्ट में यह प्राविधान था ही नहीं कि निगम का अध्यक्ष औद्योगिक विकास आयुक्त होगा तो फिर हम परिवर्तन किसमें करना चाहते हैं। दूसरी चीज अगर निगम का अध्यक्ष, नियमतः विकास आयुक्त होता है, आप यह मानते हैं कि प्राधिकरण का अध्यक्ष भी विकास आयुक्त को होना चाहिये तो यह कहने की जगह पर कि जो निगम का अध्यक्ष होगा वही प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, यह कहा जाना चाहिये था कि प्रदेश का औद्योगिक विकास आयुक्त ही निगम का भी अध्यक्ष होगा और प्राधिकरण का भी अध्यक्ष होगा। जब कान को सीधे पकड़ने की जगह घुमाकर पकड़ा जा रहा है तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से पैदा हो रहा है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं ? कयोंकि सच्चाई यही है कि इस एक्ट में निगम के अध्यक्ष के संदर्भ में ऐसी कोई बाध्यता नहीं दी गयी है कि वह औद्योगिक विकास आयुक्त ही होगा। आपने जो हवाला दिया है मूलतः वह किन आधारों पर दिया है। यह ऐक्ट में कहीं नहीं लिखा है। इसका अर्थ यह है कि इस अध्यादेश को लाते हुये, विधेयक को लाते हुये जिन लोगों ने इसे लाने का काम किया है उन्होंने ऐक्ट को पढ़ने का काम नहीं किया है। ऐक्ट, अध्यादेश, संशोधन विधेयक यह सारी चीजें हल्केपन से नहीं लेना चाहिये। कानून का निर्माण, विधेयक का निर्माण इस सदन का सबसे गरिमामय कार्य होता है इसके एक-एक शब्द का महत्व होता है। इस अध्यादेश में यह लिखा है कि औद्योगिक विकास आयुक्त इसका अध्यक्ष होगा। सरकार यह भी नहीं जानती कि औद्योगिक विकास आयुक्त का पद 12 जुलाई, 2007 को एक आदेश निकालकर समाप्त कर दिया गया है। यह पद 22 अक्टूबर, 98 में सृजित किया गया था। 12 जुलाई के इस आदेश के द्वारा औद्योगिक विकास आयुक्त का पद बदलकर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त कर दिया गया है। इन दोनों पद का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार आखिर अध्यक्ष बनाना किसको चाहती है दूसरी चीज सरकार ने लिखा है कि निगम के पावर सीमित होते जा रहे हैं ऐसे में यह कम्पनी मात्र रह जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि सरकार लगातार अपने सरकारी आदेशों के माध्यम से निगम के आदेशों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं अभी 5 अगस्त, 2008 को 10 दिन पूर्व एक आदेश निकला है जिसके तहत सारे विभागों में सूचना भेजी गई है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अभिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश में निजी उद्यमियों के अधिगृहीत हेतु जितनी भूमि होगी उन

सबको स्थापित करने के लिये शासनादेश के तहत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को नोडल एजेंसी नामित किया जा रहा है। एक ओर आप आदेश निकाल रहे हैं उसके तहत इसके पावर बढ़ा रहे हैं पुराने आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है उनका अनुपालन सुनिश्चित करायें। आश्चर्य की बात यह है यह जो पांच अगस्त का आदेश निकला है इसमें उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के अधिकारों के बारे में बताया गया है यह उस विभाग ने नहीं निकाला है बल्कि मुलायम सिंह सरकार के समय अलग किये गये खनिज विभाग के अलग अनुभाग भूतत्व एवं खनिज कर्म अनुभाग द्वारा निकाला गया है उसके द्वारा सम्पूर्ण विभाग की कार्यवाही के संदर्भ में आदेश निकाल दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अध्यादेश लाने का काम किसी न किसी आकस्मिकता के आधार पर किया जाता है। विधेयक लाने का काम जल्दबाजी में न किया जाय बल्कि जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि किसी एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल पावर के लिये यह सब किया जा रहा है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश औद्योगिक निगम के अध्यक्ष होंगे, उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। ऐसा कहने की जगह यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष ही उसके अध्यक्ष होंगे पदेन अध्यक्ष होंगे इसका अर्थ है कि कोई बात है जो हमसे छिपाई जा रही है। या तो निगम में ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जो एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल पावर रखता है और आने वाले समय में उस निगम का अध्यक्ष बनाया जायेगा या किसी राजनैतिक व्यक्ति को बनाया जायेगा ओर उसके माध्यम से प्रदेश के सारे प्राधिकरणों पर नियंत्रण स्थापित करने वाले हैं। एक राजनैतिक नियंत्रण लागू कर दिया जायेगा आप करिये लेकिन संवैधानिक तरीके से करिये तथ्यों को छिपाकर या अर्ध सत्य बताकर न करिये। तथ्यों को छिपाकर हमारे बीच रखने का काम अनुचित होगा इस आधार पर मैं संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह संशोधन छोटा संशोधन है। और इस संशोधन में मात्र इतना प्रस्ताव है कि जो प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद होगा वह पदेन जो राज्य औद्योगिक विकास निगम अध्यक्ष होंगे वह पदेन अध्यक्ष हो जायेंगे और इसलिये इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। तो इस छोटे से परिवर्तन का इस संशोधन का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि हम इसका विरोध करते लेकिन इसके अन्तर्निहित कारण हैं उन कारणों का आधार। यह संशोधन यथावत है किसने किया प्रभाव पड़ेगा जिस पर सरकार को विचार करना चाहिये। इस सदन में यह विधेयक विचारार्थ लेकर आये हैं। इसलिये हम आपके सम्मुख हम यह तथ्य रखना चाहते हैं। शायद आपके ध्यान में हो या नहीं हों। तकनीकी तौर पर हमको कोई भी विधायन करते समय लेजिसलेशन की कार्यवाही करते समय ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए कि हम कानून बना भी दें और उस कानून बनाने के बाद जो दूसरी जटिलताएं हों वह पहले के बना देने से ज्यादा कठिन और परेशानी में डाल देने

वाली हों। यह ऐक्ट उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-6 1976 में मूलतः आया था और उसकी धारा-2, 3 जैसा कि हमारे साथी राधा मोहन दस अग्रवाल जी ने जिक्र किया है धारा-2, का। मान्यवर, यह 2001 के 5 सितम्बर को एक अधिसूचना जारी हुई और उस अधिसूचना के मुताबिक 123 औद्योगिक क्षेत्रों के लिये इस प्राधिकरण की स्थापना की गई और निगम द्वारा संचालित जो निजी तौर पर उद्यमियों को दिये जाने वाले प्लाट थे और निगम जिस कार्य को देखता था उसको प्राधिकरण के अधीन किये जाने के लिये 123 औद्योगिक क्षेत्रों के लिये इस प्राधिकरण का गठन किया गया। अब आप इस प्राधिकरण को मजबूत करना चाहते हैं और निगम धीरे-धीरे अपनी सारी सम्पत्तियों का स्थानान्तरण कर देगा और पूर्ण नियंत्रण प्राधिकरण का हो जायेगा। ऐसा सरकार का कहना है। कोई इसमें विरोध करने का प्रश्न नहीं था लेकिन निगम के अध्यक्ष जो भी हों। आज जो निगम के अध्यक्ष हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। लेकिन कल जो निगम के अध्यक्ष हों वो प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष हो जायं और कल पता नहीं कौन अध्यक्ष बनाया जाय इसलिये एक व्यक्ति जिसकी बाधा ऐसी है मान्यवर, एक ओर औद्योगिक विकास आयुक्त का पद है जो एडिशनल चीफ सेकेट्री के बराबर का पद है और प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में चीफ सेकेट्री ए0पी0सी0 और आई0डी0सी0 ये पदों का मान्यवर क्रम है तो इतने उच्च स्तर पर जिस प्राधिकरण का नियंत्रण जिस अध्यक्ष के माध्यम से हो रहा था उसको हटाकर अब निगम के अध्यक्ष को पदेन बनाये जाने का जो आप प्राविधान लेकर के आ रहे हैं, इसमें बहुत खतरे हो सकते हैं और जो कानून आप बना रहे हैं उसमें आप उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिये हम सहमत हैं। हम अपना संशोधन वापस ले लेंगे और सहर्ष मेज थपथपाकर स्वागत कर देंगे। पदेन अध्यक्ष क्यों बनायेंगे ? लेकिन कठिनाई दूसरी है कि आज जो निगम के अध्यक्ष हैं कल अगर निगम के अध्यक्ष इस मंशा के नहीं हुए तो मान्यवर तो फिर इस प्राधिकरण की कार्य विधि, गतिविधि अत्यन्त कठिनाई में पड़ जायेंगी और पूरे प्रदेश के जो यह औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनको नियंत्रित करने के लिये संचालित करने के लिये मान्यवर, इस प्राधिकरण की स्थापना हुई थी यह मूल उद्देश्य से ही भटक जायेगा। यद्यपि यह छोटा सा संशोधन है इसलिये मैं कहूंगा कि विचार करके आप इसको ले आइयेगा और इसीलिये संशोधन है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दीजिये। दो महीने में समिति विचार कर लेगी फिर उसके बाद अगले सत्र में आप ले आइयेगा मुनासिब होगा तो फिर पारित कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, बहुत हो गया। अभी 5 बजे उठना भी है।

भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राधा मोहन अग्रवाल जी और माननीय चौधरी जी ने अभी कुछ संशय व्यक्त किया है। संशय का उन्होंने निवारण भी बताया है चौधरी जी ने, कि इसमें ज्यादा संशोधन नहीं है। निगम का अध्यक्ष प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा। माननीय अध्यक्ष जी,

इसके पहले भी जब आई0डी0सी0 निगम के अध्यक्ष थे तो जब 2001 में प्राधिकरण के लिये प्रस्ताव आया तो पदेन अध्यक्ष आई0डी0सी0 को बनाया गया। अभी पिछली गर्वनमेंट ने जब एक माननीय विधायक को चेयरमैन बनाया था तो वो अध्यक्ष रहे और निगम के प्राधिकरण के आई0डी0सी0 रहे क्योंकि निगम की ही सारी सम्पत्तियों और दायित्वों का निर्वहन एक तरीके से निगम को ही प्राधिकण बनाया जा रहा है और उसमें किसी और विभाग की कोई चीज नहीं है। खाली यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की ही सारी चीजें यू0पी0सीडा में जा रही है और यू0पी0सीडा के जो सारे काम होने हैं पहले यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से होंगे फिर यू0पी0 सीडा से होंगे। तो अलग-अलग अध्यक्ष होने में काफी असमंजस की स्थिति होती थी इसलिये जब शुरू में 2001 में यू0पी0 सीडा का गठन हुआ तब यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के जो अध्यक्ष थे उनको सीडा का पदेन अध्यक्ष किया गया।

उसी परिप्रेक्ष्य में यह लाया गया है यह ज्यादा बड़ा संशोधन नहीं है और न ही विरोध की बात है। मेरा अनुरोध है अपना संशोधन वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

(कोई उत्तर न आने पर)

वापस नहीं ले रहे हैं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 24 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में उपधारा (3) में खण्ड (क) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा।"

निरसन और अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2008

3-(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बाबूराम कुशवाहा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी कुछ संशोधन रखना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें कोई बहुत बड़ा संशोधन है ही नहीं, मान्यवर, मैं इसमें मा0 सदस्यों से आग्रह करूंगा, इसमें जो पहले परिषद बनी थी उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम 1953 गन्ना विकास परिषद का गठन किया गया था जिसमें निम्नवत था चीनी मिल के अध्यासी द्वारा नामित चीनी मिल के दो प्रतिनिधि, सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के पांच प्रतिनिधि, जो ऐसी समितियों के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों द्वारा ऐसी समितियों के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे, तो मान्यवर, इसमें पांच की जगह सात किया गया है और सात में एक अनुसूचित जाति/जनजाति का है और एक महिला/ओ0बी0सी0 का है इतना ही केवल इसमें संशोधन किया गया है और कोई संशोधन नहीं है। मान्यवर, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जाएंगे।

मान्यवर, संशोधन तो छोटा सा है लेकिन सोच भी छोटी सी है जितना छोटा संशोधन है। विचार नहीं किया आपने इस बारे में। अभी तक क्या स्थिति है, आरक्षण था निर्बल वर्ग का। कभी आपने समीक्षा इस बात की करी कि कितने सप्लायर या मेम्बर निर्बल वर्ग के हैं और यहां पर जगह उनकी रिक्त रह जाती है। आपने वहां कोई प्राविधान नहीं किया, ऐसे तमाम क्षेत्र जहां पर निर्बल सदस्य हैं ही नहीं वहां पर प्रतिनिधित्व हो नहीं पाता है। होना यह चाहिए निर्बल सदस्य अगर न हों तो सामान्य वर्ग से ले लें, कम से कम उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो आपने पांच से सात किए। मैं इस बात से सहमत हूं कि अनुसूचित जाति का आरक्षण होना चाहिए इसमें बुरी बात नहीं है। महिला को भी दिया जाए लेकिन अगर वहां निर्बल वर्ग के सदस्य ही नहीं होंगे, अगर किसी क्षेत्र विशेष में अगर वह आरक्षित क्षेत्र हैं वहां कोई महिला सदस्य नहीं है तो वह क्षेत्र तो गया। वहां का तो कोई प्रतिनिधि होगा ही नहीं। अनुसूचित जाति का आपने आरक्षण कर दिया और वहां कोई अनुसूचित जाति का मेम्बर है नहीं है, इस बार भी अनेक क्षेत्र ऐसे थे, मैंने गन्ना आयुक्त से भी इस विषय में बात की थी, कि आपने पांच क्षेत्र निर्बल वर्ग के लिए आरक्षित किए हैं और वहां कोई निर्बल वर्ग है नहीं तो उन निर्बल वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ? इसलिए इसमें प्राविधान यह होना चाहिए, आरक्षण हो, लेकिन आरक्षण के साथ ही यह भी प्राविधान हो कि अगर वहां पात्र उपलब्ध नहीं है, निर्बल वर्ग का कोई व्यक्ति पात्र नहीं है या महिला पात्र नहीं है, सदस्य उसका नहीं है या अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति पात्र नहीं है तो वहां पर वह सामान्य वर्ग के लिए ओपेन हो जाना चाहिए, कम से कम वहां पर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो हो जायेगा। यह मेरा कहने का आशय है। इसमें आप थोड़ा सा सोच लें, मैंने केवल संशोधन के लिए संशोधन नहीं दिया है, विचार करने के लिए संशोधन दिया है और यह नहीं होना चाहिए कि वह पूरा का पूरा क्षेत्र प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाए। ये मेरा आपसे आग्रह है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 हुकुम सिंह जी ने इस संशोधन का मूलतः स्वागत ही किया है, मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति के लोग या निर्बल वर्ग के लोग न हों।

-श्री हुकुम सिंह-

जो निर्बल शब्द आपने बढ़ाया है, कई क्षेत्र ऐसे थे जहां कोई निर्बल वर्ग का व्यक्ति सदस्य ही नहीं था। यानी निर्बल तो है, लेकिन निर्बल वर्ग का सदस्य नहीं हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं समझता हूं कि सभी मा0 सदस्य इसके पक्ष में होंगे कि इसमें महिलाओं का, अनुसूचित जाति का, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व हो।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेम्बर बनने के लिए वहां का सप्लायर होना चाहिए, अगर सप्लायर ही नहीं है तो सदस्य बन ही नहीं पायेगा और सरकार की भी मान्यवर, शर्तें होती हैं, तीन साल का सप्लायर हो। आप किसी भी एक जनपद की समीक्षा कर लें और आप पायेंगे कि जो आपका पुराना ऐक्ट था, उसमें आपका निर्बल वर्ग का आरक्षण था, कोई भी जनपद ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कोई न कोई क्षेत्र इसलिए वंचित रह गये हों कि वहां पर निर्बल वर्ग का कोई सदस्य नहीं था। आपने शर्तें रखी हुई हैं कि कौन चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा ? मा0 मंत्री जी, यह हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, हम केवल प्वाइण्ट आउट कर सकते हैं, माने न माने वह आपकी इच्छा है। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र की बात है क्योंकि गन्ने की खेती करते हैं इसलिए उसके बारे में जानते भी हैं, वहां पर पिछले वर्ष जब चुनाव हो रहा था, कई क्षेत्र वंचित रह गए जहां निर्बल वर्ग का कोई पात्र था ही नहीं और आपने तो दो कैटेगरी और बढ़ा दी, एक महिला की बढ़ा दी, एक अनुसूचित जाति की बढ़ा दी। इनके तो न जाने कितने क्षेत्र होंगे। मैं केवल इतना संशोधन चाहता हूं कि जहां ये हों, ठीक हैं, लेकिन जहां ये न हों, वहां सामान्य हो जायें, इतना मैं चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक इसमें जो बढ़ाया गया है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विनिश्चय किया गया है, उप धारा को संशोधित करके उक्त प्रतिनिधियों की संख्या को 5 से बढ़ाकर 7 करने का कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं में से प्रत्येक से एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था की जाए। मान्यवर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा, जहां पिछड़े वर्ग के लोग न हों, पिछड़े वर्ग के सदस्य न हों और शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिला वर्ग और अनुसूचित वर्ग के सदस्य न हों। इसलिए मान्यवर, इसमें कोई विधिक दिक्कत नहीं आयेगी और इसलिए इसको सामान्य से भरे जाने का कोई औचित्य नहीं है। जिन वर्गों के लिए यह किया गया है, उन वर्गों से किया जायेगा। ऐसा मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

निर्बल वर्ग से जो लाने की बात आप कह रहे हैं कि सप्लायर होगा, निर्बल वर्ग का रहेगा, उसको यह कह रहे हैं कि टच नहीं किया है, वह तो अपनी जगह पर है ही, मैंने एक महिला का, पिछड़े वर्ग का और एक अनुसूचित जाति का बढ़ा दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, परिसीमन इस ढंग का हुआ पिछली बार कि अनेक जगहों पर इनका चयन नहीं हुआ, अभाव था। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जो आप प्रस्ताव लेकर आए

हैं। जो 5 की उनकी संख्या 7 इस आधार पर की जानी है तो उनके स्थान रिक्त भले ही रखें जायें, लेकिन अनुसूचित जाति या महिलाओं के स्थान पर दूसरों से भरने की आवश्यकता नहीं है, यह मेरा विचार है।

लेकिन पुनः मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि कई स्थानों पर सदस्य उसमें सप्लायरर्स ग्रुप में से नहीं है। जनसंख्या तो है लेकिन सप्लायर्स में से महिलाओं या अनुसूचित जाति के लोग सप्लायर्स नहीं हैं। इसलिए इनमें आप देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चलिए। माननीय मंत्री जी सिफारिश करिये, संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं यही अनुरोध करूंगा कि इसकी मूल भावना से जब आप सहमत हैं तो मेरा अनुरोध है कि माननीय हुकुम सिंह जी अपना संशोधन वापस लेने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह-

या तो मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूं या यह समझने के बाद भी यह समझना नहीं चाह रहे हैं। यह मेरे और पुराने सदस्यों के अनुभव में यह बात है कि पुरानी जो व्यवस्था थी और परिसीमन हर बार होता है। परिसीमन में कई वार्ड आपके ऐसे रह जाते हैं जहां पर आपके इलीजेबल उम्मीदवार नहीं होते हैं और वहां पर चुनाव नहीं हो पाता है। और उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर हों तो चुनकर आ जायें अगर न हों तो कम से कम कोई ऐसी व्यवस्था तो हो कि उनका प्रतिनिधित्व भी हो जाये। मैं संशोधन वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 5 में, :-

(क) उपधारा (3) में खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील गन्न उत्पादक सहकारी समितियों के सात प्रतिनिधि, जो ऐसी समितियों के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों द्वारा समितियों के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि सात प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा एक प्रतिनिधि अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों में से होगा तथा एक प्रतिनिधि महिला होगी;"

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अथात् :-

"(4) परिषद् का कार्यकाल सहकारी गन्ना समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होगा और इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद परिषद् उपधारा (3) में दिये गये उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जायेगी।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जाएंगे।)

मान्यवर, इस विधेयक का शीर्षक देखें- उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008। मान्यवर, संशोधन विधेयक का मतलब होता है कि कोई मूल अधिनियम है या इस नाम का कोई अधिनियम है। उत्तर प्रदेश गन्ना विधि अधिनियम है क्या ? क्या इसकी जानकारी मिल जाएगी ? जो अधिनियम आप लाये हैं उसका वजूद भी है या नहीं। हम अगर आई0पी0सी0 में संशोधन करेंगे तो आई0पी0सी0 हमारे सामने है हम आई0पी0सी0 में संधोधन का विधेयक लाएंगे। सी0आर0पी0सी0 में संशोधन करेंगे तो सी0आर0पी0सी0 का संशोधन विधेयक लाएंगे। तो क्या कोई मूल अधिनियम है जिसका नाम उत्तर प्रदेश गन्ना विधि अधिनियम हो। यह संशोधन है। संशोधन से पहले मूल तो हो कहीं।

कोई मूल अधिनियम है जिसमें आप संशोधन कर रहे हैं। हमारे दुबे जी जुडिशियरी से आये हैं वह भी समझेंगे। मान्यवर, अगर कोई ऐक्ट लाते वैसे बनाते, तो ठीक है। इसके पहले आप उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 लायें। इसमें संशोधन किया। और उसी अधिनियम में संशोधन करने के लिए यह ले आये। अभी आपने मद संख्या-18 के माध्यम से विचार किया जाय और मद संख्या-19 के माध्यम से उत्तर प्रदेश गन्ना

(पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) पारित किया। इसलिए पारित किया कि यह उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम आपके पास में था इसलिए इसमें संशोधन कर दिया। लेकिन इस नाम का कोई संशोधन तो है ही नहीं। हमने मान्यवर, सारे ऐक्ट छान मारे। जब से भारत वर्ष आजाद हुआ, हमें इस नाम का कोई अधिनियम नहीं मिला। हमारी तो सारी मेहनत बेकार हो गयी। मैं आगे तब पढ़ूंगा जब इसका जवाब मिलेगा। मान्यवर, यह विद्धवता का मेरे सामने नमूना है। मान्यवर, बड़ा मौलिक मुद्दा है। इस नाम का कोई अधिनियम है क्या उत्तर प्रदेश में ? और अगर है तो यह फलां सन् में बना था यह बतायें। उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने पारित किया होगा, राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर हुए होंगे। नोटिफिकेशन हुआ होगा। आप जैसे विद्वान मंत्री बैठे होंगे जिन्होंने पास कराया होगा।

आबकारी, लोक निर्माण सिंचाई एवं गन्ना मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, यह पूरी बात कह लें तब हम अपनी बात रखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इनका यह कहना है जिस विधेयक का आप संशोधन ला रहे हैं उसका नाम आपने रखा है उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 इसका मूल अधिनियम है कि नहीं है। आपने ऊपर इन्डोर्स किया है उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन के लिए विधेयक। तो यह जो प्रस्तुत हुआ है इस पर माननीय हुकुम सिंह की आपत्ति है कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 जो प्रस्तुत किया जा रहा है इसका कोई अधिनियम है जिसमें आप संशोधन ला रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

जी हां, मान्यवर, यही मेरा पूछना है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो आपने पढ़ा है इसमें यह लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसमें जिन-जिन धाराओं में है, उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। किन-किन धाराओं में इसका परिवर्तन किया जा रहा है यह भी है। मान्यवर, अध्याय-2 में उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का संशोधन।

2-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1953 जिसे इस अध्याय के आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में-

(क) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात् (झ-एक) इथेनाल का तात्पर्य सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे या दोनों से उत्पादित न्यूनतम 99 प्रतिशत शक्ति का एनहाइड्स इथाईल अल्कोहल से है। तो मान्यवर, यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद अधिनियम, 1953 में यह संशोधन किया जा रहा है, तो मान्यवर, मूल अधिनियम है, उसमें यह संशोधन किया जा रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जब भी आप प्रस्ताव करते हैं, प्रस्ताव के संध में आप शीर्षक भी कहते हैं। पारित जो कराते हैं मान्यवर, खण्ड शीर्षक सभी का नाम लेते हैं। शीर्षक यह है तो आपने पढ़ा है अभी उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, यह शीर्षक होगा इसका। यह शीर्षक तब होगा, जब इस नाम का कोई अधिनियम होगा। संशोधन तो उसी में लायेंगे आप। इसके माध्यम से दूसरे जो आपके अधिनियम हैं उनमें संशोधन कर रहे हैं, उसमें एक नियम का संशोधन पहले ही किया है 19वीं मद संख्या पर। अगर इसमें संशोधन करना था तो 19 में यह भी आ जाता। लेकिन आपने जब संशोधन किया 19वें मद में तो एक बात तो आयेगी ही कि जिस अधिनियम का कोई वजूद ही न हो, उस अधिनियम में आप संशोधन का प्रस्ताव ले आयेंगे मान्यवर, और उसके बाद भी इसको आप स्वीकार न करें कि हां इसको कल ले आयेंगे हम, गलती हो गई। कल और परसों विधान सभा है। मान्यवर, यह जबरदस्ती की बात नहीं है कि बहुमत बैठता है यहां पर मान्यवर, कम से कम संविधान को और मान्यताओं को, परम्पराओं को दरकिनार करके कुछ भी पास करा लें मान्यवर, यह उचित नहीं होगा। मैं कोई तर्क नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने मौलिक बिन्दु पर आपत्ति की है कि जिस अधिनियम के नाम से शीर्षक से आप संशोधन लाये हैं उस नाम का कोई अधिनियम उत्तर प्रदेश में नहीं है, मेरी जानकारी के अनुसार। अगर आपकी जानकारी के अनुसार कोई ऐसा अधिनियम हो तो आप उसको बता दें कि फलां साल का अधिनियम है ? फलां नम्बर का अधिनियम है, उसमें हम संशोधन लाये हैं। मैं दो बातें और कह दूं मान्यवर, आप अगर इसका नाम रख दें उत्तर प्रदेश गन्ना विधि विधेयक, एक बिल आप ला सकते हैं, संशोधन नाम कहां से आ गया इसमें। संशोधन का मतलब होगा कि आप उत्तर प्रदेश गन्ना विधि अधिनियम में कुछ संशोधन का विधेयक लाये हैं। आप खाली ले आते, उत्तर प्रदेश गन्ना विधि विधेयक, कुछ भी ले आते, विधेयक बनाने का आपका अधिकार है, बहुमत आपके साथ है। लेकिन आप लाये हैं उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) का प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट मेरी बात सुन लें, आप इसके कारण और उद्देश्य को पढ़ लें उसमें इन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी। नीचे इसमें इन्होंने बहुत साफ कर दिया है-अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश

गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 को संशोधित करके प्रदेश की चीनी मिलों को सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरा से इथेनाल उत्पन्न करने के लिये प्राधिकृत करने की व्यवस्था के सन्दर्भ में ऐक्ट इण्ट्रोड्यूज कर रहा हूं उसका नाम होगा, उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक। तो इसको इन्होंने यहां पर स्पष्ट किया है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह किसानों के हित में है और आप किसान हैं। मान्यवर, यह बिल्कुल स्पष्ट है, यह देखने से स्वतः पता चल जाता है और इसमें अभी तक जो था केवल मोलैसिस से ही, केवल शीरे से ही इथेनाल बनाते थे, अब इनको स्वतंत्रता दे दी जायेगी चीनी मिलों को कि चाहे वह सीधे रस से बनायें या शीरे से बनायें और उसमें जिस ऐक्ट के तहत है, उसमें पूरा हवाला दिया है और यह 1953 और 1961 को देखने से हर चीज बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे बड़े भाई विद्वान सदस्य हैं, वह अलग बात है। मान्यवर, इसमें तो आपको खुश होना चाहिये, यह किसानों के हित में है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, यह जो भी हो सकता है कि अब नीचे जो हमारा शीर्षक है, उसके नीचे जो अंश है, इन्होंने दो चीजें स्पष्ट कर दिया। आप सही कह रहे हैं, एक अच्छी बात पर डिबेट हुआ और माननीय हुकुम सिंह जी ने एक अच्छे मसले को उठाया है। इसका जरा आप ही उल्लेख करिये जो उद्देश्य और कारण हैं उसके अंतिम पैरा में इन्होंने दोनों ऐक्ट का संदर्भ देते हुये, यह ऐक्ट इण्ट्रोड्यूज किया, गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, उसका नाम रख दिया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं और स्पष्ट कर दूं, यह जो है, उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति एवं खरीद अधिनियम, 1953 के अधिनियम संख्या-24 की धारा-2 एवं धारा-17 तथा उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय कर अधिनियम, 1961 की धारा-3 एवं धारा-8 के संशोधन के सम्बन्ध में है। मान्यवर, इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इन-इन में संशोधनों के सम्बन्ध में है। यह किसानों के हितों से जुड़ा हुआ विधेयक है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश गन्ना विधि विधेयक नाम का अभी तक कोई विधेयक है ही नहीं। यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। अगर कोई इस प्रकार का मूल विधेयक होता जो उत्तर

प्रदेश गन्ना विधि विधेयक होता तो फिर उसमें उसका संशोधन आ सकता था। इसलिये जो मूल प्रश्न है कि मूल विधेयक है या नहीं इसका कोई उत्तर तो आना चाहिये था। आप उचित समझें तो मंत्री जी से पूछ लें कि इस नाम का कोई विधेयक है या नहीं है। मान्यवर, किसी भी ऐक्ट को पारित करने के लिये यहां भावना का कोई प्रश्न नहीं है। आप उद्देश्य और कारणों को लेकर किसी ऐक्ट को आईडेन्टीफाईड नहीं करेंगे। किन कारणों से एक ऐक्ट बनाया गया है उस पर्टिकुलर ऐक्ट का एक नाम होता है। उसका शीर्षक होता है। अब किसी अन्य शीर्षक को आप अपने मन से इस तरह से नहीं जोड़ सकते हैं। आप मान्यवर आसानी से यह कह सकते हैं कि कार्यसूची में जो छपा है वह गलत छपा है। संशोधन विधेयक का जो प्रारूप छपा है वह गलती से छप गया है। आपने कारण और उद्देश्यों को स्पष्ट किया है हमारी मंशा दूसरी थी।

माननीय अध्यक्ष जी, जो ऐक्ट नहीं है तो उसका फिर संशोधन विधेयक नहीं लाया जा सकता है। आप इसे पारित कराना चाहते हैं तो कल इसे ले आइयेगा नये रूप में। ठीक से ले आइयेगा और पारित करवा लीजियेगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में इसे इसी रूप में पारित करवा लेते हैं, सदन में यह प्रश्न उपस्थित हो जाने के बाद कि इस नाम का कोई मूल विधेयक नहीं है, तो यह इतनी बड़ी गलती होगी जो कभी क्षम्य नहीं होगी। यह बात आयेगी कि इसे जबरदस्ती पारित करवा लिया गया।

मान्यवर, सरकार इसमें कहीं किसी कठिनाई में नहीं फंसी है। लेकिन अगर इसी रूप में पास हो गया तो फिर इस सदन का मान घटेगा। जब इसकी चर्चा पूरे हिन्दुस्तान में होगी तो यही बात आयेगी कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक ऐसा संशोधन विधेयक पारित हुआ जिसका मूल विधेयक था ही नहीं। मान्यवर, इस सदन की इसमें गरिमा घटेगी। आप इसके संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो संशोधन लायें हैं इसके इम्पलीमेंटेशन का सवाल है। इसमें दो पार्ट हैं अध्याय-दो और अध्याय-तीन। अध्याय-दो में दिया है उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का संशोधन। अध्याय-तीन में दिया है उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का संशोधन।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमारी बात पूरी हो जाने दें इस नाम का कोई मूल विधेयक है ही नहीं जिसका आज संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। प्रश्न यही है कि इसका कोई मूल विधेयक है या नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आप चाहें तो अपने सचिवालय के अधिकारियों से जानकारी कर लें। या आप सीधे मंत्री जी से ही पूछ लें तो आगे बढ़ा जाये। अगर इसका कोई मूल विधेयक है नहीं तो फिर इस प्रश्न के निर्णय करने के सम्बन्ध में हम दूसरी बात कहेंगे। मान्यवर, इससे सदन की

गरिमा पर बड़ा आघात लगेगा कि ऐसा संशोधन का बिल पास हो रहा है जिसका कोई मूल विधेयक है नहीं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, शासन केवल बहुमत से नहीं चलता है वह विधि द्वारा स्थापित्र प्रक्रिया से चलता है। इसलिये अनुरोध है कि आप विधि सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से शासन को चलाने का प्रयास करें। मान्यवर, किसी विधेयक में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये उसके खण्ड में परिवर्तन करने के लिये सदन से गुजरना पड़ता है। दो विधेयकों को मिलाकर एक तीसरा विधेयक पेश कर दिया गया है बिना सदन के गये। मान्यवर, आज इस सदन के सामने सरकार के सामने संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। अगर यह विधेयक इसी रूप में पारित हो जाता है और जब वह महामहिम श्री राज्यपाल के पास सहमति के लिये जायेगा तो वहां पर इसका अध्ययन होगा। तो स्पष्ट रूप से वहां पर यह प्रश्न पैदा होगा कि जो विधेयक मूल रूप में था ही नहीं उसमें संशोधन कैसे कर लिया गया है इस प्रकार से वह वहां रुक जायेगा। अब यह प्रश्न है कि क्या शासन विधि सम्मत प्रक्रिया से चल रहा है या मनमाने ढंग से चल रहा है। कानून की प्रक्रिया का अनुपालन करना बहुमत सम्पन्न शासन की भी बाध्यता है अगर कानून की प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना कोई शासन चलाना चाहता है तो उस शासन को नहीं चलना चाहिये उसे रोका जाना चाहिये। लोकतंत्र इसीलिये हम कहते हैं। कोई नई चीज जो हमने बना दिया जो है ही नहीं हम उसमें संशोधन नहीं होने दे सकते. अगर होगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे बाकी संख्या के बल पर आप जो चाहें करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न हुकुम सिंह जी ने पहले भी उठाया था पिछले सत्र में कि वह विधेयक जब था ही नहीं जिस सन् में उस सन् में उसे संशोधित कर दिया गया पिछले सत्र में, आज हो रहा है यह विधेयक संशोधन का तरीका वही है। मान्यवर, जैसे किसी खानदान के नाम बदलते रहते हैं लेकिन टाइटिल नहीं बदलते हैं। यहां जब नाम ही अस्तित्व में नहीं है तो संशोधन किसमें हो रहा है। जो उद्देश्य में लिखा है, उसी नाम से लाना चाहिये था और उसी क्लाज को संशोधित करना चाहिये था फर्क केवल इतना ही है। नाम अस्तित्व में आया ही नहीं तो संशोधन कैसे कर सकते हैं। उद्देश्य तो बहुत अच्छा है लेकिन जो नाम अस्तित्व में है ही नहीं उस नाम में संशोधन कैसे हो जायेगा। गन्ना विधि विधेयक, विधेयक है ही नहीं अस्तित्व में तो उसमें संशोधन कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष-

एक चीज देख लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

नहीं, उद्देश्य हमने सुन लिया है वह बहुत ठीक है। गन्ना विधि अधिनियम यह किस सन् में बना ? गन्ना विधि अधिनियम इससे पहले किस सन् में बना था जो संशोधित हो रहा है, प्रश्न केवल इतना है ? वह अधिनियम किस साल में बना था पहले तो वह अधनियम बनेगा तब संशोधन विधेयक आयेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, जिन खण्डों या उपखण्डों में जिस विधेयक का संशोधन किया गया है इन्होंने दो संशोधन किया है अध्याय-दो और अध्याय-तीन देख लें। यह दोनों देख लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव उन विधेयकों का नहीं रखा है संशोधन का, माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश गन्न विधि संशोधन विधेयक पर विचार किया जाय। मैं यह कह रहा हूं।

श्री ओम प्रका-ा सिंह-

मान्यवर, इसी में मैं कह रहा हूं। इसी में देख लें आप, उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम, 1953, गन्ना क्रय कर अधिनियम, 1961, हुकुम सिंह जी ने प्रश्न उठाया कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि अधिनियम कब का है जिसमें संशोधन विधेयक लाया गया है। वह अधिनियम बता दें क्योंकि हर ऐक्ट के साथ अधिनियम लिखा जाता है उसका वर्ष लिखा जाता है। यह गन्ना विधि अधिनियम किस साल का है जिसमें यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है केवल इतना स्पष्ट कर दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो विधेयक आया है इसमें स्पष्ट सारा उल्लेख है कि किन-किन धाराओं में हम संशोधन कर रहे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय अधिनियम, 1961 को संशोधित करके प्रदेश के चीनी मिलों को सीधे गन्ने या रस या भारी शीरा से मिथाइल उत्पन्न करने के लिये प्राधिकृत करने की व्यवस्था है। मान्यवर, यहां पर भी स्पष्ट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम, 1953 का संशोधन अध्याय-दो में, उसमें कौन-कौन संशोधन किया गया और उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय कर अधिनियम, 1961 का जो संशोधन किया गया, वह स्पष्ट है। तो इन दोनों अधिनियमों में संशोधन किया गया है और जो संशोधित विधेयक लाया गया है उस विधेयक को

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 के रूप में अभिज्ञात किया गया है। इसमें कोई चीज छिपाया नहीं गया है।

(कुछ सदस्यों द्वारा पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे आप लोग बैठिये। इसमें है उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण, इसको आप पढ़िये लास्ट में जो लिखा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हम तो पहला ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही तो लास्ट में आयेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मूल अधिनियम का तो इसमें उल्लेख कर ही रहे हैं। उसको आप पढ़ नहीं रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, आप कह देंगे तो हम चुप हो जायेंगे लेकिन एक अंतिम बात कह लें। उत्तर प्रदेश गन्ना विधि अधिनियम नाम का कोई अधिनियम है कि नहीं। इस बारे में सिर्फ आप कह दें या आप कह दें। इसमें क्या कठिनाई है। श्रीमन्, एक हां कहने के लिये एक पेरा बोलने की जरूरत नहीं है। श्रीमन्, एक साधारण सदस्य एक पृच्छा रखता है और हम विधान बनाने के लिये ही विधायक आते हैं श्रीमन् मूल काम हमारा यही है और इस काम में अगर हम जानना चाहते हैं कि इस नाम का कोई अधिनियम है कि नहीं, इस नाम का कोई विधेयक है कि नहीं तो हां या न कहने के लिये इतनी व्याख्या की आवश्यकता है क्या ? एक सिम्पल सी बात आप पूछ लें। अगर यह अधिनियम नहीं है तो मैं पुनः आपसे कहता हूं कि इस सदन की माननीय अध्यक्ष जी, सारे हिन्दुस्तान के तमाम असेम्बलीज में हंसी उड़ाई जायेगी और लोग यह कहेंगे कि जिस नाम का कोई अधिनियम था ही नहीं उसमें उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने संशोधन पारित किया। यह आज पारित होने या न होने से सरकार के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं है। कल आप लेकर आइये। लेकिन मान्यवर, यह अवैधानिक कृत्य अगर यह सदन बहुमत के चलते करने के लिये जिम्मेदार होगा और श्रीमन् अगर आप इसको औपचारिक कार्य मानकर पूरा करेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक भूल होगी। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आप इस प्रार्थना पर गौर करें। इस प्रश्न का एक छोटा सा उत्तर दिये बिना, कि कोई मूल अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना विधि अधिनियम है कि नहीं। यह हां या न में आप बता दें, तब आगे बढ़ें। श्रीमन् आप हमारे संरक्षक हैं, आप उनके पापों का भार अपने ऊपर मत लीजिये। वह सिर्फ हां या न में बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, केवल इतना बता दें कि इस नाम का कोई ऐक्ट है या नहीं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम, 1953 तथा उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961। मान्यवर, यह दो मूल अधिनियम हैं, इन दोनों मूल अधिनियमों में इस नाम से संशोधन होना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यद्यपि कि इसका संज्ञान नहीं लिया जाता लेकिन आज आपकी सहायता और सहयोग के लिए एक समझदार, प्रबुद्ध और तकनीकी तौर पर न्याय और कानून को समझने वाला सहयोगी आपके पास है। ऐसी स्थिति में यदि यह अनर्थ हो जायेगा तो क्या होगा ? इसलिए मान्यवर, आप देख लीजिए, आपकी जिम्मेदारी उनकी तरह से बहुमत अल्पमत की नहीं है। आपकी जिम्मेदारी इस सदन की गरिमा और यहां से पारित होने वाले विधायन के जायज-नाजायज, कानूनी-गैरकानूनी होने के सवाल पर है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग एक साथ न बोलें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, क्योंकि मा0 सदस्यगणों ने बहुत साफ तौर से सवाल किया है कि मूल अधिनियम है या नहीं है। इसका हां या नहीं में जवाब नहीं आया है। मान्यवर, आप इसकी ग्राह्यता के बारे में और जो संवैधानिक बिन्दु उठाया गया है, उसके बारे में तय कर लें और यदि आप यह तय करते हैं कि इसका आज पास होना जरूरी है, इसके बिना सरकार को कोई दिक्कत आ सकती है तो मान्यवर, हमें भी इसके ऊपर बोलने का अवसर दें। क्योंकि जो संशोधन है उसके ऊपर तो हम बोल नहीं पाये अभी तो केवल जो संवैधानिक बिन्दु हैं कि जिस अधिनियम का वजूद न हो उसमें संशोधन ले आया जाय और उस संशोधन को लाकर के दूसरे अधिनियमों में संशोधन कर दिया जाय। यह बिन्दु मैंने उठाया था उसका समर्थन चौधरी साहब, मा0 ओम प्रकाश जी एवं अन्य मा0 सदस्यों ने भी किया है। बहुत अच्छे तर्क इन लोगों ने दिये हैं इसके

बावजूद भी कोई उत्तर नहीं आया। मान्यवर, विधान बनाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं। मुख्य रूप से हम लोग निर्वाचित हो करके आये हैं विधि-निर्माण के लिए और विधि-निर्माण में अगर हम लोग पूरे संयम के साथ पूरा समय लगाकर बुद्धिमत्ता के साथ काम नहीं करेंगे तो यह उचित नहीं होगा और इसीलिए लोगों की रुचि कम होती जा रही है। इसलिए मान्यवर, जिस काम के लिए हम लोग चुन करके आये हैं उस काम को सही तरीके से कर लें, कमी निकालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैंने इसे आपके सामने रखा और यह निश्चित रूप से संवैधानिक बिन्दु है। यदि अधिनियम का वजूद नहीं हो और उसके नाम से संशोधन ले आयें कि संशोधन कर दीजिए, संशोधन तो तब होगा जब वजूद हो। एक तरीका था, मुझे कानून पढ़ने का अवसर मिला। संशोधन नाम न होता, केवल विधि विधेयक ले आते और एक विधेयक ला करके संशोधन कर सकते हैं। जब संशोधन शब्द डाल दिया। कोई विधि आपके पास है नहीं, उसमें संशोधन आप लाये हैं। निश्चित रूप से कमी है। तर्क के कारण तर्क नहीं दे रहा हूं। अगर कमी न होती तो बल भी नहीं देते। अगर आप अन्यथा निर्णय लें तो मुझको उसकी मेरिट पर बोलने का अवसर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि एक ऐसा कृत्य इस विधान सभा में होने जा रहा है, जो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। इस सदन में स्पष्टतया सिर्फ यह पूछा गया कि आज की विधान सभा की कार्यसूची पर जो मद लगी हुई है उसमें उस नाम का कोई मूल विधेयक है कि नहीं, कोई मूल अधिनियम है कि नहीं। उसका उत्तर इतनी देर में नहीं आना और जबरदस्ती संख्या बल के आधार पर जो संशोधन पारित कराने का कार्य किया जा रहा है, वह पूरी तरह से अवैधानिक है और इस अवैधानिक कृत्य में किसी तरह से समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हो सकती। एक साधारण से प्रश्न का साधारण उत्तर भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में श्रीमन्, मैं और मेरे साथी पूरे दिन के लिए सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री अम्बिका चौधरी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री लालजी वर्मा-

जान-बूझकर न मानना चाहें तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है।

श्री कौकब हमीद-

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटे से प्रश्न का जवाब जो हां या ना में होना चाहिए, उसका भी जवाब नहीं आ रहा है। गलत तरीके से कानून पास करने जा रहे हैं जो गलत है। इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री कौकब हमीद ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, गलत तरीके से, जबदस्ती संख्या बल के आधार पर [illegible] विधेयक पारित कराने का कार्य किया जा रहा है जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। [illegible] विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिगर्मन करता हूं।

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें दो अधिनियम हैं, जब दो अधिनियम हैं तो दोनों अधिनियमों का उल्लेख इस संशोधन में किया गया है। जब दो अधिनियम में संशोधन होता है तो ऐसी स्थिति में जब एक से अधिक अधिनियमों में संशोधन किया जाता है तब विधि लिखकर अधिनियम में संशोधन लिखा जाता है। पूर्व में भी ऐसा हुआ है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। यह विधि-सम्मत है, पूरी तरह से जो यह संशोधन लाया गया है, पूरी तरह से नियमों के अनुसार है, विधि-सम्मत है। इसमें किसी तरह से कोई बाधा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी का कहना है कि जहां दो विधेयकों का संशोधन लाते हैं व विधि होती है कि ऐसे में विधि विधेयक के रूप में दे देते हैं। इस तरह से विधि विधेयक नामित करके, जहां दो विधेयकों में संशोधन हुआ है कन्सालीडेट करने के लिए इस तरह का लिखते हैं कि विधि विधेयक (संशोधन) है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

नियमों में सम्मूहिक परिवर्तन यह संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है। उसकी प्रक्रिया है दोनों विधेयकों को अलग-अलग प्रक्रिया से गुजारना पड़ेगा।

अगर कहीं है, कानून में हो तो पढ़ दें। अगर यह पहले हुआ है तो उदाहरण दे दें। आप दोनों चीजें अपने मन से कह रहे हैं। संविधान के किस नियम में लिखा है आप धारा तो पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष-

दो विधेयकों में जब संशोधन होता है उसको कंसालीडेट जब करते हैं उसको कंसालीडेट करने के लिए ऊपर का शीर्षक बनाते हैं माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा की है क्या ऐसा कभी पहले हुआ है ?

श्री लालजी वर्मा-

ऐसा पूर्व में हुआ है मैं उदाहरण दे दूंगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, यह जो गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक ला रहे हैं ऐसा नियम में है कि जबरदस्ती हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

जबरदस्ती वाली बात आपने बाद में समझी। हुकम सिंह जी मेरिट पर बोलिये।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस बिन्दु पर चर्चा कराई मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर ऊपर के एक सदस्य कार्फी पीड़ा महसूस कर रहे थे जब इधर से कुछ दल बहिर्गमन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम भी आ रहे हैं। मेरी उनको सलाह है कि वह साथ न जाएं नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मान्यवर, इस संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है जिस पर मेरा एक वर्ष पूर्व से सवाल था कि एथेनाल के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो रहे हैं उद्योग नुकसान में जा रहा है। हमारा काफी पैसा पेट्रोल खरीदने में विदेशों में जा रहा है। केन्द्र सरकार ने एथेनाल बनाने की अनुमति दी है उसी क्रम में यह विधेयक लाया गया है। यह आपका संशोधन करने का जो नियम है उसमें संशोधन करना आवश्यक हो गया है इसका कानून पहले बना था। जिससे गन्ने के क्रय के कर को नियंत्रित करते थे कि कितने लीटर एथेनाल कितनी चीनी के बराबर होगा यह व्यवस्था की है लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि केवल इतनी व्यवस्था करने से या व्यवस्था को समझने से कितने पर कर लगाएंगे कितना कर देने की क्या अवधि होगी, क्या व्यवस्था होगी उससे एथेनाल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकेगा ? अनुमति देना अलग बात है। अनुमति के साथ-साथ व्यवहारिक बनाना दूसरी बात है। आज चीनी का भाव दो हजार रुपए प्रति कुंतल हो गया है। कल को एथेनाल बनाने के प्रस्ताव आएंगे अनुमति दी जाएगी उससे फायदा क्या होगा ? आपके पास दिक्कत यह है कि अभी भी मेरे ख्याल से 50 प्रतिशत से अधिक गन्ना पेरने की स्थिति में आप नहीं हैं। पचास प्रतिशत गन्ना कोल्हू आदि दूसरी जगह पर जाता है।

ताकि एथेनॉल का उत्पादन भी हो सके और चीनी का उत्पादन भी हो सके और किसानों को उसके गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो सके। उसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की ? आपने तो अपने कानून में यह संशोधन किया कि अभी तक कर लगाने की यह विधि थी, इस हिसाब से कर लगता था अब एथेनॉल को भी उसमें शामिल कर लिया और एक व्यवस्था उसके लिये बना दी आपने। यह तो पर्याप्त नहीं है। यह तो आपके लिये केवल एक कर वसूली का तरीका हो गया। कर वसूली के इस तरीके से एथेनॉल के उत्पादन की वृद्धि कहां से हो गई ? अब आपकी अपनी फैक्ट्री है उन फैक्ट्रियों में आपने एथेनॉल के उत्पादन की क्या व्यवस्था की ? क्या आपने वहां पर कोई प्रोसेसिंग प्लान्ट बदलने शुरू किये हैं ? वहां पर आप कोई टेक्नोलॉजी विदेश से लाये हैं। क्या आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी है जिससे एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो जायेगा ? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लीड ब्राजील ने ली है एथेनॉल के उत्पादन में लेकिन एथेनॉल के उत्पादन की जितनी फैक्ट्री वहां हैं ब्राजील में। शत प्रतिशत सरकार ने वहां पर व्यवस्था यह

की है कि अगर चीनी का उत्पादन कम होता है तो तुरन्त वो अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर वह चीनी के उत्पादन की तरफ बढ़ सकते हैं और एथेनॉल के उत्पादन को कम कर सकते हैं और अगर गन्ने का उत्पादन अधिक हो गया, चीनी का उत्पादन अधिक हो गया तो एकदम उसी प्लान्ट को वो एथेनॉल के उत्पादन में लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इस दिशा में एक कदम उठाया नहीं। नॉट ईवन ए सिंगल स्टेप। एक कदम आगे नहीं बढ़ाया कि हां ऐसा हम करेंगे। आपने एथेनॉल के उत्पादन की टेक्नोलॉजी को लाने के लिये क्या प्रयास किया ? या आपके पास में अपनी टेक्नोलॉजी है और अगर प्रयास नहीं किया तो संशोधन लाते रहो। संशोधन पे संशोधन आते रहेंगे मूल भावना जो हमारी थी वह यह थी कि गन्ना कृषकों को हम लाभकारी मूल्य दिला सकें और चीनी उद्योग को भी हम जीवित रख सकें। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। होता यह है कि अभी अगर बहुत ही सुहाना आदेश आये नतमस्तक होते हैं उस आदेश के सामने भी कि आपकी इतनी अच्छी पैरवी रही कि अदालत ने 86 रुपये का रेट कर दिया। क्या करें मान्यवर ? दण्डवत् हों जायं ऐसे आदेश के सामने क्या ? इस प्रदेश के किसानों का हाल क्या होगा ? इस प्रदेश के करोड़ों परिवारों का हाल क्या होगा ? जिसके बारे में रोज आदेश बदलते हैं। कभी कहते हैं कि प्रदेश सरकार को पूरा अधिकार है, कभी कहते हैं कि 86 रुपये का रेट होगा। आखिर हो क्या रहा है ? किस प्रकार की यह व्यवस्था हो रही है मान्यवर। आज गन्ना मंत्री जी आपको बहुत ही स्पष्ट बातों के साथ में और प्रस्ताव के साथ में आना चाहिए था कि देखिये केन्द्र सरकार ने एथेनॉल बनाने की अनुमति दी है और एथेनॉल के उत्पादन के लिये हम यह थे यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। चीनी मिलों के लिये हमने यह आदेश किये हैं कि उनको कम्पलसरी 25 प्रतिशत एथेनॉल का उत्पादन करना होगा। नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हम इस प्रकार करेंगे और टेक्नोलॉजी को आयात करेंगे वहां से कहीं से, उसकी हम व्यवस्था करायेंगे। अपनी जो हमारी फैक्ट्री है सहकारिता की है, निगम की है उनमें भी जो व्यवहारिक काम है उस काम को भी हम अंजाम देंगे तो मान्यवर, आज हम आपको धन्यवाद देते गन्ना मंत्री को भी और सरकार को भी कि आपने यह सोचा है। खाली यह कि यह कर निर्धारण कैसे होगा ? कर निर्धारण की व्यवस्था क्या होगी विधि क्या होगी केवल उसमें संशोधन करके आप ले आएं। यह तो अपूर्ण है इसलिये मान्यवर, मेरा आग्रह है कि उस टेक्निकल बात को भी जाने दें। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। इन बिन्दुओं पर शान्ति के साथ विचार हो जाय और विचारोपरान्त इस बात पर निर्णय हो जाय वरना मान्यवर, यह अन्याय वाली बात है। यह केवल एक बहुमत का दुरुपयोग करने वाली बात है अगर हम जन भावनाओं के अनुरूप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। धन्यवाद।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी काफी काबिल हमारे साथी हैं। मान्यवर, जब अनुमति ही नहीं देंगे तो इन्स्टूमेंट। मान्यवर, पहले अनुमति मिलेगी तब ही तो इन्स्टूमेंट आयेंगे। पहले

मशीनरी आ जायेगी या पहले अनुमति दी जायेगी। हर चीज वो समझ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अपनी विद्वता का लाभ उठाते हुए हम सबको क्यों ही घुमा रहे हैं ? अरे पहले आप अनुमति देंगे उसके बाद मशीनरी आयेगी। पहले मशीनरी लाकर रख ली जायेगी उसके बाद आप अनुमति देंगे ? एक तो मान्यवर, यह बात है। (श्री हुकुम सिंह जी के खड़े होने पर) मान्यवर, मेरी पूरी बात आ जाय।

श्री हुकुम सिंह-

एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति भारत सरकार ने दी है। आप केवल कर निर्धारण की विधि का संशोधन लेकर आये हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय हुकुम सिंह जी, यह भारत सरकार की भांति पर ही हो रहा है। अब आपने इसको दूसरी जगह ट्विस्ट कर दिया। किसानों के लाभ की बात कर रहे हैं अभी सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया। वह एस0एम0पी0 की बात कर दी। फिर एस0एम0पी0 की बात कर दी। एस0एम0पी0 की जहां तक बात है 86 रुपये की जो बात कही है अब माननीय न्यायालय के आदेशों को हम यहां चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कुछ करना होगा तो अदालत में ही करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिये हैं 86 रुपये वाला एस0एम0पी0 का, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय आलरेडी एक आदेश दे चुका है, हमारी पैरवी पर आदेश दे चुका है, हमारी मजबूत पैरवी पर आदेश दे चुका है कि गन्ना किसानों को 110 रुपये से कम भुगतान नहीं किया जायेगा। अब आप 110 की बात नहीं कर रहे हैं आप 86 की बात कर रहे हैं वह भी आपकी जानकारी में है। अब यह आपकी विद्वता है अब कैसे आप इसको पेश करते हैं यह भी आपकी विद्वता है। मैं इसका लोहा मानता हूं। जहां तक 86 रुपये का सवाल है मान्यवर, हम पहले भी एस0एम0पी0 में गये हैं और हम अब भी एस0एम0पी0 में जायेंगे। किसानों के हित के लिये जो करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी प्रस्ताव वापस करा लें।

श्री हुकुम सिंह-

महत्वपूर्ण बिन्दु के ऊपर मैंने अपनी बात रखी लेकिन इन्होंने एक बिन्दु के ऊपर अपना उत्तर नहीं दिया कैसे यह उत्पादन करेंगे, क्या व्यवस्था इन्होंने की है कोई व्यवस्था इन्होंने की नहीं है यह तो केवल वसूली वाले मंत्री हैं। वसूली का प्रस्ताव ले आये कि किस प्रकार से वसूली करेंगे किस प्रकार से कर लगायेंगे। कैसे उत्पादन बढ़ायेंगे यह नहीं बताया। इसलिये हम इसको वापस नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हम प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत के गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

(झ-एक) "इथेनाल" का तात्पर्य सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे या दोनों से उत्पादित न्यूनतम 99 प्रतिशत शक्ति का एनहाइड्स इथाईल अल्कोहल से है ;

स्पष्टीकरण-जब कोई शक्कर कारखाना सीधे गन्ने के रस या ख-भारी शीरे से इथेनाल का उतपादन करता है, तो ऐसी चीनी फैक्ट्री के मामले में वसूली की दर का निर्धारण इस प्रकार उत्पादित प्रत्येक छह सौ लीटर इथेनाल को एक टन शक्कर के उत्पादन के बराबर विचार करके किया जायेगा।

(ख) खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

"(ञ) 'फैक्ट्री' का तात्पर्य ऐसे गृहादि से है जिसके अन्तर्गत उसके अहाते भी हैं, जिसमें बीस या बीस से अधिक श्रमिक काम करते हों या पिछले बारह महीने में किसी दिन काम किये हों और जिसके किसी भाग में शक्कर के उत्पादन से सम्बद्ध विनिर्माण प्रक्रिया निर्वात कड़ाह प्रक्रिया द्वारा होती हो या इथेनाल की विनिर्माण प्रक्रिया यथास्थिति, सीधे गन्ने के रस से या शीरे से, जिसके अन्तर्गत ख-भारी शीरा भी है या दोनों से हो रही हो या सामान्यतः यन्त्रचालित शक्ति द्वारा होती हो।"

धारा 17 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (5) में खण्ड (क) में शब्द "शक्कर की प्रतिभूति पर" के स्थान पर "शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस या ख-भारी शीरे से उत्पादित) की प्रतिभूति पर" रख दिये जायेंगे।

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश गन्न (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1961 की धारा 3-क का संशोधन

4-उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-क में;-

(क) उपधारा (1) में, प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक में शब्द "शक्कर", जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द "शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित)" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "प्रति बोरी शक्कर" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द "प्रति बोरी शक्कर या प्रति साठ लीटर इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित)" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"(3) यथास्थिति, पेराई मौसम की समाप्ति पर या पेराई मौसम हेतु कारखाना के बन्द होने के तुरन्त पश्चात् कर निर्धारण प्राधिकारी चालू पेराई मौसम के दौरान फैक्ट्री हेतु क्रय किये गये गन्ने, और फैक्ट्री में उत्पादित शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस या ख-भारी शीरे से उत्पादित) की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये प्रति बोरी शक्कर या प्रति 60 लीटर इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित) के पुनरीक्षित भुगतान की दर की गणना करेगा और उसे विनिर्दिष्ट करेगा, और जहां ऐसे पुनरीक्षण के आधार पर दर में कमी या वृद्धि की जाती है, वहां यथास्थिति अधिक भुगतान की गयी या कमी को उक्त शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित) के अवशेष स्टाक पर विस्तारित कर दिया जाएगा, और शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित) के प्रत्येक ऐसे अवशिष्ट बोरी को हटाये जाने के पूर्व संदत्त की जाने वाली धनराशि को तद्नुसार पुनः नियत किया जायेगा, ओर यदि ऐसी कोई शक्कर या इथेनाल स्टाक में अवशेष न रह जाय तो स्वामी, यथास्थिति, किसी अतिशेष की वापसी या भुगतान करने का, हकदार होगा।"

(घ) उपधारा (4) में, शब्द "शक्कर" जहां कही भी आये हों, के स्थान पर शब्द "शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित)" रख दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (5) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ख) उस धारा की उपधारा (4) इस उपान्तरण के साथ लागू होगी कि जहां कर निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी फैक्ट्री के स्वामी ने इस धारा के उपबंध के उल्लंघन में किसी शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित) को हटा लिया है या हटवा दिया है या फैक्ट्री में उत्पादित शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित) का पूर्ण हिसाब देने में विफल हो गया है या उपधारा के (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन उसके द्वारा जमा कर दिया गया है तो कर भुगतान का दायी व्यक्ति, इस प्रकार हटायी गयी या अगणनीय चीनी या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित) की मात्रा के

सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन संदेय धनराशि के अतिरिक्त, शास्ति स्वरूप, इस प्रकार संदेय धनराशि के अनधिक एक सौ प्रतिशत अग्रतर धनराशि का भुगतान करने का भी दायी होगा।"

धारा 8 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 8 में, परन्तुक में, शब्द "शक्कर" के स्थान पर शब्द "शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित)" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 अगस्त, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 58 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली के चन्द्रावती नाले पर टूटे हुये भटपुरवा रेगुलेटर को मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में है। यह दोनों सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। तीसरी सूचना कुँ आर0 पी0 एन0 सिंह जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत खड्डा एवं कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राम बिशुन आजाद की जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्र में विद्युत लाइन के सुदृढ़ीकरण एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री इमरान मसूद की जनपद सहारनपुर स्थित मुजफ्फराबाद के नौगांवा में बरसाती नदी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की जनपद सिद्धार्थनगर अन्तर्गत उस्का बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की राज्य कर्मचारियों की भांति उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के स्टाफ की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के थाना अचलगढ़ के

प्रभारी द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की निर्वाचन नियमावली के अन्तर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र बनाये जाने की समय-सीमा को 20 सितम्बर, 2008 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। ग्यारहवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की प्रदेश की निगम की चीनी मिलों को बन्द कर बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों का कार्य मानक के अनुरूप न किये जाने के सम्बन्ध में है। इन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

श्री लल्लू सिंह, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री सर्वेश कुमार सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्रीमती कृष्णाराज, श्री राजेश कुमार गौतम, श्री पूरन प्रकाश, श्री विद्यासागर गुप्ता, श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी, श्री सलिल बिश्नोई, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, श्री प्रदीप माथुर, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री कृष्ण गोपाल पटेल, श्री अब्दुल वारिस खां, डा0 अजय तोमर, श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री आर0 ए0 उस्मानी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, श्री राम प्रकाश कुशवाहा, श्री दीप नारायण सिंह, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री राघव लखन पाल शर्मा, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री मिथिलेश कुमार, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अनूप साण्डा, श्री राधेश्याम गुप्ता, श्री जोखू लाल यादव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री लालजी यादव, श्री राजेन्द्र सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री अशोक कंसल, श्री उदयभान करवरिया, श्री जमीर उल्ला खां, श्री अशोक सिंह चौहान, श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री इमरान मसूद।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बीजिंग में ओलम्पिक हो रहे हैं, वहां तमाम तरह के कीर्तिमान बन रहे हैं। आपने एक कीर्तिमान बनाया है, आपको कहां से मेडल दिया जाए ? 11.00 बजे से आप आकर बैठे हैं और 5.00 बज गये हैं, न आप खाने के लिये उठे, न पीने के लिये उठे। मैं चकित हूं और जानना चाहता हूं कि कौन सा योगा करते हैं, हम लोगों को भी बता दें कि 11.00 बजे से 5.00 बजे तक लगातार बैठे हैं और लगातार आप बोल भी रहे हैं। मैं व्यवस्था चाहता हूं आप किस प्रक्रिया का पालन करते हैं, नियमों में कहां है ? बता दें।

श्री अध्यक्ष-

बीच-बीच में जो खड़े होते हैं, वहीं एनर्जी हमको प्राप्त है।

महिला कल्याण विभाग में क्राफ्ट प्रशिक्षकों की नियुक्ति आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से न करके एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर महिला कल्याण मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, महिला कल्याण विभाग में क्राफ्ट प्रशिक्षकों .....

श्री प्रमोद तिवारी-

पढ़ा मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा मान लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

[की नियुक्ति आई0टी0आई0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से न कर एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1018/60-1-05, दिनांक 10-3-2005 द्वारा निदेशक महिला कल्याण को निवेशित किया गया था कि शैक्षणिक व प्राविधिक प्रमाण पत्रों की इस आशय से जांच करा लें कि प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं से निर्गत हुये हैं अथवा नहीं ? शासन के आदेशों के अनुपालन में निदेशक, महिला कल्याण उ0प्र0 के आदेश संख्या-5161-63, दिनांक 21-3-2005 द्वारा श्री बी0एन0गुप्ता तत्कालीन उप निदेशक महिला कल्याण विभाग को जांच अधिकारी नामित किया गया परन्तु उनके सेवानिवृत्त हो जाने के कारण जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या प्रस्तुत नहीं की जा सकी। निदेशालय के आदेश संख्या-1859-61, दिनांक 10-8-2006 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मुख्यालय को जांच अधिकारी नामित किया गया परन्तु कुछ प्रमाण पत्र वाह्य राज्यों से सम्बन्धित होने तथा उन राज्यों से पत्र व्यवहार करने पर भी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। उन्हें अन्य स्तरों से जांच में अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण जांच पूर्ण नहीं हो सकी।

नोटः--[ ] यह अश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत मुख्यालय पर तैनात संयुक्त निदेशक जो पी0सी0एस0 सवंर्ग के अधिकारी हैं, की अध्यक्षता में निदेशक महिला कल्याण द्वारा एक त्रि-स्तरीय समिति का गठन दिनांक 04 मार्च, 2008 को किया गया है। इस समिति में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी तथा उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मुख्यालय को सदस्य नामित किया गया है। प्रमाण पत्र कई संस्थाओं एवं अन्य राज्यों की संस्थाओं के होने के कारण निर्धारित समय सीमान्तर्गत समिति द्वारा जांच पूर्ण नहीं की जा सकी। वर्तमान में समिति की जांच आख्या निदेशक महिला कल्याण को प्राप्त हो गई है। जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक महिला कल्याण द्वारा शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।]

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। 6 महीने के बाद उत्तर आया है लेकिन वह भी आधा-अधूरा ही आया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 6 महीने बाद यह वक्तव्य प्राप्त हुआ है, इसमें मेरा कहना यह था कि जो नियुक्तियां हुई हैं, वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई हैं, जो योग्य अभ्यर्थी नहीं थे। आई0टी0आई0 के द्वारा प्राप्त जो निर्धारित योग्यता थी, ऐसी योग्यता प्राप्त लोगों की नियुक्ति नहीं हुई, बल्कि कुछ लोग एन0जी0ओ0 से फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाकर नौकरी पा गए, उनकी जांच के सम्बन्ध में यह था। 6 महीने बाद यह मिला है, जांच आख्या भी प्राप्त हो गई है लेकिन किसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, फर्जी नियुक्तियां हुईं या नहीं हुईं, इसके बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं है।

सामाज कल्याण मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, प्रमाण-पत्र कई संस्थाओं एवं अन्य राज्यों की संस्थाओं के होने के कारण निर्धारित समय सीमान्तर्गत समिति द्वारा जांच पूर्ण नहीं की जा सकी। वर्तमान में समिति की जांच आख्या प्राप्त हो गई है, जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, जो जवाब आया है, जांच तो हो गई, तो सरकार को मालूम हो गया होगा कि फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं या नहीं ? उसका कोई उल्लेख इसमें नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें स्पष्ट लिखा है कि तत्काल निर्णय ले लिया जायेगा।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, इसमें लीपापोती की जा रही है, बहुत बड़ा घपला है, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं इसलिये उनको बचाने के लिये इतनी बड़ी जांच हो रही है। एक साल से जांच हो रही है, एक अधिकारी सेवानिवृत्त होकर चले भी गये हैं।

जनपद फतेहपुर में बिना विधायक की संस्तुति के विधायक निधि से रु0 35 लाख फर्जी तरीके से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 10-3-08 को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि उनके विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि वर्ष 2007-08 से बिना उनके प्रस्ताव/संस्तुति के निम्नलिखित विद्यालयों को धन अवमुक्त कर दिया गया :--

(1) प्रबन्धक, श्री राम सेवक मौर्य उ0 मा0 विद्यालय, सेमरा मानापुर, फतेहपुर।

(2) प्रबन्धक, रामपाल मौर्य सरस्वती विद्या मंदिर, ऊंचांबेरा, फतेहपुर।

(3) श्री वृन्दावन कृष्णादेवी विद्या मंदिर, नवाबगंज, फतेहपुर।

(4) श्री शिव शंकर अग्रहरि पूर्व मा0 विद्यालय, नवाबगंज, फतेहपुर।

(5) संत बिनोवाभावे पूर्व मा0 विद्यालय, प्रेम नगर, फतेहपुर।

(6) डा0 राम मनोहर लोहिया वी0पी0 प्रा0 विद्यालय, आदर्शनगर, छिवलाहा, फतेहपुर।

(7) प्रबन्धक, स्वामी रमेशनाथ अवघड़ मोहनलाल श्रीवास्तव उ0मा0वि0 सेमरा, मानापुर, फतेहपुर।

उक्त विद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु अपने विधायक निधि से धन हेतु प्रस्ताव/संस्तुति नहीं किया है, परन्तु बिना उनकी संस्तुति के मुख्य विकास अधिकारी व परियोजना निदेशक, फतेहपुर द्वारा लाभार्थी से 50 प्रतिशत धन लेकर प्रत्येक विद्यालय को 5-5 लाख रु0 अवमुक्त किया गया है। अवमुक्त किये गये धन से लाभार्थी द्वारा निर्माण कार्य भी सम्पन्न करा लिया गया है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के संज्ञान में उक्त तथ्य आने के उपरान्त शासन के पत्र दिनांक 11-3-08 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास से श्री हीरामणि सिंह यादव, अपर आयुक्त (विशेष कार्यक्रम), ग्राम्य विकास, उ0 प्र0, लखनऊ से प्रारम्भिक जांच कराकर अपने अभिमत सहित जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। श्री हीरामणि सिंह यादव, अपर आयुक्त (विशेष कार्यक्रम) ने जांच कर दिनांक 14-3-08 को अपनी जांच आख्या उपलब्ध करायी, जिसे आयुक्त, ग्राम्य विकास ने अपने पत्र दिनांक 16-3-08 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी है। अपर आयुक्त (विशेष कार्यक्रम) की जांच आख्या में श्री ब्रह्मानन्द, मुख्य विकास अधिकारी, श्री राम कुमार दीक्षित, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास अभिकरण, फतेहपुर, श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार एवं श्री अशोक कुमार, अवर अभियन्ता, श्री रमेश मोहन शुक्ला, कनिष्ठ लेखा लिपिक प्रथम दृष्टया अन्तर्ग्रस्त पाये गये।

3-प्रश्नगत जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री राम कुमार दीक्षित, परियोजना निदेशक को शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 06-5-08 एवं श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता को कार्यालय आदेश दिनांक 26-5-08 द्वारा निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। मुख्य विकास अधिकारी, श्री ब्रह्मानन्द, पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारी हैं। उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 14-5-08 द्वारा नियुक्ति विभाग को लिखा गया है। श्री ब्रह्मानन्द के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु दिनांक 12-6-08 को आरोप-पत्र भी नियुक्ति विभाग को प्रेषित कर दिया गया हैं श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार एवं श्री अशोक कुमार, अवर अभियन्ता तथा श्री रमेश मोहन शुक्ला, कनिष्ठ लेखा लिपिक को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रचलित है श्री रमेश मोहन शुक्ला, कनिष्ठ लेखा लिपिक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है।

अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद बांदा के खण्डेय पेयजल योजना तथा ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के फेल हो जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 03-03-2008 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लिखित है कि जनपद बांदा में खण्डेय, जसपुरा, कानाखेड़ा तथा खप्टिहाकला आदि पेयजल समूह योजनाएं पूरी तरह फेल हो गयी हैं। पाइप मरम्मत, नलकूप मरम्मत, फिटकरी सप्लाई में कई लाख का घोटाला किया गया है। जिसके कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। बिना जलापूर्ति के ग्रामीणों को बिल भेज दिया जाता है। इस प्रकरण की जांच कराकर पेयजल योजनाओं को शीघ्र चालू किया जाना आवश्यक है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बांदा में 17 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं हैं, जिससे 162 ग्राम आच्छादित हैं। 17 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में से 16 योजनाओं का रख-रखाव चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान, बांदा तथा 01 योजना का रख-रखाव उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जाता है। चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान, बांदा द्वारा जिन 16 पेयजल योजनाओं का रख-रखाव किया जा रहा है उससे 145 ग्राम आच्छादित हैं। 145 ग्रामों में से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

80 ग्रामों में जलापूर्ति हो रही है। शेष 65 ग्रामों में जलापूर्ति बन्द है। इसी प्रकार जल निगम द्वारा संचालित कानाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित 17 ग्रामों में से एक ग्राम चन्दावारा में जलापूर्ति की जा रही है।

3-जनपद बांदा के अधिकांश ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का निर्माण 1970 और 1980 के मध्य होने, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कम होने तथा भूमिगत जल स्तर में लगातार गिरावट के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई।

4-वित्तीय वर्ष 2007-08 में चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान, बांदा द्वारा पाइप मरम्मत, पम्पिंग प्लान्ट मरम्मत, भवन/अवर जलाशय मरम्मत, पाइप लाइन विस्तार, स्रोत सृजन, बन्द ग्राम चालू करने तथा रसायन पर रु0 136.637 लाख व्यय किया गया। चित्रकूटधाम मण्डल संस्थान, बांदा द्वारा संचालित 16 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में मात्र 3875 जल संयोजन हैं। बिना जलापूर्ति के किसी व्यक्ति को बिल नहीं भेजा गया है। बिल वसूली में किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है।

5-कानाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित 17 ग्रामों के 07 सबग्रुप बनाकर नई योजनाएं पुनर्गठित की गई हैं। इस योजना के वित्तीय वर्ष 2006-07 में 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 438.82 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन योजनाओं पर कार्य दिसम्बर, 2007 में प्रारम्भ कर दिया गया है। दिसम्बर, 2008 तक समस्त कार्य पूर्ण कर योजना में सम्मिलित ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है।

6-जनपद बांदा के 11 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में पाइप लाइन की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार तथा पूराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु जिलाधिकारी, बांदा के माध्यम से सूखा कार्य योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव किया गया था किन्तु बिना स्रोत के योजना के क्रियाशील होने की सम्भावना न होने के कारण प्रस्तावित कार्य उपयुक्त नहीं पाया गया। जनपद बांदा में कानाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम को निर्देशित किया गया है।]

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में नवम्बर, 2006 में ततकालीन मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप योजनाओं का कार्य प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 विधायक द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में विधान सभा में दिनांक 10-03-2008 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना देते हुए सरकार से वक्तव्य देने की मांग की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गयी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जनपद गोण्डा के दतौली चीनी मिल मनकापुर परिसर में सर्वांगीण विकास के लिए दिनांक 14 नवम्बर, 06 को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने 199 करोड़ बारह लाख रुपयों की तिरपन योजनाओं की घोषणा की थी। इसी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर मे मनकापुर बभनान होते हुए हर्रैया तक चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण, मनकापुर तहसील पुराने कार्यालय में महिला चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में, मनकापुर रेलवे क्रासिंग से नबाबगंज तक उतरौला-फैजाबाद, इलाहाबाद राजमार्ग संख्या-9 का चौड़ीकरण, विकास खण्ड छपिया में दो सूट गेस्ट हाउस निर्माण होने के सम्बन्ध में, मनकापुर, मोतीगंज फीडर एवं बगदर फीडर के जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में, मनकापुर में तहसील मुख्यालय पर महिला पालीटेक्निक कालेज खोलने के सम्बन्ध में, नगर पंचायत मनकापुर में नाली, सड़क, गलियों में खड़ंजा एवं विद्युत कार्य हेतु, नगर पंचायत मनकापुर में जल निकासी हेतु, क्षेत्र पंचायत मनकापुर में विद्युत उपकेन्द्र 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र मोतीगंज में खोलने के सम्बन्ध में घोषणा की गई थी जिसका शासन से प्लान भी तैयार कर लिया गया था। किन्तु इस कल्याणकारी सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं के अनुरूप योजनाओं को जान-बूझ कर रोक दिया गया।

2-इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 14-11-2006 को जनपद गोण्डा के भ्रमण के दौरान कुल 22 घोषाणायें की गयी थीं, जिनका विवरण निम्नांकित है :--

1. जनपद गोण्डा के सड़क/सेतु एवं सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए रु0 20.00 करोड़ दिया जायेगा। कार्यों का निर्धारण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
2. जनपद गोण्डा के सिविल लाइन गोण्डा, भभुआ-विकास खण्ड करनेलगंज एवं मोतीगंज विकास खण्ड मनकापुर में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र की स्थापना की जायेगी।
3. परसपुर गोण्डा नगर एवं कटरा बाजार में जर्जर तारों/क्षतिग्रस्त पोलों का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जायेगा।
4. मनकापुर, मोतीगंज, बगदर फीडरों के पुराने जर्जर तार व खम्भों को बदला जायेगा।
5. नगर पंचायत मनकापुर में सड़क, नाली व गलियों में खड़न्जा तथा विद्युत कार्य कराया जायेगा।
6. नगर पंचायत मनकापुर में जल निकासी कार्य हेतु रु0 एक करोड़ दिया जायेगा।
7. विधान सभा क्षेत्र कर्नलगंज, विधान सभा क्षेत्र गोण्डा तथा विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार प्रत्येक में 200-200 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्वीकृत किये जायेंगे।
8. कोड़िया बाजार तथा बाजपुर हजारी ग्राम में पानी की टंकी का निर्माण कराया जायेगा।

9. परसपुर बाजार में पेयजल की व्यवस्था करायी जायेगी।
10. विधान सभा क्षेत्र गोण्डा/कटरा बाजार के अन्तर्गत 2000-2000 तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 2000 कुल 6000 निःशुल्क बोरिंग करायी जायेगी।
11. तहसील मुख्यालय मनकापुर में महिला पालिटेक्निक की स्थापना की जायेगी।
12. मनकापुर तहसील परिसर के तहसील के नवीन भवन में स्थानान्तरण के पश्चात् रिक्त भवन में महिला अस्पताल की स्थापना की जायेगी।
13. मनवर नदी पर मनकापुर में चेक डैम का निर्माण एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जायेगा।
14. आवास विकास कालोनी गोण्डा मे सड़क मरम्मत/नाली का कार्य कराया जायेगा।
15. विधान सभा मनकापुर के विकास खण्ड छपिया में भगवान श्री स्वामी नारायन का विश्व प्रसिद्ध मंदिर के दर्शनार्थ आने वाले पर्यटकों के ठहरने हेतु दो सूट के अतिथि गृह का निर्माण कराया जायेगा।
16. मनकापुर रेलवे क्रासिंग से नवाबगंज तक उतरौला-फैजाबाद-इलाहाबाद राज्य मार्ग संख्या-9 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
17. मनकापुर से बभनान होते हुए हर्रैया तक बी0एम0-75 एवं एस0डी0वी0सी0 रोड बनाया जायेगा।
18. बलरामपुर गन्ना संस्थान को सुदृढ़ किया जायेगा।
19. करनैलगंज के नाली एवं सड़क के पुनरुद्धार हेतु 50.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जाती है।
20. गोण्डा शहर की अवस्थापना सुविधा के सुदृढ़ीकरण हेतु एक करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
21. ग्राम पंचायत तेन्दुआ मोहनी के पास मनवर नदी पर पुल का निर्माण किया जायेगा।
22. विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में 500 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्वीकृत किये जायेंगे।

3-तत्कालीन सरकार के समय 20 घोषणाएं बजट में कम धनराशि उपलब्ध होने/बजट व्यवस्था न होने के कारण तथा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में ही प्रारम्भ नहीं हो पायी थीं। क्रमांक-14 पर अंकित 01 घोषण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित है, जो पूर्ण हो गयी है तथा क्रमांक-18 पर अंकित 01 घोषणा चीनी उद्योग विभाग से सम्बन्धित है जिसमें आंशिक कार्य हुआ है। कार्य प्रारम्भ न हो पाने वाली, अपर्याप्त बजट व्यवस्था एवं बजटीय व्यवस्था रहित अपूर्ण रहने वाली तत्कालीन सरकार की घोषणाओं को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी

द्वारा दिनांक 14-11-2006 को जनपद गोण्डा के भ्रमण के दौरान की गयी उक्त 22 घोषणाओं में जिनमें कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया था उन घोषणाओं को जानबूझ कर नहीं रोका गया है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पूर्वाह्न पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 05 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 19 अगस्त, 2008

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 179 विधान सभा (307)-19-12-08-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।